

2BEDT10

ज्ञान और पाठ्यक्रम

(Knowledge and Curriculum)



DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY

Chhattisgarh, Bilaspur

Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

डॉ.सी.वी. रमन विश्वविद्यालय

करगी रोड, कोटा, बिलासपुर छत्तीसगढ़

फोन: 07723-253801, 07753-253872

ई मेल: info@cvru.ac.in वेबसाइट: www.cvrु.ac.in

2BEDT10

Knowledge and Curriculum

Credit- 4

Subject Expert Team

Prof. Raina Tiwari Head,
Department of Education, Vijayashree
Educational Institute, Rani Durgavati
Vishwavidhyalaya Jabalpur (M.P.)

Prof. Jubraj Khamari
Department of Education, Sambalpur
University Jyoti Vihar, Burla,
Sambalpur, Odisha

Dr. Dheerendra Singh Assistant
Professor, Department of Education,
Guru Ghasidas Vishwavidhyalaya
Bilaspur (C.G.)

Dr. Renu Shukla Assistant
Professor, Department of
Sanskrit, Dr. C.V. Raman University
Kota, Bilaspur (C.G.)

Dr. Ravi Prakash Choudhary Dean,
Department of Law, Dr. C.V. Raman
University Kota, Bilaspur (C.G.)

Dr. Krishna Kumar Pandey,
Assistant Professor, Dr. C.V. Raman
University Kota, Bilaspur (C.G.)

Mrs. Meenakshi Chandravanshi,
Assistant Professor, Dr. C.V. Raman
University Kota, Bilaspur (C.G.)

Dr. Parvati Yadav,
Assistant Professor, Dr. C.V. Raman
University Kota, Bilaspur (C.G.)

Dr. Smriti Kiran Saimons,
Associate Professor, Dr. C.V. Raman
University Kota, Bilaspur (C.G.)

Course Edited By:

Dr. CHANDRAPRABHA JAISWAL

Assistant Professor, Maulana Azad Siksha Mahavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh

Unit Written By:

Dr. Alka Singh

Assistant Professor, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh

Warning: All rights reserved, No part of this publication may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form or by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the publisher.

Edition: 2026

Published by: Dr. C.V. Raman University Kargi Road, Kota, Bilaspur, (C. G.),
Ph. +07753- 253801, 07753-253872 E-mail: info@cvru.ac.in, Website:
www.cvru.ac.in

कार्यक्रम की संरचना

कार्यक्रम का शीर्षक	:	बैचलर ऑफ़ एजुकेशन
कार्यक्रम का प्रकार	:	स्नातक
कार्यक्रम क्रेडिट	:	80
कार्यक्रम का समय	:	2 साल
पात्रता मापदंड	:	किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री

कार्यक्रम के उद्देश्य (PROGRAMME OBJECTIVES)

बैचलर ऑफ़ एजुकेशन (B.Ed.) कार्यक्रम का उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर प्रभावी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के लिए अभ्यास करने वाले शिक्षकों में समझ और आवश्यक योग्यताओं का विकास करना है। यह कार्यक्रम भावी शिक्षकों को बच्चे के विकास के मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय पहलुओं को समझने तथा विभिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार को समझने के लिए तैयार करता है। यह शिक्षण के कठोर अभ्यास के साथ मिलकर शिक्षक प्रशिक्षुओं को शिक्षण की कला में महारत हासिल करने और विभिन्न कक्षा की स्थितियों में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उनसे निपटने की क्षमता प्रदान करता है।

कार्यक्रम के परिणाम (PROGRAMME OUTCOMES)

कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद छात्र निम्नलिखित में सक्षम होंगे:

- शिक्षार्थियों के निरंतर बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास का मूल्यांकन करने और सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन रणनीतियों को समझना और उनका उपयोग करना।
- स्कूल-आधारित सीखने के अनुभवों और चिंतनशील प्रथाओं के माध्यम से 'शिक्षक' के रूप में अपनी आत्म-पहचान को पहचानना, जो लगातार उनकी पसंद और कार्यों के प्रभावों का मूल्यांकन करते हैं।
- शिक्षक प्रशिक्षुओं के व्यवहार, दृष्टिकोण और मूल्यों को बदलना ताकि वे स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक चिंताओं तथा मानव जीवन, प्रगति और विकास के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में समाज में जिम्मेदार और जवाबदेह परिवर्तनकर्ता के रूप में ढल सकें।

कार्यक्रम के विशिष्ट परिणाम (PROGRAMME SPECIFIC OUTCOMES)

- सामान्य रूप से शिक्षा और विशेष रूप से शिक्षक शिक्षा के विषयों की केंद्रीय अवधारणाओं, जांच के उपकरणों और संरचनाओं को समझने के लिए छात्रों को सक्षम बनाना।

- शिक्षक प्रशिक्षुओं को ऐसे अवसर प्रदान करना जो सीखने के अनुभवों को सार्थक बनाने में सक्षम हों।
- छात्र शिक्षकों को यह समझने के लिए प्रेरित करना कि बच्चे कैसे सीखते और विकसित होते हैं, सीखने के उनके दृष्टिकोण कैसे भिन्न होते हैं, और सीखने के अवसर कैसे सृजित किए जाते हैं।
- कक्षा के अंदर और बाहर सीखने के अनुभवों की योजना बनाने के लिए छात्र शिक्षकों के कौशल का विकास करना जो शिक्षार्थियों की मौजूदा दक्षता, रुचियों, अनुभवों और ज्ञान पर आधारित हों, और उन्हें यह समझने में सक्षम बनाना कि छात्र पाठ्यक्रम में निहित विषय वस्तु को कैसे देखना, विकसित करना, सीखना और समझना सीखते हैं।
- कक्षा में सक्रिय पूछताछ, सहयोग और सहायक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी मौखिक, गैर-मौखिक और मीडिया संचार तकनीकों के ज्ञान का उपयोग करने की छात्र शिक्षकों की क्षमता का विकास करना।

पाठ्यक्रम की संरचना

कोर्स का शीर्षक	:	ज्ञान और पाठ्यक्रम
कोर्स का प्रकार	:	मूल पाठ्यक्रम
कोर्स कोड	:	2BEDT10
कोर्स क्रेडिट	:	4
समसत्र	:	2

पाठ्यक्रम सीखने का उद्देश्य-

- पाठ्यक्रम की प्रकृति और पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों और कक्षा अभ्यासों के साथ इसके संबंध को समझना।
- ज्ञान, नैतिक मूल्यों और कौशल की प्रकृति को समझना।
- शिक्षा में कार्य के स्थान का अध्ययन करना।
- शिक्षा के लिए रचनावाद के निहितार्थों को समझना।
- पाठ्यक्रम दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए एक ढांचा विकसित करना और उसे लागू करना।

पाठ्यक्रम सीखने के परिणाम-

- पाठ्यक्रम, सिलेबस और इकाइयों के बीच अंतर जानें।
- पाठ्यक्रम के लिए रूपरेखा तैयार करना/निर्माण करना।
- ज्ञान, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के बीच सहसंबंध का पता लगाएं।

अनुक्रमणिका

खंड/ इकाई क्र	खंड / इकाई का नाम	पृष्ठ. क्र.
खंड 01.	ज्ञान का स्वरूप एवं अवधारणा	1-17
इकाई -1	ज्ञान का अर्थ, महत्व एवं स्रोत	1
इकाई -2	ज्ञान और अधिगम	10
खंड 02.	ज्ञान और अधिगम	18-63
इकाई -3	पाठ्यक्रम का अर्थ, प्रकृति एवं प्रकार	18
इकाई -4	पाठ्यक्रम के आधार एवं निर्माण	26
इकाई -5	पाठ्यक्रम के आधार	43
इकाई -6	पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास	53
खंड 03.	पाठ्यक्रम मॉडल एवं मूल्यांकन	64-102
इकाई -7	पाठ्यक्रम के मॉडल	64
इकाई -8	पाठ्यक्रम अध्ययन एवं मूल्यांकन	75
.खंड 04.	पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्य शिक्षा	103-113
इकाई – 9	पाठ्यक्रम विकास में संस्थाओं की भूमिका	89
इकाई -10	मूल्य शिक्षा	100
खंड 05.	बहुसांस्कृतिक समाज एवं नैतिक विकास	114-170
इकाई -11	बहुसांस्कृतिक एवं लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा	114
इकाई -12	नैतिक शिक्षा एवं नैतिक विकास	123
इकाई 13	समावेशी शिक्षा एवं समान शैक्षिक अवसर	134
इकाई 14	शांति शिक्षा, मानवाधिकार एवं वैश्विक नागरिकता	154

"प्रस्तुत विषय "ज्ञान और पाठ्यक्रम" शिक्षा के दो अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों—ज्ञान की अवधारणा तथा पाठ्यक्रम की संरचना एवं विकास—का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है। ज्ञान मानव के बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास का आधार है, जबकि पाठ्यक्रम उस ज्ञान को व्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण ढंग से शिक्षार्थियों तक पहुँचाने का प्रमुख माध्यम है। वर्तमान ज्ञान-आधारित समाज में शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना नहीं, बल्कि शिक्षार्थियों में चिंतन, सृजनात्मकता, समस्या-समाधान, नैतिक मूल्यों तथा जीवनोपयोगी कौशलों का विकास करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम को अधिक लचीला, बहुविषयक, समावेशी एवं शिक्षार्थी-केंद्रित बनाया गया है, जिससे ज्ञान का निर्माण अनुभव, अनुसंधान, नवाचार एवं सामाजिक सहभागिता के माध्यम से हो सके। इस खंड में ज्ञान की अवधारणा, उसके स्रोत एवं प्रकार, ज्ञान और अधिगम का संबंध, पाठ्यक्रम का अर्थ, प्रकृति, आधार, निर्माण, विकास, अध्ययन तथा मूल्यांकन का विस्तृत विवेचन किया गया है। साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रम मॉडल एवं मूल्यांकन दृष्टिकोणों का भी अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जिससे शिक्षार्थी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के पारस्परिक संबंध, उनकी उपयोगिता तथा समकालीन शिक्षा में उनकी भूमिका को समग्र रूप से समझ सकें।"

खण्ड -1

ज्ञान का स्वरूप एवं अवधारणा

इकाई - 01

ज्ञान का अर्थ, महत्व एवं स्रोत

- 1.1 परिचय
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 ज्ञान का अर्थ, महत्व एवं स्रोत
 - 1.3.1 ज्ञान : अर्थ एवं महत्व
 - 1.3.2 ज्ञान के स्रोत
 - 1.3.3 विश्वास, सूचना, ज्ञान एवं समझ की अवधारणा
 - 1.3.4 ज्ञान के प्रकार एवं उनकी उत्पत्ति की प्रक्रियाएँ
- 1.4 सारांश
- 1.5 शब्दावली
- 1.6 अपनी प्रगति जांचे - संभावित उत्तर
- 1.7 सहायक पाठ्य सामग्री - मुक्त शैक्षिक संसाधन
- 1.8 संदर्भ
- 1.9 अभ्यास

1.1 परिचय-

ज्ञान मानव जीवन का आधार एवं शिक्षा का मूल उद्देश्य है। यह केवल तथ्यों के संग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुभव, चिंतन, तर्क, निरीक्षण तथा व्यवहार के माध्यम से सत्य की खोज और उसके उचित उपयोग की क्षमता भी है। ज्ञान व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक विकास का आधार बनता है। वर्तमान ज्ञान-आधारित समाज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार तथा आजीवन अधिगम के लिए ज्ञान की प्रकृति, स्रोत एवं प्रकारों को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस इकाई में ज्ञान की अवधारणा, उसके महत्व, स्रोत, विश्वास, सूचना, ज्ञान एवं समझ के मध्य अंतर तथा ज्ञान के प्रकार एवं उनकी उत्पत्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा।

मनुष्य जन्म से जिज्ञासु होता है और अपने परिवेश से निरंतर सीखता रहता है। शिक्षा इस सीखने की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप प्रदान करती है। ज्ञान व्यक्ति को सही निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान खोजने, नैतिक मूल्यों को अपनाने तथा समाज के विकास में सक्रिय योगदान देने योग्य बनाता है। आज के डिजिटल युग में सूचना की उपलब्धता सरल हो गई है, किंतु प्रत्येक सूचना ज्ञान नहीं होती। जब सूचना का विश्लेषण, अनुभव एवं तर्क के आधार पर सत्यापन होता है और उसका व्यवहारिक उपयोग संभव होता है, तभी वह ज्ञान का रूप लेती है। इसलिए ज्ञान के स्रोतों, प्रकारों तथा उसकी निर्माण प्रक्रिया को समझना प्रत्येक शिक्षार्थी एवं शिक्षक के लिए आवश्यक है।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् शिक्षार्थी—

- ज्ञान की अवधारणा एवं महत्व को समझ सकेंगे।
- ज्ञान के प्रमुख स्रोतों की व्याख्या कर सकेंगे।
- विश्वास, सूचना, ज्ञान एवं समझ के मध्य अंतर स्पष्ट कर सकेंगे।
- ज्ञान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे।
- ज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रियाओं का विश्लेषण कर सकेंगे।

1.3 ज्ञान का अर्थ, महत्व एवं स्रोत

1.3.1 ज्ञान : अर्थ एवं महत्व (Meaning and Importance of Knowledge)

अर्थ -

ज्ञान वह सत्य, अनुभव, सूचना एवं समझ है जो व्यक्ति को किसी विषय का सही बोध कराती है तथा उचित निर्णय एवं व्यवहार करने में सक्षम बनाती है।

महत्व :

- व्यक्तित्व विकास का आधार।
- तर्कशील एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास।
- नैतिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्माण।
- समस्या समाधान एवं निर्णय क्षमता में वृद्धि।
- नवाचार, अनुसंधान एवं आजीवन अधिगम को प्रोत्साहन।

1.3.2 ज्ञान के स्रोत (Sources of Knowledge)

ज्ञान अनेक स्रोतों से प्राप्त होता है—

- प्रत्यक्ष अनुभव – स्वयं के अनुभव एवं अवलोकन।
- इन्द्रिय अनुभव – देखना, सुनना, स्पर्श, स्वाद एवं गंध।
- तर्क एवं बुद्धि – विश्लेषण एवं चिंतन।
- प्रामाणिक ग्रंथ एवं साहित्य – पुस्तकें, शोध एवं शास्त्र।
- समाज एवं संस्कृति – परिवार, विद्यालय एवं सामाजिक परंपराएँ।
- विज्ञान एवं अनुसंधान – प्रयोग एवं वैज्ञानिक खोज।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) – इंटरनेट, ई-लर्निंग एवं डिजिटल संसाधन।

1.3.3 विश्वास, सूचना, ज्ञान एवं समझ की अवधारणा (Concept of Belief, Information, Knowledge and Understanding)

- विश्वास (Belief): बिना पूर्ण प्रमाण के स्वीकार किया गया विचार।
- सूचना (Information): तथ्य, आँकड़े अथवा संदेश।

- ज्ञान (Knowledge): सत्यापित एवं व्यवस्थित सूचना, जिसे अनुभव एवं तर्क से समझा गया हो।
- समझ (Understanding): ज्ञान का गहन एवं व्यवहारिक उपयोग करने की क्षमता।

1.3.4 . ज्ञान के प्रकार एवं उनकी उत्पत्ति की प्रक्रियाएँ (Types of Knowledge and Process of Knowledge Generation)

- ज्ञान के प्रकार
- प्रत्यक्ष (Empirical Knowledge)
- वैचारिक (Conceptual Knowledge)
- प्रक्रियात्मक (Procedural Knowledge)
- अनुभवात्मक (Experiential Knowledge)
- वैज्ञानिक (Scientific Knowledge)
- आध्यात्मिक एवं नैतिक ज्ञान
- ज्ञान की उत्पत्ति की प्रक्रियाएँ
- अवलोकन
- अनुभव
- चिंतन एवं मनन
- तर्क एवं विश्लेषण
- प्रयोग एवं अनुसंधान
- संवाद एवं सामाजिक अंतःक्रिया
- अध्ययन एवं आत्मचिंतन

अपनी प्रगति जांचें-

प्रश्न 1. ज्ञान से क्या अभिप्राय है?

प्रश्न 2. ज्ञान के दो प्रमुख स्रोत लिखिए।

प्रश्न 3. सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है?

प्रश्न 4. ज्ञान के दो प्रकार लिखिए।

प्रश्न 5. ज्ञान की उत्पत्ति की दो प्रक्रियाएँ बताइए।

1.4 सारांश

ज्ञान शिक्षा का मूल आधार तथा मानव विकास का प्रमुख साधन है। यह व्यक्ति को सत्य की पहचान, विवेकपूर्ण निर्णय, रचनात्मक चिंतन तथा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता प्रदान करता है। ज्ञान का विकास अनुभव, अवलोकन, तर्क, अनुसंधान एवं सामाजिक सहभागिता के माध्यम से होता है। विश्वास, सूचना, ज्ञान एवं समझ एक-दूसरे से जुड़े होने पर भी भिन्न अवधारणाएँ हैं। आधुनिक शिक्षा में

ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान, नवाचार तथा आजीवन सीखने की क्षमता विकसित करना है।

1.5 शब्दावली

1. ज्ञान (Knowledge):

किसी विषय के संबंध में अनुभव, अध्ययन एवं तर्क के आधार पर प्राप्त सत्य एवं प्रमाणित समझ।

2. विश्वास (Belief):

किसी विचार, तथ्य या सिद्धांत को बिना पूर्ण प्रमाण के सत्य मान लेना।

3. सूचना (Information):

किसी विषय से संबंधित तथ्य, आँकड़े या संदेश, जो ज्ञान प्राप्ति का आधार बनते हैं।

4. समझ (Understanding):

प्राप्त ज्ञान का सही अर्थ ग्रहण करके उसका उचित एवं व्यावहारिक उपयोग करने की क्षमता।

5. अनुभव (Experience):

प्रत्यक्ष कार्य, घटनाओं या परिस्थितियों से प्राप्त व्यावहारिक ज्ञान।

6. तर्क (Reasoning):

विचारों एवं तथ्यों का विश्लेषण कर उचित निष्कर्ष तक पहुँचने की बौद्धिक प्रक्रिया।

7. अवलोकन (Observation):

किसी घटना, वस्तु या व्यवहार का उद्देश्यपूर्ण एवं सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना।

8. अनुसंधान (Research):

किसी समस्या या विषय का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन कर नवीन ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया।

9. वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper):

तर्क, प्रमाण, प्रयोग एवं निष्पक्ष विचार के आधार पर किसी तथ्य का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति।

10. अनुभवात्मक ज्ञान (Experiential Knowledge):

स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव एवं व्यवहार से प्राप्त ज्ञान, जिसे वास्तविक जीवन में अर्जित किया जाता है।

1.6 अपनी प्रगति जाँचें – संभावित उत्तर

उत्तर 1: सत्यापित एवं व्यवस्थित सूचना, अनुभव और समझ का समन्वित रूप ज्ञान कहलाता है।

उत्तर 2: अनुभव एवं तर्क।

उत्तर 3: सूचना तथ्य है, जबकि ज्ञान सत्यापित एवं समझी हुई सूचना है।

उत्तर 4: वैज्ञानिक ज्ञान एवं अनुभवात्मक ज्ञान।

उत्तर 5: अवलोकन एवं अनुसंधान।

1.7 सहायक पाठ्य सामग्री – मुक्त शैक्षिक संसाधन (OER)

- DIKSHA Portal
- SWAYAM
- e-PG Pathshala
- NCERT ePathshala
- National Digital Library of India (NDLI)
- NROER (National Repository of Open Educational Resources)

1.8 संदर्भ (APA 7th Edition)

- Aggarwal, J. C. (2022). Theory and Principles of Education. Vikas Publishing.
- Mangal, S. K., & Mangal, U. (2020). Essentials of Educational Psychology. PHI Learning.
- NCERT. (2023). National Curriculum Framework for School Education. New Delhi.
- Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education.
- Dewey, J. (1938). Experience and Education. Macmillan.

1.9 अभ्यास

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (संभावित उत्तर सहित)

1. ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

(अ) केवल सूचना देना

(ब) केवल परीक्षा उत्तीर्ण कराना

(स) सत्य का बोध एवं उचित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना

(द) केवल तथ्य याद कराना

उत्तर: (स) सत्य का बोध एवं उचित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना।

2. निम्नलिखित में से ज्ञान का प्रमुख स्रोत कौन-सा है?

(अ) अनुभव

(ब) अंधविश्वास

(स) भ्रम

(द) कल्पना

उत्तर: (अ) अनुभव।

3. 'सूचना' (Information) से क्या अभिप्राय है?

(अ) प्रमाणित समझ

(ब) तथ्य एवं आँकड़ों का संग्रह

(स) नैतिक मूल्य

(द) व्यक्तिगत अनुभव

उत्तर: (ब) तथ्य एवं आँकड़ों का संग्रह।

4. निम्नलिखित में से कौन-सा ज्ञान का प्रकार है?

(अ) वैज्ञानिक ज्ञान

(ब) काल्पनिक ज्ञान

(स) अंधविश्वास

(द) अफवाह

उत्तर: (अ) वैज्ञानिक ज्ञान।

5. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार क्या है?

(अ) परंपरा

(ब) अंधविश्वास

(स) तर्क, प्रमाण एवं प्रयोग

(द) अनुमान

उत्तर: (स) तर्क, प्रमाण एवं प्रयोग।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न-1 ज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न -2 ज्ञान के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए।

प्रश्न- 3 विश्वास एवं ज्ञान में अंतर लिखिए।

प्रश्न-4 ज्ञान के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

प्रश्न-5 ज्ञान की उत्पत्ति की प्रक्रिया समझाइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न-1 ज्ञान की अवधारणा, महत्व एवं स्रोतों का विस्तृत विवेचन कीजिए।

प्रश्न -2 ज्ञानविश्वास, सूचना, ज्ञान एवं समझ के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए शिक्षा में उनके महत्व की व्याख्या कीजिए।

इकाई - 2

ज्ञान और अधिगम

- 2.1 परिचय
- 2.2 उद्देश्य
- 2.3 ज्ञान और अधिगम
 - 2.3.1 ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया
 - 2.3.2 ज्ञान का शिक्षा में महत्व
 - 2.3.3 ज्ञान एवं अधिगम का संबंध
- 2.4 सारांश
- 2.5 शब्दावली
- 2.6 अपनी प्रगति जांचे - संभावित उत्तर
- 2.7 सहायक पाठ्य सामग्री
- 2.8 सन्दर्भ
- 2.9 अभ्यास

2.1 परिचय

ज्ञान और अधिगम शिक्षा की दो परस्पर पूरक अवधारणाएँ हैं। ज्ञान व्यक्ति को तथ्य, सिद्धांत एवं अनुभव का बोध कराता है, जबकि अधिगम उस ज्ञान को प्राप्त करने, समझने तथा व्यवहार में लागू करने की सतत प्रक्रिया है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अधिगम केवल जानकारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान के निर्माण, विश्लेषण, नवाचार तथा जीवनोपयोगी कौशलों के विकास पर बल देती है। इस इकाई में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया, शिक्षा में ज्ञान का महत्व तथा ज्ञान एवं अधिगम के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाएगा।

मनुष्य जन्म से ही अपने अनुभवों, परिवेश, सामाजिक अंतःक्रियाओं तथा शिक्षा के माध्यम से निरंतर सीखता रहता है। यह सीखने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। अधिगम के परिणामस्वरूप व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। ज्ञान और अधिगम एक-दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि प्रभावी अधिगम से ज्ञान का निर्माण होता है तथा अर्जित ज्ञान भविष्य के अधिगम को अधिक सार्थक बनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी अनुभवात्मक, सक्रिय एवं शिक्षार्थी-केंद्रित अधिगम पर विशेष बल देती है।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् शिक्षार्थी—

- ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को समझ सकेंगे।

- शिक्षा में ज्ञान के महत्व का वर्णन कर सकेंगे।
- ज्ञान एवं अधिगम के संबंध की व्याख्या कर सकेंगे।
- अधिगम में अनुभव एवं सहभागिता की भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे।
- ज्ञान निर्माण में शिक्षक एवं शिक्षार्थी की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे।

2.3 ज्ञान और अधिगम

I. ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया (Process of Knowledge Construction)

ज्ञान का निर्माण एक सतत एवं सक्रिय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षार्थी अनुभव, अवलोकन, चिंतन, तर्क, संवाद तथा समस्या-समाधान के माध्यम से नए ज्ञान का निर्माण करता है।

ज्ञान निर्माण के प्रमुख चरण

- अनुभव एवं अवलोकन
- सूचना का संकलन
- विश्लेषण एवं चिंतन
- तर्क एवं निष्कर्ष
- व्यवहार में प्रयोग
- आत्मचिंतन एवं पुनर्निर्माण

II. ज्ञान का शिक्षा में महत्व (Importance of Knowledge in Education)

- शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का आधार।
- तार्किक एवं आलोचनात्मक चिंतन का विकास।
- समस्या समाधान एवं निर्णय क्षमता का विकास।
- रचनात्मकता एवं नवाचार को प्रोत्साहन।
- नैतिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक विकास में सहायक।
- आजीवन अधिगम की प्रवृत्ति का विकास।

III. ज्ञान एवं अधिगम का संबंध (Relationship between Knowledge and Learning)

- अधिगम ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है।
- ज्ञान अधिगम का परिणाम एवं आधार दोनों है।
- प्रभावी अधिगम से ज्ञान का विस्तार होता है।
- पूर्व ज्ञान नए अधिगम को सरल एवं सार्थक बनाता है।
- ज्ञान एवं अधिगम मिलकर व्यक्तित्व विकास को सुदृढ़ करते हैं।
- दोनों मिलकर जीवनपर्यन्त सीखने की क्षमता विकसित करते हैं।

अपनी प्रगति जांचें-

प्रश्न 1. अधिगम से क्या अभिप्राय है?

प्रश्न 2. ज्ञान निर्माण का एक प्रमुख आधार लिखिए।

प्रश्न 3. शिक्षा में ज्ञान का क्या महत्व है?

प्रश्न 4. ज्ञान एवं अधिगम का क्या संबंध है?

प्रश्न 5. रचनावादी दृष्टिकोण का मुख्य आधार क्या है?

2.4 सारांश

ज्ञान और अधिगम शिक्षा प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। अधिगम के माध्यम से व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है तथा ज्ञान के आधार पर अपने अनुभवों, विचारों एवं व्यवहार को समृद्ध बनाता है। ज्ञान का निर्माण केवल सूचना प्राप्त करने से नहीं, बल्कि अनुभव, चिंतन, तर्क, सहयोग तथा व्यवहारिक अनुप्रयोग से होता है। आधुनिक शिक्षा में ज्ञान एवं अधिगम का उद्देश्य शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, समस्या-समाधान क्षमता तथा आजीवन सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना है। इस प्रकार ज्ञान और अधिगम एक-दूसरे के पूरक होकर समग्र व्यक्तित्व विकास का आधार बनते हैं।

2.5 शब्दावली

- ज्ञान (Knowledge): अध्ययन, अनुभव एवं तर्क से प्राप्त प्रमाणित समझ।
- अधिगम (Learning): अनुभव एवं अभ्यास के परिणामस्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन।
- ज्ञान निर्माण (Knowledge Construction): अनुभव एवं चिंतन के आधार पर नए ज्ञान का सृजन करने की प्रक्रिया।
- अनुभवात्मक अधिगम (Experiential Learning): प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया।
- पूर्व ज्ञान (Prior Knowledge): किसी विषय के बारे में पहले से उपलब्ध जानकारी एवं अनुभव।
- आलोचनात्मक चिंतन (Critical Thinking): तथ्यों का तर्कपूर्ण विश्लेषण एवं मूल्यांकन करने की क्षमता।
- रचनात्मकता (Creativity): नवीन एवं उपयोगी विचारों का सृजन करने की क्षमता।
- समस्या-समाधान (Problem Solving): किसी समस्या का तार्किक एवं प्रभावी समाधान खोजने की प्रक्रिया।
- आजीवन अधिगम (Lifelong Learning): जीवनभर निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति।
- रचनावादी दृष्टिकोण (Constructivist Approach): वह शिक्षण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है।

2.6 अपनी प्रगति जाँचें – संभावित उत्तर

उत्तर 1: अनुभव एवं अभ्यास से व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है।

उत्तर 2: अनुभव एवं चिंतन।

उत्तर 3: यह तार्किक चिंतन, समस्या-समाधान तथा व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है।

उत्तर 4: अधिगम ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है तथा ज्ञान उसका परिणाम एवं आधार है।

उत्तर 5: शिक्षार्थी स्वयं अनुभव एवं सहभागिता के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है।

2.7 सहायक पाठ्य सामग्री (मुक्त शैक्षिक संसाधन)

- DIKSHA Portal
- SWAYAM
- e-PG Pathshala
- NCERT ePathshala
- National Digital Library of India (NDLI)
- NROER (National Repository of Open Educational Resources)

2.8 संदर्भ (APA 7th Edition)

- Aggarwal, J. C. (2022). Theory and Principles of Education. Vikas Publishing.
- Bruner, J. S. (1966). Toward a Theory of Instruction. Harvard University Press.
- Piaget, J. (1972). The Psychology of the Child. Basic Books.
- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. Harvard University Press.
- Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education.

2.9 अभ्यास

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (उत्तर सहित)

1. ज्ञान निर्माण का प्रमुख आधार क्या है?

(अ) रटकर सीखना

(ब) अनुभव एवं चिंतन

(स) केवल परीक्षा

(द) केवल पाठ्यपुस्तक

उत्तर: (ब)

2. अधिगम का परिणाम क्या होता है?

(अ) व्यवहार में परिवर्तन

(ब) केवल सूचना संग्रह

(स) केवल अंक प्राप्ति

(द) केवल स्मरण

उत्तर: (अ)

3. रचनावादी दृष्टिकोण में ज्ञान का निर्माण कौन करता है?

(अ) शिक्षक

(ब) शिक्षार्थी

(स) अभिभावक

(द) समाज

उत्तर: (ब)

4. ज्ञान एवं अधिगम का संबंध है—

(अ) परस्पर पूरक

(ब) विरोधी

(स) असंबंधित

(द) अस्थायी

उत्तर: (अ)

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है?

(अ) रटने पर

(ब) अनुभवात्मक एवं शिक्षार्थी-केंद्रित अधिगम पर

(स) केवल परीक्षा पर

(द) केवल व्याख्यान पद्धति पर

उत्तर: (ब)

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न -1 ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न -2 शिक्षा में ज्ञान का महत्व लिखिए।

प्रश्न -3 ज्ञान एवं अधिगम के संबंध की व्याख्या कीजिए।

प्रश्न -4 अनुभवात्मक अधिगम क्या है?

प्रश्न -5 रचनावादी दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न -1 ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन कीजिए।

प्रश्न -2 ज्ञान एवं अधिगम के संबंध को स्पष्ट करते हुए शिक्षा में उनके महत्व की व्याख्या कीजिए।

खंड -2

पाठ्यक्रम की अवधारणा एवं विकास

इकाई -3

पाठ्यक्रम का अर्थ, प्रकृति एवं प्रकार

-
- 3.1 परिचय
 - 3.2 उद्देश्य
 - 3.3 पाठ्यक्रम का अर्थ, प्रकृति एवं प्रकार
 - 3.3.1 पाठ्यक्रम : अर्थ एवं अवधारणा
 - 3.3.2 पाठ्यक्रम की प्रकृति
 - 3.3.3 पाठ्यक्रम के प्रकार
 - 3.4 सारांश
 - 3.5 शब्दावली
 - 3.6 अपनी प्रगति जांचे- सम्भावित उत्तर
 - 3.7 पाठ्य सहायक सामग्री -शैक्षिक संसाधन
 - 3.8 सन्दर्भ
 - 3.9 अभ्यास के प्रश्न

3.1 परिचय

पाठ्यक्रम (Curriculum) शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत घटक है, जो शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को दिशा, उद्देश्य एवं संरचना प्रदान करता है। यह केवल विषय-वस्तु या पाठ्यपुस्तक तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यालय में शिक्षार्थी को प्राप्त होने वाले समस्त शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक अनुभवों का समग्र स्वरूप है। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक एवं व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी लचीले, समावेशी, कौशल-आधारित एवं शिक्षार्थी-केंद्रित पाठ्यक्रम पर विशेष बल देती है। इस इकाई में पाठ्यक्रम की अवधारणा, उसकी प्रकृति एवं विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया जाएगा।

शिक्षा के उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति के लिए सुव्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण पाठ्यक्रम का निर्माण आवश्यक है। पाठ्यक्रम शिक्षण की दिशा निर्धारित करता है तथा शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान करता है। समय, समाज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ पाठ्यक्रम की अवधारणा में भी परिवर्तन हुआ है। आज पाठ्यक्रम केवल विषयों की सूची नहीं, बल्कि जीवनोपयोगी ज्ञान, कौशल, मूल्यों, रचनात्मकता, नवाचार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के विकास का माध्यम माना जाता है। एक प्रभावी पाठ्यक्रम शिक्षार्थी की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं तथा समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप निर्मित किया जाता है, जिससे समग्र व्यक्तित्व विकास संभव हो सके।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् शिक्षार्थी—

- पाठ्यक्रम की अवधारणा एवं अर्थ को समझ सकेंगे।
- पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं एवं प्रकृति का वर्णन कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे।
- आधुनिक शिक्षा में पाठ्यक्रम की भूमिका एवं महत्व का विश्लेषण कर सकेंगे।
- शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की उपयोगिता स्पष्ट कर सकेंगे।

3.3 पाठ्यक्रम का अर्थ, प्रकृति एवं प्रकार

I. पाठ्यक्रम : अर्थ एवं अवधारणा (Meaning and Concept of Curriculum)

अर्थ :

पाठ्यक्रम वह समग्र शैक्षिक योजना है जिसके अंतर्गत शिक्षार्थी को विद्यालय अथवा शिक्षण संस्थान में प्राप्त होने वाले सभी शिक्षण, अधिगम, सह-शैक्षिक एवं अनुभवात्मक क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं।

अवधारणा :

पाठ्यक्रम शिक्षा का मार्गदर्शक दस्तावेज़ है। यह शिक्षण-अधिगम की दिशा एवं उद्देश्य निर्धारित करता है। इसमें विषय-वस्तु, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन तथा अधिगम अनुभव सम्मिलित होते हैं। आधुनिक पाठ्यक्रम शिक्षार्थी-केंद्रित एवं कौशल-आधारित होता है। यह व्यक्ति एवं समाज दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

पाठ्यक्रम का महत्व

- शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक।
- समग्र व्यक्तित्व विकास का आधार।
- ज्ञान, कौशल एवं मूल्यों का विकास।
- सामाजिक एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति।
- नवाचार एवं आजीवन अधिगम को प्रोत्साहन।

II. पाठ्यक्रम की प्रकृति (Nature of Curriculum)

पाठ्यक्रम की प्रकृति गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- **पाठ्यक्रम की प्रकृति** उद्देश्यपरक एवं योजनाबद्ध होती है।
- पाठ्यक्रम शिक्षार्थी-केंद्रित होती है।
- पाठ्यक्रम लचीला एवं परिवर्तनशील होती है।
- पाठ्यक्रम समाज एवं संस्कृति से संबंधित होती है।

- पाठ्यक्रम अनुभव आधारित होती है।
- शिक्षार्थी के समग्र विकास पर आधारित।
- पाठ्यक्रम मूल्य एवं कौशल उन्मुख होती है
- लोकतांत्रिक एवं समावेशी होती है।
- पाठ्यक्रम सतत मूल्यांकन पर आधारित होती है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होती है।

III. पाठ्यक्रम के प्रकार (Types of Curriculum)

1. विषय-केंद्रित पाठ्यक्रम (Subject-Centred Curriculum)

जिसमें विषय-वस्तु को प्रमुख स्थान दिया जाता है।

2. शिक्षार्थी-केंद्रित पाठ्यक्रम (Learner-Centred Curriculum)

जिसमें विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षण की योजना बनाई जाती है।

3. गतिविधि-केंद्रित पाठ्यक्रम (Activity-Centred Curriculum)

जिसमें सीखने की प्रक्रिया गतिविधियों एवं अनुभवों पर आधारित होती है।

4. अनुभव-केंद्रित पाठ्यक्रम (Experience-Centred Curriculum)

जिसमें वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से अधिगम कराया जाता है।

5. समन्वित पाठ्यक्रम (Integrated Curriculum)

जिसमें विभिन्न विषयों का परस्पर समन्वय किया जाता है।

6. कौशल-आधारित पाठ्यक्रम (Skill-Based Curriculum)

जिसका उद्देश्य जीवनोपयोगी एवं व्यावसायिक कौशलों का विकास करना है।

7. दक्षता-आधारित पाठ्यक्रम (Competency-Based Curriculum)

जिसमें अधिगम परिणामों एवं दक्षताओं की प्राप्ति पर बल दिया जाता है।

अपनी प्रगति जांचें-

प्रश्न 1. पाठ्यक्रम से क्या अभिप्राय है?

प्रश्न 2. आधुनिक पाठ्यक्रम की एक विशेषता लिखिए।

प्रश्न 3. विषय-केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है?

प्रश्न 4. समन्वित पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है?

प्रश्न 5. पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

3.4 सारांश

पाठ्यक्रम शिक्षा व्यवस्था का मूल आधार है, जो शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को दिशा एवं उद्देश्य प्रदान करता है। आधुनिक दृष्टिकोण में पाठ्यक्रम केवल विषय-वस्तु तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षार्थियों के समग्र विकास हेतु आवश्यक सभी अनुभवों, गतिविधियों, मूल्यों एवं कौशलों को समाहित करता है। इसकी प्रकृति गतिशील, लचीली, शिक्षार्थी-केंद्रित एवं समाजोपयोगी होती है। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं एवं शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रभावी पाठ्यक्रम ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार तथा राष्ट्रीय विकास का आधार बनता है।

3.5 शब्दावली

- पाठ्यक्रम (Curriculum): शिक्षण-अधिगम के सभी नियोजित अनुभवों का समग्र स्वरूप।
- अवधारणा (Concept): किसी विषय का मूल विचार या सिद्धांत।
- प्रकृति (Nature): किसी वस्तु या प्रक्रिया की मूल विशेषताएँ।
- शिक्षार्थी-केंद्रित पाठ्यक्रम: शिक्षार्थी की आवश्यकताओं एवं रुचियों पर आधारित पाठ्यक्रम।
- विषय-केंद्रित पाठ्यक्रम: विषय-वस्तु को केंद्र में रखकर निर्मित पाठ्यक्रम।
- गतिविधि-केंद्रित पाठ्यक्रम: गतिविधियों के माध्यम से अधिगम कराने वाला पाठ्यक्रम।
- समन्वित पाठ्यक्रम: विभिन्न विषयों का एकीकृत अध्ययन।
- कौशल-आधारित पाठ्यक्रम: व्यावहारिक एवं जीवनोपयोगी कौशलों के विकास पर आधारित पाठ्यक्रम।
- दक्षता (Competency): किसी कार्य को प्रभावी ढंग से करने की योग्यता।
- समग्र विकास (Holistic Development): बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास।

3.6 अपनी प्रगति जाँचें – संभावित उत्तर

उत्तर 1: शिक्षार्थी को प्रदान किए जाने वाले सभी नियोजित शिक्षण एवं अधिगम अनुभवों का समग्र स्वरूप।

उत्तर 2: यह शिक्षार्थी-केंद्रित एवं लचीला होता है।

उत्तर 3: वह पाठ्यक्रम जिसमें विषय-वस्तु को प्रमुख स्थान दिया जाता है।

उत्तर 4: विभिन्न विषयों को परस्पर जोड़कर अध्ययन कराना।

उत्तर 5: शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं शिक्षार्थी का समग्र विकास।

3.7 पाठ्य सहायक सामग्री (मुक्त शैक्षिक संसाधन)

- DIKSHA Portal
 - SWAYAM
 - e-PG Pathshala
 - NCERT ePathshala
 - National Digital Library of India (NDLI)
 - NROER (National Repository of Open Educational Resources)
-

3.8 संदर्भ (APA 7th Edition)

- Aggarwal, J. C. (2022). Theory and Principles of Education. Vikas Publishing House.
 - Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). Curriculum: Foundations, Principles and Issues (7th ed.). Pearson.
 - Taba, H. (1962). Curriculum Development: Theory and Practice. Harcourt Brace.
 - Tyler, R. W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. University of Chicago Press.
 - Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education.
-

3.9 अभ्यास

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (उत्तर सहित)

क. पाठ्यक्रम का अंग्रेज़ी पर्यायवाची शब्द है—

(अ) Syllabus

(ब) Curriculum

(स) Content

(द) Evaluation

उत्तर: (ब) Curriculum

ख. आधुनिक पाठ्यक्रम का प्रमुख आधार क्या है?

(अ) शिक्षक-केंद्रित

(ब) शिक्षार्थी-केंद्रित

(स) परीक्षा-केंद्रित

(द) पुस्तक-केंद्रित

उत्तर: (ब) शिक्षार्थी-केंद्रित

ग. समग्र विकास किसका उद्देश्य है?

(अ) केवल परीक्षा का

(ब) पाठ्यक्रम का

(स) गृहकार्य का

(द) अनुशासन का

उत्तर: (ब) पाठ्यक्रम का

घ. गतिविधि-केंद्रित पाठ्यक्रम में किस पर बल दिया जाता है?

(अ) रटने पर

(ब) गतिविधियों एवं अनुभवों पर

(स) केवल व्याख्यान पर

(द) केवल परीक्षा पर

उत्तर: (ब)

च. दक्षता-आधारित पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(अ) केवल अंक प्राप्त करना

(ब) दक्षताओं एवं अधिगम परिणामों का विकास

(स) केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ना

(द) केवल गृहकार्य कराना

उत्तर: (ब)

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न-1 पाठ्यक्रम का अर्थ एवं अवधारणा स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न -2 पाठ्यक्रम की पाँच प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।

प्रश्न -3 शिक्षार्थी-केंद्रित एवं विषय-केंद्रित पाठ्यक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न -4 समन्वित पाठ्यक्रम क्या है?

प्रश्न -5 आधुनिक शिक्षा में पाठ्यक्रम का महत्व स्पष्ट कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न -1 पाठ्यक्रम का अर्थ, प्रकृति एवं प्रकारों का विस्तृत विवेचन कीजिए।

प्रश्न -2 आधुनिक शिक्षा में पाठ्यक्रम की भूमिका एवं महत्व का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

इकाई - 4

पाठ्यक्रम के आधार एवं निर्माण

4.1 परिचय

4.2 उद्देश्य

4.3 पाठ्यक्रम के आधार एवं निर्माण

4.3.1 पाठ्यक्रम के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक आधार

4.3.2 पाठ्यक्रम, सिलेबस एवं पाठ्यपुस्तक का संबंध

4.3.3 पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत

4.3.4 पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया

4.4 सारांश

4.5 शब्दावली

4.6 अपनी प्रगति जांचे- संभावित उत्तर

4.7 सहायक पाठ्य सामग्री - शैक्षिक संसाधन

4.8 सन्दर्भ

4.9 अभ्यास प्रश्न

4.1 परिचय

शिक्षा की गुणवत्ता, प्रासंगिकता तथा प्रभावशीलता का निर्धारण मुख्यतः पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है। पाठ्यक्रम केवल विषय-वस्तु या अध्ययन सामग्री का संग्रह नहीं है, बल्कि यह शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का समग्र स्वरूप प्रस्तुत करता है। इसमें विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, मूल्यों तथा व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक सभी शैक्षिक अनुभवों का समावेश होता है। एक सुविचारित एवं वैज्ञानिक पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, समाज की अपेक्षाओं तथा राष्ट्र के विकास लक्ष्यों के अनुरूप निर्मित किया जाता है।

पाठ्यक्रम निर्माण एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है, जो समय, समाज, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा दर्शन में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार विकसित होती रहती है। किसी भी पाठ्यक्रम की सफलता उसके दार्शनिक, समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक आधारों पर निर्भर करती है। ये आधार यह निर्धारित

करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, शिक्षण की दिशा कैसी होगी तथा विद्यार्थियों के विकास के लिए कौन-सी विषयवस्तु एवं अधिगम अनुभव उपयुक्त होंगे।

वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) ने पाठ्यक्रम को अधिक लचीला, बहुविषयक, कौशल-आधारित, अनुभवात्मक एवं शिक्षार्थी-केंद्रित बनाने पर बल दिया है। साथ ही, भारतीय ज्ञान प्रणाली (Indian Knowledge System), नैतिक मूल्यों, जीवन-कौशल, डिजिटल साक्षरता तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) को भी पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया गया है। इसलिए आधुनिक पाठ्यक्रम केवल ज्ञानार्जन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवनोपयोगी दक्षताओं तथा उत्तरदायी नागरिकता के विकास का माध्यम भी है।

पाठ्यक्रम शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तम्भ है। किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की शिक्षण प्रक्रिया उसी दिशा में संचालित होती है, जो उसके पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि पाठ्यक्रम सुव्यवस्थित, उद्देश्यपरक एवं समयानुकूल है, तो शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी एवं परिणामोन्मुख होती है।

पाठ्यक्रम का निर्माण अनेक आधारों को ध्यान में रखकर किया जाता है। दार्शनिक आधार शिक्षा के उद्देश्यों एवं मूल्यों का निर्धारण करते हैं, समाजशास्त्रीय आधार समाज की आवश्यकताओं एवं सांस्कृतिक अपेक्षाओं को सम्मिलित करते हैं तथा मनोवैज्ञानिक आधार विद्यार्थियों की आयु, रुचि, क्षमता, अभिरुचि एवं विकास स्तर के अनुरूप शिक्षण सामग्री का चयन करने में सहायता प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम, सिलेबस एवं पाठ्यपुस्तक के मध्य स्पष्ट संबंध स्थापित करना भी आवश्यक है। पाठ्यक्रम सम्पूर्ण शैक्षिक अनुभवों का दायरा प्रस्तुत करता है, जबकि सिलेबस उसी का विषयवार स्वरूप होता है और पाठ्यपुस्तक सिलेबस के अध्ययन का प्रमुख साधन होती है।

आधुनिक शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया सहभागितापूर्ण, अनुसंधान-आधारित तथा निरंतर मूल्यांकन पर आधारित होती है। इसमें शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं, अभिभावकों तथा समाज की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित होती है। इस प्रकार एक प्रभावी पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय प्रगति तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करता है।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् शिक्षार्थी—

- पाठ्यक्रम के आधार एवं निर्माण की अवधारणा को समझ सकेंगे।
- पाठ्यक्रम के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक आधारों का वर्णन कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम, सिलेबस एवं पाठ्यपुस्तक के मध्य संबंध स्पष्ट कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया का क्रमबद्ध अध्ययन कर सकेंगे।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम की विशेषताओं को समझ सकेंगे।

- आधुनिक शिक्षा में ICT एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे।

4.3 पाठ्यक्रम के आधार एवं निर्माण

1. पाठ्यक्रम के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक आधार

(क) पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार (Philosophical Foundations of Curriculum)

शिक्षा का दर्शन पाठ्यक्रम निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। दर्शन यह निर्धारित करता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, विद्यार्थियों में किन मूल्यों का विकास किया जाएगा तथा समाज किस प्रकार के नागरिकों का निर्माण करना चाहता है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय-वस्तु, शिक्षण-अधिगम अनुभव, शिक्षण विधियाँ तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया सभी किसी-न-किसी दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित होती हैं। इस दृष्टि से दर्शन पाठ्यक्रम को दिशा, उद्देश्य तथा मूल्य प्रदान करता है।

प्रमुख दार्शनिक आधार निम्नलिखित हैं—

1. आदर्शवाद (Idealism)

आदर्शवाद सत्य, शिव एवं सुंदर के मूल्यों पर बल देता है। इस दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, नैतिक विकास तथा आध्यात्मिक उन्नति है। इसलिए आदर्शवादी पाठ्यक्रम में साहित्य, दर्शन, धर्म, नैतिक शिक्षा एवं भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को विशेष स्थान दिया जाता है।

2. यथार्थवाद (Realism)

यथार्थवाद वस्तुनिष्ठ ज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्त्व देता है। इस आधार पर विज्ञान, गणित, पर्यावरण अध्ययन तथा अनुभवजन्य ज्ञान को पाठ्यक्रम में प्रमुखता दी जाती है।

3. प्रकृतिवाद (Naturalism)

प्रकृतिवाद बालक-केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। इसके अनुसार पाठ्यक्रम बालक की रुचि, क्षमता एवं प्राकृतिक विकास के अनुरूप होना चाहिए। इसमें खेल, गतिविधि एवं प्रत्यक्ष अनुभव को महत्त्व दिया जाता है।

4. प्रयोजनवाद (Pragmatism)

प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम में समस्या-समाधान, परियोजना कार्य, अनुभवात्मक अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम तथा कार्यानुभव को सम्मिलित किया जाता है।

5. भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण

भारतीय ज्ञान परम्परा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास, आत्मबोध, नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा लोक कल्याण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी भारतीय ज्ञान प्रणाली, संवैधानिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक विरासत के समावेश पर बल देती है।

(ख) पाठ्यक्रम के समाजशास्त्रीय आधार (Sociological Foundations of Curriculum)

समाजशास्त्रीय आधार यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं, संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप हो। शिक्षा समाज का दर्पण भी है और समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम भी। पाठ्यक्रम के प्रमुख समाजशास्त्रीय आधार निम्नलिखित हैं—

- समाज एवं संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन।
- राष्ट्रीय एकता एवं भावनात्मक एकीकरण।
- लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास।
- सामाजिक न्याय एवं समान अवसर।
- लैंगिक समानता एवं समावेशी शिक्षा।
- पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास।
- वैश्विक नागरिकता एवं अंतरराष्ट्रीय समझ।
- सामाजिक परिवर्तन एवं नवाचार।

स्थानीय आवश्यकताओं एवं समुदाय की सहभागिता।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में स्थानीय कला, भाषा, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, जीवन-कौशल तथा सामुदायिक सहभागिता को विशेष महत्त्व दिया जाना चाहिए।

(ग) पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार (Psychological Foundations of Curriculum)

मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम को शिक्षार्थी-केंद्रित बनाते हैं। उनके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण विद्यार्थियों की आयु, मानसिक स्तर, रुचि, क्षमता, आवश्यकताओं, अभिप्रेरणा तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

मुख्य मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित हैं—

- बालक-केंद्रित शिक्षा।
- विकास की अवस्थाओं के अनुरूप विषय-वस्तु।
- व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान।
- रुचि एवं अभिरुचि पर आधारित अधिगम।
- सरल से कठिन तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर।
- क्रियात्मक एवं अनुभवात्मक अधिगम।

- समस्या-समाधान एवं रचनात्मक चिंतन।
- सतत प्रतिपुष्टि एवं मूल्यांकन।
- प्रेरणा एवं आत्म-अधिगम का विकास।
- आज के समय में ICT, डिजिटल अधिगम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लेंडेड लर्निंग तथा व्यक्तिगत अधिगम भी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाते हैं।

II. पाठ्यक्रम, सिलेबस एवं पाठ्यपुस्तक का संबंध

पाठ्यक्रम, सिलेबस तथा पाठ्यपुस्तक शिक्षा के तीन परस्पर सम्बद्ध घटक हैं। यद्यपि इसका उद्देश्य शिक्षण-अधिगम को प्रभावी बनाना है, फिर भी उनका कार्यक्षेत्र अलग-अलग होता है।

पाठ्यक्रम (Curriculum) सम्पूर्ण शैक्षिक अनुभवों, उद्देश्यों, विषय-वस्तु, शिक्षण विधियों, सहगामी गतिविधियों तथा मूल्यांकन की व्यापक योजना है।

सिलेबस (Syllabus) पाठ्यक्रम का विषय-विशिष्ट भाग है, जिसमें किसी कक्षा या विषय में पढ़ाए जाने वाले अध्याय, इकाइयां एवं विषय-वस्तु का क्रम निर्धारित होता है।

पाठ्यपुस्तक (Textbook) सिलेबस के आधार पर तैयार की गई अध्ययन सामग्री है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी विषय-वस्तु का अध्ययन करते हैं।

तीनों के मध्य संबंध

- पाठ्यक्रम सबसे व्यापक अवधारणा है।
- सिलेबस, पाठ्यक्रम का एक भाग है।
- पाठ्यपुस्तक, सिलेबस के अध्ययन का प्रमुख साधन है।
- पाठ्यक्रम शिक्षा की दिशा निर्धारित करता है।
- सिलेबस शिक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
- पाठ्यपुस्तक अधिगम को सरल एवं व्यवस्थित बनाती है।
- प्रभावी शिक्षा के लिए तीनों में समन्वय आवश्यक है।

III. पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत (Principles of Curriculum Construction)

पाठ्यक्रम निर्माण एक सुनियोजित, वैज्ञानिक एवं सतत प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना है जो शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास, समाज की आवश्यकताओं तथा राष्ट्र के लक्ष्यों की पूर्ति कर सके। पाठ्यक्रम निर्माण के समय अनेक सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जिससे शिक्षा अधिक प्रभावी, उद्देश्यपूर्ण तथा जीवनोपयोगी बन सके।

1. उद्देश्यपरकता का सिद्धांत (Principle of Purposefulness)

पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के स्पष्ट एवं निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। प्रत्येक विषय, गतिविधि एवं अधिगम अनुभव का संबंध शैक्षिक उद्देश्यों से होना आवश्यक है। उद्देश्य स्पष्ट होने पर शिक्षण एवं मूल्यांकन भी अधिक प्रभावी बनते हैं।

2. बालक-केंद्रिता का सिद्धांत (Child-Centeredness)

पाठ्यक्रम का केन्द्र शिक्षार्थी होना चाहिए। इसकी विषय-वस्तु विद्यार्थियों की आयु, रुचि, क्षमता, आवश्यकताओं, अभिरुचि तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इससे अधिगम अधिक सार्थक एवं स्थायी बनता है।

3. जीवनोपयोगी का सिद्धांत (Utility)

पाठ्यक्रम में ऐसी विषय-वस्तु एवं गतिविधियों का समावेश होना चाहिए जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन, सामाजिक व्यवहार, रोजगार, आत्मनिर्भरता तथा जीवन-कौशल के विकास में सहायक हों।

4. लचीलेपन का सिद्धांत (Flexibility)

समाज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम भी समयानुकूल संशोधित एवं अद्यतन होने योग्य होना चाहिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का भी एक प्रमुख सिद्धांत है।

5. समन्वय का सिद्धांत (Integration)

ज्ञान को अलग-अलग विषयों तक सीमित न रखकर विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। अंतर्विषयक (Interdisciplinary) एवं बहुविषयक (Multidisciplinary) दृष्टिकोण विद्यार्थियों में समग्र समझ विकसित करता है।

6. क्रियात्मकता का सिद्धांत (Activity Principle)

शिक्षार्थी स्वयं कार्य करके अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। इसलिए परियोजना कार्य, प्रयोग, सर्वेक्षण, खेल, समूह कार्य, चर्चा तथा अनुभवात्मक अधिगम को पाठ्यक्रम का भाग बनाया जाना चाहिए।

7. सामाजिक प्रासंगिकता का सिद्धांत (Social Relevance)

पाठ्यक्रम समाज की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। इसमें लोकतंत्र, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास तथा राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों का समुचित समावेश होना चाहिए।

8. सांस्कृतिक संरक्षण का सिद्धांत (Cultural Preservation)

पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय संस्कृति, संविधानिक मूल्य, नैतिक शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS), स्थानीय परम्पराओं तथा सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाना चाहिए।

9. निरंतरता एवं क्रमबद्धता का सिद्धांत (Continuity and Sequence)

पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात तथा ठोस से अमूर्त के सिद्धांतों के अनुसार क्रमबद्ध होनी चाहिए, जिससे अधिगम सतत एवं व्यवस्थित रूप से विकसित हो सके।

10. मूल्यांकन का सिद्धांत (Evaluation Principle)

पाठ्यक्रम में निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की उपलब्धियों का आकलन किया जा सके तथा आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में सुधार किया जा सके।

11. प्रौद्योगिकी समावेशन का सिद्धांत (Integration of ICT)

वर्तमान डिजिटल युग में पाठ्यक्रम में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ई-लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग तथा डिजिटल संसाधनों का समुचित समावेश आवश्यक है। इससे अधिगम अधिक रोचक, सुलभ एवं प्रभावी बनता है।

IV. पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया (Curriculum Development Process)

पाठ्यक्रम विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें योजना, निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा संशोधन के माध्यम से पाठ्यक्रम को समयानुकूल एवं प्रभावी बनाया जाता है।

1. आवश्यकताओं का निर्धारण (Assessment of Needs)

सबसे पहले शिक्षार्थियों, समाज, राष्ट्र एवं रोजगार जगत की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है। साथ ही स्थानीय एवं वैश्विक परिवर्तनों का भी विश्लेषण किया जाता है।

2. शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण (Formulation of Objectives)

आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जिससे शिक्षण की दिशा स्पष्ट हो सके।

3. विषय-वस्तु का चयन (Selection of Content)

उद्देश्यों के अनुरूप उपयुक्त, अद्यतन, वैज्ञानिक, उपयोगी एवं शिक्षार्थी-केंद्रित विषय-वस्तु का चयन किया जाता है।

4. विषय-वस्तु का संगठन (Organization of Content)

चयनित विषय-वस्तु को तार्किक एवं क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। इसमें सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात तथा विकासात्मक क्रम का ध्यान रखा जाता है।

5. अधिगम अनुभवों का चयन (Selection of Learning Experiences)

ऐसी गतिविधियाँ एवं शिक्षण-अधिगम अनुभव निर्धारित किए जाते हैं जिनसे विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीख सकें। इसमें परियोजना कार्य, प्रयोग, भ्रमण, समूह चर्चा, प्रस्तुतीकरण, समस्या-समाधान एवं ICT आधारित अधिगम को सम्मिलित किया जाता है।

6. शिक्षण विधियों एवं संसाधनों का चयन (Selection of Methods and Resources)

उपयुक्त शिक्षण विधियों, शैक्षिक तकनीकों, डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, स्मार्ट कक्षा तथा ई-संसाधनों का चयन किया जाता है।

7. मूल्यांकन की योजना (Planning for Evaluation)

पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति का आकलन करने के लिए निर्माणात्मक (Formative), संकलनात्मक (Summative), निदानात्मक (Diagnostic) तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) की योजना बनाई जाती है।

8. क्रियान्वयन (Implementation)

निर्मित पाठ्यक्रम को विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। इस चरण में शिक्षकों का प्रशिक्षण, संसाधनों की उपलब्धता एवं प्रशासनिक सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।

9. प्रतिपुष्टि एवं संशोधन (Feedback and Revision)

पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के पश्चात विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, विषय विशेषज्ञों एवं अन्य हितधारकों से प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है। इसके आधार पर आवश्यक संशोधन एवं सुधार किए जाते हैं, जिससे पाठ्यक्रम समयानुकूल एवं प्रभावी बना रहे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में पाठ्यक्रम विकास की विशेषताएँ

शिक्षार्थी-केंद्रित एवं अनुभवात्मक अधिगम।

बहुविषयक एवं लचीला पाठ्यक्रम।

कौशल एवं दक्षता-आधारित शिक्षा।

भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) का समावेश।

डिजिटल शिक्षा एवं ICT का व्यापक उपयोग।

समावेशी, न्यायसंगत एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।

आलोचनात्मक चिंतन, नवाचार एवं रचनात्मकता का विकास।

स्थानीय से वैश्विक दृष्टिकोण का समन्वय।

अपनी प्रगति जांचें-

1. पाठ्यक्रम से क्या अभिप्राय है?
2. पाठ्यक्रम निर्माण के तीन प्रमुख आधार कौन-से हैं?
3. सिलेबस और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है?
4. पाठ्यक्रम निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत लिखिए।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पाठ्यक्रम के संबंध में क्या बल देती है?

4.4 सारांश

पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली का मूल आधार है, जो शिक्षण-अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया को दिशा एवं उद्देश्य प्रदान करता है। यह केवल विषय-वस्तु का संग्रह नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, मूल्यों, अभिवृत्तियों तथा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए नियोजित समस्त शैक्षिक अनुभवों का समुच्चय है। पाठ्यक्रम का निर्माण दार्शनिक, समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक आधारों पर किया जाता है, जिससे वह शिक्षार्थियों, समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बन सके।

दार्शनिक आधार शिक्षा के उद्देश्यों एवं मूल्यों का निर्धारण करते हैं, समाजशास्त्रीय आधार समाज की संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं सामाजिक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करते हैं तथा मनोवैज्ञानिक आधार शिक्षार्थियों की आयु, रुचि, क्षमता एवं विकास स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायता करते हैं। इसी प्रकार पाठ्यक्रम, सिलेबस एवं पाठ्यपुस्तक एक-दूसरे के पूरक हैं, जिनके समन्वय से प्रभावी शिक्षण-अधिगम संभव होता है।

पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत—जैसे उद्देश्यपरकता, बालक-केंद्रितता, लचीलापन, जीवनोपयोगी, सामाजिक प्रासंगिकता, समन्वय, निरंतरता एवं मूल्यांकन—एक गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में आवश्यकताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्धारण, विषय-वस्तु का चयन एवं संगठन, अधिगम अनुभवों का निर्धारण, मूल्यांकन तथा सतत संशोधन सम्मिलित होते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने पाठ्यक्रम को अधिक लचीला, बहुविषयक, कौशल-आधारित, अनुभवात्मक एवं शिक्षार्थी-केंद्रित बनाने पर बल दिया है। साथ ही भारतीय ज्ञान प्रणाली, डिजिटल शिक्षा, समावेशी शिक्षा, आलोचनात्मक चिंतन तथा 21वीं सदी के कौशलों को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाने की अनुशंसा की है।

4.5 शब्दावली (Glossary)

1. पाठ्यक्रम (Curriculum) = विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए नियोजित समस्त शैक्षिक अनुभवों, विषय-वस्तु एवं गतिविधियों की समग्र योजना
2. सिलेबस (Syllabus) = किसी विषय या कक्षा में निर्धारित अध्यायों एवं अध्ययन सामग्री की रूपरेखा।
3. पाठ्यपुस्तक (Textbook) = सिलेबस के अनुसार तैयार की गई अध्ययन एवं शिक्षण हेतु निर्धारित पुस्तक।

4. पाठ्यक्रम निर्माण (Curriculum Construction)=शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार पाठ्यक्रम की योजना, स्वरूप एवं विषय-वस्तु तैयार करने की प्रक्रिया।

5. पाठ्यक्रम विकास (Curriculum Development)=समय, आवश्यकता एवं मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण, क्रियान्वयन, सुधार एवं संशोधन करने की सतत प्रक्रिया।

6. दार्शनिक आधार (Philosophical Foundation)

वे विचार एवं सिद्धांत जो शिक्षा के उद्देश्य, मूल्य तथा दिशा निर्धारित करते हैं।

7. समाजशास्त्रीय आधार (Sociological Foundation)= समाज, संस्कृति, सामाजिक आवश्यकताओं एवं मूल्यों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण।

8. मनोवैज्ञानिक आधार (Psychological Foundation)=शिक्षार्थियों की आयु, रुचि, क्षमता, आवश्यकताओं एवं विकास स्तर के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण।

9. अधिगम अनुभव (Learning Experiences)=वे सभी गतिविधियां एवं अनुभव जिनके माध्यम से विद्यार्थी जीवन, कौशल एवं मूल्य प्राप्त करते हैं।

10. मूल्यांकन (Evaluation)=शिक्षण-अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा विद्यार्थियों की उपलब्धियों का व्यवस्थित आकलन करने की प्रक्रिया।

4.6 अपनी प्रगति जाँचें (संभावित उत्तर)

उत्तर 1: पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु आयोजित समस्त शैक्षिक अनुभवों का समुच्चय है।

उत्तर 2: दार्शनिक, समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक आधार।

उत्तर 3: सिलेबस पाठ्यक्रम का विषय-विशिष्ट भाग है, जबकि पाठ्यक्रम सम्पूर्ण शैक्षिक योजना है।

उत्तर 4: बालक-केंद्रित (Child-Centeredness)।

उत्तर 5: लचीले, बहुविषयक, कौशल-आधारित, अनुभवात्मक एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली से युक्त पाठ्यक्रम पर बल देती है।

4.7 पाठ्य सामग्री एवं मुक्त शैक्षिक संसाधन

- DIKSHA Portal
- SWAYAM
- SWAYAM PRABHA
- NCERT e-Pathshala
- NROER (National Repository of Open Educational Resources)

- e-PG Pathshala
- National Curriculum
- Framework (NCF–2023)
- National Education Policy–2020 दस्तावेज़
- NCF NCERT +1

4.8 संदर्भ (APA 7th Edition)

- Ministry of Education. (2020). National Education Policy 2020. Government of India.
- NCERT. (2023). National Curriculum Framework for School Education. New Delhi.
- Tyler, R. W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. University of Chicago Press.
- Taba, H. (1962). Curriculum Development: Theory and Practice. Harcourt Brace.
- Aggarwal, J. C. (2022). Theory and Principles of Education. Vikas Publishing.
- Mangal, S. K., & Mangal, U. (2020). Essentials of Educational Psychology. PHI Learning.

4.9 अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (संभावित उत्तर सहित)

1. पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख दार्शनिक आधार क्या निर्धारित करता है?

(अ) परीक्षा का समय

(ब) शिक्षा के उद्देश्य एवं मूल्य

(स) विद्यालय का भवन

(द) शिक्षकों का वेतन

उत्तर: (ब) शिक्षा के उद्देश्य एवं मूल्य

2. निम्नलिखित में से कौन-सा पाठ्यक्रम निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार है?

(अ) बालक की रुचि एवं क्षमता

(ब) विद्यालय की आय

(स) भवन निर्माण

(द) परिवहन व्यवस्था

उत्तर: (अ) बालक की रुचि एवं क्षमता

3. सिलेबस (Syllabus) किसका भाग होता है?

(अ) पाठ्यपुस्तक

(ब) परीक्षा प्रणाली

(स) पाठ्यक्रम

(द) समय-सारिणी

उत्तर: (स) पाठ्यक्रम

4. पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है?

(अ) मूल्यांकन

(ब) विषय-वस्तु का संगठन

(स) आवश्यकताओं का निर्धारण

(द) पाठ्यपुस्तक का चयन

उत्तर: (स) आवश्यकताओं का निर्धारण

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या है?

(अ) केवल परीक्षा-केंद्रित शिक्षा

(ब) केवल सैद्धांतिक ज्ञान

(स) रटने पर आधारित अधिगम

(द) लचीला, बहु विषयक एवं कौशल-आधारित पाठ्यक्रम

उत्तर: (द) लचीला, बहु विषयक एवं कौशल-आधारित पाठ्यक्रम

(ख) अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. पाठ्यक्रम की परिभाषा लिखिए।
2. दार्शनिक आधार से क्या अभिप्राय है?
3. समाजशास्त्रीय आधार का महत्व लिखिए।
4. पाठ्यक्रम विकास क्या है?
5. अधिगम अनुभव से क्या तात्पर्य है?

(ग) लघु उत्तरीय प्रश्न

1. पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधारों की व्याख्या कीजिए।
2. पाठ्यक्रम, सिलेबस एवं पाठ्यपुस्तक में अंतर स्पष्ट कीजिए।
3. पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।
4. पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

(घ) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. पाठ्यक्रम के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक आधारों की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए।
2. पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों एवं पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया का समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आलोक में आधुनिक पाठ्यक्रम की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए।

इकाई 5

पाठ्यक्रम के आधार (Foundations of Curriculum)

- 5.1 परिचय
- 5.2 उद्देश्य
- 5.3 पाठ्यक्रम के आधार (Foundations of Curriculum)
 - 5.3.1 पाठ्यक्रम का अर्थ एवं अवधारणा
 - 5.3.2 पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार (Philosophical Foundations)
 - 5.3.3 पाठ्यक्रम के समाजशास्त्रीय आधार (Sociological Foundations)
 - 5.3.4 पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार (Psychological Foundations)
- 5.4 सारांश
- 5.5 शब्दावली
- 5.6 अपनी प्रगति जांचे - संभावित उत्तर
- 5.7 सहायक पाठ्य सामग्री - मुक्त शैक्षिक संसाधन
- 5.8 संदर्भ
- 5.9 अभ्यास

5.1 परिचय

शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का स्थान अत्यंत केंद्रीय और महत्वपूर्ण है। सामान्यतः इसे केवल विषयों, पुस्तकों या पाठ्य-विवरण का संकलन समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में यह उन सभी नियोजित शिक्षण-अधिगम अनुभवों का एक संगठित स्वरूप है जिन्हें कोई शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार करता है। किसी भी राष्ट्र या समाज की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का सीमा निर्धारण उसके पाठ्यक्रम से ही होता है। एक प्रासंगिक और जीवंत पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में न केवल किताबी ज्ञान का संचार करता है, बल्कि उन्हें विश्लेषणात्मक सोच, व्यावहारिक कौशल, नैतिक मूल्यों और जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता का भी विकास करता है।

एक संतुलित और प्रभावी पाठ्यक्रम का निर्माण अचानक नहीं होता, बल्कि यह मजबूत दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक आधारों पर टिका होता है। इसका दार्शनिक आधार शिक्षा के मूल उद्देश्यों और जीवन-मूल्यों को तय करता है, समाजशास्त्रीय आधार समाज की आवश्यकताओं, संस्कृति और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप सामग्री का चयन करता है, तथा मनोवैज्ञानिक आधार शिक्षार्थी की

आयु, मानसिक स्तर, रुचियों और सीखने की गति के अनुसार शिक्षण विधियों को ढालने का कार्य करता है। ये तीनों आधार मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति और समाज दोनों का संतुलित विकास हो। इस इकाई के अंतर्गत पाठ्यक्रम की इसी विस्तृत अवधारणा और उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन प्रमुख आधारों का गहन अध्ययन किया जाएगा।

5.2 उद्देश्य (Learning Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् शिक्षार्थी—

- पाठ्यक्रम की अवधारणा एवं अर्थ को समझ सकेंगे।
- पाठ्यक्रम के महत्व का वर्णन कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधारों की व्याख्या कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम के समाजशास्त्रीय आधारों का विश्लेषण कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधारों का वर्णन कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम निर्माण में विभिन्न आधारों की भूमिका का मूल्यांकन कर सकेंगे।

5.3 पाठ्यक्रम का अर्थ एवं अवधारणा (Meaning and Concept of Curriculum)

पाठ्यक्रम' (Curriculum) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द 'Currere' से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ "दौड़ का मार्ग" या "प्रगति का पथ" है। शिक्षा के संदर्भ में इसका तात्पर्य उस निश्चित मार्ग या प्रक्रिया से है, जिस पर चलकर एक शिक्षार्थी की शैक्षिक लक्ष्यों और सर्वांगीण विकास को प्राप्त करता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, पाठ्यक्रम केवल किताबी ज्ञान, पाठ्य-पुस्तकों या विषय-सामग्री तक सीमित न होकर उन सभी नियोजित शिक्षण-अधिगम अनुभवों का एक संगठित स्वरूप है, जो विद्यार्थी विद्यालय के भीतर और बाहर प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत शिक्षण-अधिगम गतिविधियाँ, सह-शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यावहारिक व परियोजना कार्य, जीवन कौशल, सतत मूल्यांकन तथा सामाजिक अनुभव जैसे घटक अनिवार्य रूप से शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास सुनिश्चित करना है।

पाठ्यक्रम की विशेषताएँ

- शिक्षार्थी केन्द्रित होता है।
- शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित होता है।
- लचीला एवं गतिशील होता है।
- सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित होता है।
- सर्वांगीण विकास पर बल देता है।

5.3.1 पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार (Philosophical Foundations)

दार्शनिक आधार यह निर्धारित करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा तथा किस प्रकार के नागरिकों का निर्माण किया जाना है।

प्रमुख दार्शनिक विचारधारा

- आदर्शवाद (Idealism)
- यथार्थवाद (Realism)
- प्रकृतिवाद (Naturalism)
- प्रयोजनवाद (Pragmatism)
- अस्तित्ववाद (Existentialism)

पाठ्यक्रम पर प्रभाव

- शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण।
- विषय-वस्तु का चयन।
- शिक्षण विधियों का चयन।
- नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास।
- चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास।

5.3.2 पाठ्यक्रम के समाजशास्त्रीय आधार (Sociological Foundations)

समाजशास्त्रीय आधार इस बात पर बल देते हैं कि पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं, संस्कृति, परम्पराओं तथा सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप होना चाहिए।

प्रमुख तत्व

- समाज की आवश्यकताएँ
- संस्कृति एवं परम्पराएँ
- लोकतांत्रिक मूल्य
- राष्ट्रीय एकता
- सामाजिक न्याय एवं समावेशन
- वैश्वीकरण एवं तकनीकी परिवर्तन

पाठ्यक्रम पर प्रभाव

- सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास।

- सांस्कृतिक संरक्षण।
- लोकतांत्रिक नागरिकता का निर्माण।
- सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता।

5.3.3 पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार

(Psychological Foundations)

मनोवैज्ञानिक आधार शिक्षार्थियों की आयु, रुचि, क्षमता, आवश्यकता तथा विकासात्मक स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्माण पर बल देते हैं।

प्रमुख आधार

- बाल-केंद्रित शिक्षा
- व्यक्तिगत भिन्नताएँ
- अभिप्रेरणा (Motivation)
- अधिगम सिद्धांत
- मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास
- अनुभवात्मक अधिगम

पाठ्यक्रम पर प्रभाव

- सरल से जटिल की ओर।
- ज्ञात से अज्ञात की ओर।
- सक्रिय अधिगम।
- रुचिकर एवं उपयोगी शिक्षण।
- रचनात्मकता एवं समस्या समाधान का विकास।

अपनी प्रगति जाँचें-

1. पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है?
2. पाठ्यक्रम का दार्शनिक आधार क्या निर्धारित करता है?
3. समाजशास्त्रीय आधार का मुख्य उद्देश्य क्या है?
4. मनोवैज्ञानिक आधार किस पर बल देता है?
5. आधुनिक पाठ्यक्रम की एक विशेषता लिखिए।

5.4 सारांश

पाठ्यक्रम किसी भी शिक्षा व्यवस्था का हृदय और उसका मूल आधार होता है, जो संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया को दिशा प्रदान करता है। यह केवल विभिन्न विषयों, पाठ्य-पुस्तकों या पाठ्य-विवरण का साधारण संकलन मात्र नहीं है, बल्कि शिक्षार्थी के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास को ध्यान में रखकर नियोजित किए गए शिक्षण-अधिगम अनुभवों का एक सुसंगठित समुच्चय है। किसी भी गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी पाठ्यक्रम का निर्माण अचानक नहीं होता, बल्कि यह मजबूत दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक आधारों के समन्वय पर टिका होता है। जहाँ दार्शनिक आधार शिक्षा के दूरदर्शी उद्देश्यों, जीवन-मूल्यों और नैतिक आदर्शों को निर्धारित करते हैं, वहीं समाजशास्त्रीय आधार समाज की बदलती आवश्यकताओं, सांस्कृतिक धरोहर और व्यावहारिक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करते हैं, तथा मनोवैज्ञानिक आधार शिक्षार्थी की व्यक्तिगत भिन्नता, मानसिक क्षमता, आयु, रुचि और सीखने की गति के अनुरूप अधिगम अनुभवों का चयन सुनिश्चित करते हैं। इन तीनों आधारों का यह संतुलित और सुदृढ़ समन्वय ही एक ऐसे समावेशी, व्यावहारिक और जीवंत पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक होता है जो न केवल व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है, बल्कि राष्ट्र और समाज की प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

5.5 शब्दावली

- पाठ्यक्रम = अध्ययन योजना
- दर्शन = तत्त्वज्ञान
- समाजशास्त्र = समाज का वैज्ञानिक अध्ययन
- मनोविज्ञान = व्यवहार का विज्ञान
- अधिगम = सीखने की प्रक्रिया

5.6 अपनी प्रगति जाँचें (संभावित उत्तर)

उत्तर 1: शिक्षार्थी को प्रदान किए जाने वाले समस्त नियोजित शिक्षण-अधिगम अनुभवों का समूह।

उत्तर 2: शिक्षा के उद्देश्य, मूल्य एवं विषय-वस्तु।

उत्तर 3: समाज की आवश्यकताओं एवं संस्कृति के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण।

उत्तर 4: शिक्षार्थी की आयु, रुचि, क्षमता एवं विकास स्तर पर।

उत्तर 5: यह शिक्षार्थी-केंद्रित एवं लचीला होता है।

5.7 सहायक पाठ्य सामग्री (मुक्त शैक्षिक संसाधन)

- DIKSHA Portal

- SWAYAM
- e-PG Pathshala
- NROER
- NCERT e-Resources
- IGNOU e-Content
- e-Gyankosh

5.8 संदर्भ (APA शैली)

- Tyler, R. W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. University of Chicago Press.
- Taba, H. (1962). Curriculum Development: Theory and Practice. Harcourt Brace.
- NCERT. (2005). National Curriculum Framework. New Delhi.
- Aggarwal, J. C. (2021). Curriculum Development. Shipra Publications.
- पाण्डेय, के. पी. (2022). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार. आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।

5.9 अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. 'Curriculum' शब्द मूल रूप से किस भाषा से लिया गया है?

- (A) ग्रीक
- (B) लैटिन
- (C) फ्रेंच
- (D) जर्मन

उत्तर: (B) लैटिन (यह लैटिन के 'Currere' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है 'दौड़ का मार्ग')

2. पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख 'दार्शनिक आधार' मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है?

- (A) शिक्षण की वैज्ञानिक तकनीक
- (B) शिक्षा के उद्देश्य और जीवन-मूल्य

(C) खेलकूद की गतिविधियां

(D) परीक्षा की समय-सारणी

उत्तर: (B) शिक्षा के उद्देश्य और जीवन-मूल्य

3. पाठ्यक्रम का 'समाजशास्त्रीय आधार' निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

(A) बालक की मानसिक आयु से

(B) विद्यालय की इमारत की सजावट से

(C) समाज की आवश्यकताओं, संस्कृति और सामाजिक प्राथमिकताओं से

(D) शिक्षक के व्यक्तिगत अनुभवों से

उत्तर: (C) समाज की आवश्यकताओं, संस्कृति और सामाजिक प्राथमिकताओं से

4. पाठ्यक्रम के 'मनोवैज्ञानिक आधार' के केंद्र में कौन होता है?

(A) शिक्षार्थी (बालक)

(B) पाठ्यपुस्तक

(C) विद्यालय प्रशासन

(D) शिक्षण संस्थान

उत्तर: (A) शिक्षार्थी (बालक) (यह बालक की रुचि, क्षमता और विकास स्तर पर केंद्रित होता है)

5. आधुनिक पाठ्यक्रम का स्वरूप किस प्रकार का माना जाता है?

(A) केवल किताबी ज्ञान तक सीमित

(B) संकीर्ण और स्थिर

(C) व्यापक, गतिशील और बालक-केंद्रित

(D) केवल परीक्षा-केंद्र

उत्तर: (C) व्यापक, गतिशील और बालक-केंद्रित

लघूत्तरीय प्रश्न

1. पाठ्यक्रम की अवधारणा स्पष्ट कीजिए।
2. पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधारों का वर्णन कीजिए।
3. समाजशास्त्रीय आधारों का महत्व बताइए।
4. मनोवैज्ञानिक आधारों की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

- पाठ्यक्रम के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक आधारों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए।
- आधुनिक पाठ्यक्रम निर्माण में विभिन्न आधारों की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

इकाई -6

पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास

- 6.1 परिचय
- 6.2 उद्देश्य
- 6.3 पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास (Curriculum Construction and Development)
 - 6.3.1 पाठ्यक्रम निर्माण का अर्थ एवं आवश्यकता
 - 6.3.2 पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत
 - 6.3.3 पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया
 - 6.3.4 पाठ्यक्रम विकास के चरण
 - 6.3.5 पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास में विभिन्न
- 6.4 सारांश
- 6.5 शब्दावली
- 6.6 अपनी प्रगति जांचे
- 6.7 पाठ्य सहायक सामग्री
- 6.8 सन्दर्भ
- 6.9 अभ्यास

6.1 परिचय

पाठ्यक्रम किसी भी शिक्षा व्यवस्था का सबसे प्रमुख और आधारभूत स्तंभ होता है, जो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को एक स्पष्ट दिशा, संरचना और गुणवत्ता प्रदान करता है। यह केवल पाठ्य-पुस्तकों या निर्धारित विषयों की कोई स्थिर सूची मात्र नहीं है, बल्कि शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास (मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक) को ध्यान में रखकर तैयार किए गए सुसंगठित अधिगम-अनुभवों का समग्र ढांचा है। मात्र एक बार पाठ्यक्रम का निर्माण कर देना ही शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता; बल्कि बदलते समय, समाज की नई आवश्यकताओं, वैज्ञानिक प्रगति और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार इसका निरंतर परिष्करण, अद्यतनीकरण और विकास होना अत्यंत अनिवार्य है। एक प्रासंगिक पाठ्यक्रम वह होता है जो अतीत के ज्ञान और संस्कृति का संरक्षण करते हुए भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए विद्यार्थियों को पूरी तरह सक्षम बनाता है।

पाठ्यक्रम निर्माण और विकास की यह संपूर्ण प्रक्रिया एक अत्यंत वैज्ञानिक, क्रमबद्ध, योजनाबद्ध और सहभागितापूर्ण कार्य है, जिसमें शिक्षा के दूरदर्शी उद्देश्यों, प्रासंगिक विषय-वस्तु, प्रभावी शिक्षण-अधिगम विधियों, संसाधनों की उपलब्धता और सतत मूल्यांकन प्रणालियों का एक सुदृढ़ समन्वय स्थापित किया जाता है। वर्तमान युग में ज्ञान-विज्ञान के तेजी से होते प्रसार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के आगमन तथा नवीन 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के लागू होने से पाठ्यक्रम निर्माण का दृष्टिकोण पहले की तुलना में कहीं अधिक गतिशील, व्यावहारिक, लचीला और शिक्षार्थी-केंद्रित हो गया है। इस इकाई के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण के अर्थ, इसकी अपरिहार्य आवश्यकता, इसके मूलभूत सिद्धांतों, विकास की क्रमिक प्रक्रिया,

विभिन्न महत्वपूर्ण चरणों तथा इसमें अपना अमूल्य योगदान देने वाले शिक्षकों, विशेषज्ञों और अन्य संबंधित हितधारकों की भूमिका का गहन और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाएगा।

6.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् शिक्षार्थी—

- पाठ्यक्रम निर्माण का अर्थ एवं आवश्यकता स्पष्ट कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को समझा सकेंगे।
- पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न चरणों का विश्लेषण कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास में विभिन्न हितधारकों की भूमिका का मूल्यांकन कर सकेंगे।

6.3 पाठ्यक्रम निर्माण का अर्थ एवं आवश्यकता (Meaning and Need of Curriculum Construction)

पाठ्यक्रम निर्माण वह सुव्यवस्थित और नियोजित प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षा के दूरदर्शी उद्देश्यों के अनुरूप उपयुक्त विषय-वस्तु, व्यावहारिक अधिगम-अनुभवों, प्रभावी शिक्षण-विधियों तथा वैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धतियों की समग्र योजना तैयार की जाती है। इसकी अपरिहार्य आवश्यकता न केवल निर्धारित शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र की बदलती प्राथमिकताओं, नई तकनीकों तथा अद्यतन ज्ञान के अनुरूप प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ पूरी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता, स्पष्टता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

6.3.1 पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत (Principles of Curriculum Construction)

पाठ्यक्रम निर्माण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होता है-

- उद्देश्यपरकता का सिद्धांत।
- बालक-केंद्रिता का सिद्धांत।
- लचीलेपन का सिद्धांत।
- उपयोगिता का सिद्धांत।
- जीवनोपयोगी का सिद्धांत।
- गतिविधि आधारित अधिगम का सिद्धांत।
- सामाजिक आवश्यकताओं का सिद्धांत।
- निरंतरता एवं क्रमबद्ध का सिद्धांत।

- सहसंबंध का सिद्धांत।
- मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि का सिद्धांत।

6.3.2 पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया (Process of Curriculum Development)

पाठ्यक्रम विकास एक सतत एवं चक्रीय प्रक्रिया है।

मुख्य चरण

- शैक्षिक आवश्यकताओं का विश्लेषण।
- शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण।
- विषय-वस्तु का चयन।
- अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन।
- शिक्षण-विधियों का निर्धारण।
- मूल्यांकन की योजना।
- प्रतिपुष्टि के आधार पर संशोधन एवं सुधार।

6.3.3 पाठ्यक्रम विकास के चरण (Stages of Curriculum Development)

- आवश्यकता का निर्धारण।
- उद्देश्य निर्धारण।
- विषय-वस्तु का चयन।
- विषय-वस्तु का संगठन।
- शिक्षण-अधिगम अनुभवों का निर्धारण।
- मूल्यांकन की व्यवस्था।
- कार्यान्वयन।
- पुनरीक्षण एवं संशोधन।

6.3.4 पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास में विभिन्न हितधारकों की भूमिका (Role of Various Stakeholders)

पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है।

प्रमुख हितधारक

- शिक्षक
- विद्यार्थी
- अभिभावक

- विद्यालय प्रमुख
- विषय विशेषज्ञ
- शिक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय
- NCERT, SCERT, NCTE एवं UGC
- समाज एवं उद्योग जगत
- सरकार एवं नीति निर्माता

भूमिका

- आवश्यकताओं की पहचान करना।
- पाठ्यक्रम का निर्माण एवं समीक्षा करना।
- क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना।
- समय-समय पर संशोधन एवं सुधार करना।
- गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना।

अपनी प्रगति जांचे-

1. पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(अ) परीक्षा लेना

(ब) शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना

(स) केवल पुस्तक तैयार करना

(द) केवल समय-सारणी बनाना

2. निम्नलिखित में से कौन-सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है?

(अ) लचीलापन

(ब) कठोरता

(स) असमानता

(द) पक्षपात

3. पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन-सा है?

(अ) मूल्यांकन

(ब) विषय-वस्तु का चयन

(स) आवश्यकता का विश्लेषण

(द) परीक्षा

4. पाठ्यक्रम निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है?

(अ) शिक्षक

(ब) विद्यार्थी

(स) विषय विशेषज्ञ

(द) उपर्युक्त सभी

5. पाठ्यक्रम विकास की अंतिम अवस्था सामान्यतः क्या होती है?

(अ) उद्देश्य निर्धारण

(ब) कार्यान्वयन

(स) पुनरीक्षण एवं संशोधन

(द) विषय-वस्तु चयन

6.4 सारांश

पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास शिक्षा की एक सतत, योजनाबद्ध एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, समाज तथा राष्ट्र की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी शिक्षण-अधिगम व्यवस्था विकसित करना है। पाठ्यक्रम निर्माण में उद्देश्य, विषय-वस्तु, शिक्षण अनुभव तथा मूल्यांकन का समन्वय किया जाता है। पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न चरणों में आवश्यकता विश्लेषण, उद्देश्य निर्धारण, विषय-वस्तु चयन, कार्यान्वयन, मूल्यांकन तथा पुनरीक्षण प्रमुख हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षा विशेषज्ञ तथा शैक्षिक संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता आवश्यक होती है।

6.5 शब्दावली

पाठ्यक्रम निर्माण = पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया

पाठ्यक्रम विकास = पाठ्यक्रम का निरंतर सुधार एवं परिष्कार

हितधारक = संबंधित पक्ष

कार्यान्वयन = क्रियान्वयन

प्रतिपुष्टि = सुधार हेतु प्राप्त प्रतिक्रिया

6.6 अपनी प्रगति जाँचें (संभावित उत्तर)

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

संभावित उत्तर: (ब) शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना।

संभावित उत्तर: (अ) लचीलापन।

संभावित उत्तर: (स) आवश्यकता का विश्लेषण।

संभावित उत्तर: (द) उपर्युक्त सभी।

संभावित उत्तर: (स) पुनरीक्षण एवं संशोधन।

6.7 पाठ्य सहायक सामग्री (मुक्त शैक्षिक संसाधन)

- **DIKSHA**
- SWAYAM
- e-PG Pathshala
- NROER
- NCERT e-Resources
- IGNOU eGyankosh
- SCERT डिजिटल संसाधन

6.8 संदर्भ (APA शैली)

- Tyler, R. W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. University of Chicago Press.
- Taba, H. (1962). Curriculum Development: Theory and Practice. Harcourt Brace.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. Pearson.
- NCERT. (2005). National Curriculum Framework. New Delhi.
- Aggarwal, J. C. (2021). Curriculum Development. Shipra Publications.

6.9 अभ्यास

प्रश्न 1. पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत (Principle of Curriculum Construction) के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मुख्य तत्व को ध्यान में रखा जाता है?

- (A) केवल शिक्षकों की सुविधा
- (B) लचीलापन, बाल-केंद्रितता और उपयोगिता का सिद्धांत
- (C) केवल परीक्षाओं का आयोजन
- (D) पाठ्य-पुस्तकों का आकार

उत्तर: (B) लचीलापन, बाल-केंद्रित और उपयोगिता का सिद्धांत

प्रश्न 2. पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया (Curriculum Development Process) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- (A) पाठ्यक्रम को केवल एक बार लिखकर हमेशा के लिए स्थिर कर देना
- (B) समय, समाज और शिक्षार्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का सतत परिष्करण व अद्यतनीकरण करना
- (C) परीक्षा प्रणाली को कठिन बनाना
- (D) केवल नए विषयों को जोड़ना

उत्तर: (B) समय, समाज और शिक्षार्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का सतत परिष्करण व अद्यतनीकरण करना

प्रश्न -3 महत्वपूर्ण चरण (First Step) कौन-सा माना जाता है?

- (A) पाठ्य-पुस्तकों की छपाई
- (B) परीक्षा का आयोजन
- (C) आवश्यकताओं का आकलन एवं उद्देश्यों का निर्धारण (Needs Assessment & Formulating Objectives)
- (D) केवल बजट तैयार करना

उत्तर: (C) आवश्यकताओं का आकलन एवं उद्देश्यों का निर्धारण

प्रश्न 4. पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में 'हितधारक' (Stakeholders) के रूप में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है?

- (A) केवल विषय-विशेषज्ञों की
- (B) केवल सरकार की
- (C) शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद और समाज
- (D) केवल प्रकाशकों की

उत्तर: (C) शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद और समाज

प्रश्न 5. पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का अंतिम चरण (Final Step) क्या होता है, जिसके माध्यम से इसकी प्रभावशीलता की जांच की जाती है?

- (A) पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एवं पुनर्निवेश/प्रतिपुष्टि (Evaluation and Feedback)
- (B) शिक्षण विधियों का चुनाव
- (C) विषय-वस्तु का चयन
- (D) कक्षा में व्याख्या देना

उत्तर: (A) पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एवं पुनर्निवेश/प्रतिपुष्टि

(ख) लघुत्तरीय प्रश्न

1. पाठ्यक्रम निर्माण का अर्थ एवं आवश्यकता स्पष्ट कीजिए।
2. पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।
3. पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
4. पाठ्यक्रम विकास में हितधारकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

(ग) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया का क्रमबद्ध वर्णन कीजिए।

2. पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों एवं पाठ्यक्रम विकास के चरणों का समालोचनात्मक विवेचना कीजिए।

खंड -3

पाठ्यक्रम मॉडल एवं मूल्यांकन

इकाई -7

पाठ्यक्रम के मॉडल

- 7.1 परिचय
- 7.2 उद्देश्य
- 7.3 **पाठ्यक्रम के मॉडल**
 - 7.3.1 पारंपरिक मॉडल
 - 7.3.2 समकालीन मॉडल
 - 7.3.3 CIPP मॉडल
 - 7.3.4 कैनाली एवं गीगा का पाठ्यक्रम मॉडल
- 7.4 सारांश
- 7.5 शब्दावली
- 7.6 अपनी प्रगति की जांच - संभावित उत्तर
- 7.7 सहायक पाठ्य सामग्री - शैक्षिक संसाधन
- 7.8 सन्दर्भ
- 7.9 अभ्यास के प्रश्न

7.1 परिचय

शिक्षा के उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति के लिए केवल विषय-वस्तु का चयन पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके संगठन, प्रस्तुतीकरण, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन की भी सुव्यवस्थित योजना आवश्यक होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों द्वारा अनेक पाठ्यक्रम मॉडल (Curriculum Models) विकसित किए गए हैं। ये मॉडल पाठ्यक्रम निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन की वैज्ञानिक रूपरेखा प्रदान करते हैं तथा शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, सामाजिक अपेक्षाओं और राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा को दिशा देते हैं।

वर्तमान समय में शिक्षा केवल ज्ञानार्जन तक सीमित नहीं है, बल्कि कौशल, मूल्यों, नवाचार, सृजनात्मकता तथा समस्या-समाधान क्षमता के विकास पर भी बल देती है। इसलिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में ऐसे पाठ्यक्रम मॉडल अपनाए जा रहे हैं जो शिक्षार्थी-केंद्रित, लचीले तथा परिणामोन्मुख हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी दक्षता-आधारित एवं अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देती है। इस इकाई में पारंपरिक एवं समकालीन पाठ्यक्रम मॉडल के साथ-साथ CIPP मॉडल तथा कैनाली एवं गीगा के पाठ्यक्रम मॉडल का अध्ययन किया जाएगा।

7.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् शिक्षार्थी—

- पाठ्यक्रम मॉडल की अवधारणा को समझ सकेंगे।
- पारंपरिक एवं समकालीन पाठ्यक्रम मॉडल में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे।
- CIPP मॉडल के विभिन्न घटकों का वर्णन कर सकेंगे।
- कैनाली एवं गीगा के पाठ्यक्रम मॉडल की विशेषताओं को समझ सकेंगे।
- विभिन्न पाठ्यक्रम मॉडलों की उपयोगिता एवं सीमाओं का विश्लेषण कर सकेंगे।
- उपयुक्त परिस्थितियों में उपयुक्त पाठ्यक्रम मॉडल का चयन कर सकेंगे।

7.3 पाठ्यक्रम के मॉडल

I. पाठ्यक्रम मॉडल : अर्थ एवं अवधारणा

पाठ्यक्रम मॉडल वह वैचारिक एवं व्यावहारिक ढाँचा है जिसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण, संगठन, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन किया जाता है। यह निर्धारित करता है कि क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए तथा सीखने के परिणामों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए।

विशेषताएँ

- उद्देश्य आधारित
- व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक
- शिक्षार्थी-केंद्रित
- लचीला एवं परिवर्तनशील
- मूल्यांकन आधारित
- सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप

II. पारंपरिक मॉडल (Traditional Curriculum Model)

अर्थ

पारंपरिक मॉडल विषय-केंद्रित होता है, जिसमें ज्ञान के व्यवस्थित हस्तांतरण पर विशेष बल दिया जाता है।

विशेषताएँ

- शिक्षक-केंद्रित शिक्षण
- विषय-वस्तु पर अधिक बल
- निश्चित पाठ्यक्रम
- व्याख्यान विधि का प्रयोग
- परीक्षा एवं अंकों पर आधारित मूल्यांकन

गुण

- विषय का व्यवस्थित ज्ञान
- अनुशासन एवं संगठन
- प्रशासन में सरलता

सीमाएँ

शिक्षार्थी की रुचियों की उपेक्षा

रचनात्मकता का सीमित विकास

व्यवहारिक जीवन से कम संबंध

III. समकालीन मॉडल (Contemporary Curriculum Model)

समकालीन मॉडल शिक्षार्थी की आवश्यकताओं, अनुभवों, सामाजिक परिवर्तनों तथा तकनीकी विकास को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है।

विशेषताएँ

शिक्षार्थी-केंद्रित

गतिविधि एवं अनुभव आधारित

ICT एवं डिजिटल शिक्षण का समावेश

समावेशी एवं लचीला

दक्षता आधारित अधिगम

महत्व

- आलोचनात्मक चिंतन का विकास
- समस्या समाधान क्षमता
- सहयोगात्मक अधिगम
- जीवन कौशल का विकास
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप

IV. CIPP मॉडल (Context, Input, Process, Product Model)

यह मॉडल डेनियल स्टफ्लबीम (Daniel Stufflebeam) द्वारा विकसित किया गया है।

1. Context (संदर्भ मूल्यांकन)

- आवश्यकताओं की पहचान
- उद्देश्यों का निर्धारण
- सामाजिक एवं शैक्षिक परिस्थितियों का विश्लेषण

2. Input (आदान मूल्यांकन)

- संसाधनों का चयन
- शिक्षण रणनीतियाँ
- मानव एवं भौतिक संसाधनों की योजना

3. Process (प्रक्रिया मूल्यांकन)

- शिक्षण प्रक्रिया का सतत निरीक्षण
- सुधारात्मक सुझाव
- क्रियान्वयन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन

4. Product (उत्पाद मूल्यांकन)

- अधिगम परिणामों का मूल्यांकन
- उद्देश्यों की प्राप्ति
- कार्यक्रम की सफलता का निर्धारण
- CIPP मॉडल के लाभ
- सतत सुधार
- निर्णय लेने में सहायता
- समग्र मूल्यांकन
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

V. कैनाली एवं गीगा का पाठ्यक्रम मॉडल

अर्थ

यह मॉडल पाठ्यक्रम विकास को एक निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया मानता है, जिसमें योजना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा पुनरीक्षण एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं।

मुख्य घटक

- आवश्यकता का विश्लेषण
- उद्देश्यों का निर्धारण
- विषय-वस्तु का चयन
- अधिगम अनुभवों का संगठन

मूल्यांकन

- प्रतिपुष्टि (Feedback)
- पुनरीक्षण
- विशेषताएँ
- लचीला
- निरंतर सुधार पर आधारित
- शिक्षार्थी एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप
- गुणवत्ता उन्मुख

महत्व

- बदलती आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का विकास
- नवाचार को प्रोत्साहन
- शिक्षण-अधिगम की प्रभावशीलता में वृद्धि

अपनी प्रगति जांचें-

प्रश्न 1. पाठ्यक्रम मॉडल क्या है?

प्रश्न 2. CIPP का पूर्ण रूप लिखिए।

प्रश्न 3. CIPP मॉडल किसने विकसित किया?

प्रश्न 4. समकालीन मॉडल की दो विशेषताएँ लिखिए।

प्रश्न 5. कैनाली एवं गीगा मॉडल का मुख्य आधार क्या है?

7.4 सारांश

पाठ्यक्रम मॉडल शिक्षा की योजना एवं क्रियान्वयन का आधार हैं। पारंपरिक मॉडल विषय-केंद्रित है, जबकि समकालीन मॉडल शिक्षार्थी-केंद्रित एवं कौशल आधारित है। CIPP मॉडल पाठ्यक्रम के संदर्भ, संसाधन, प्रक्रिया तथा परिणामों का समग्र मूल्यांकन करता है। कैनाली एवं गीगा का मॉडल पाठ्यक्रम को निरंतर सुधार एवं प्रतिपुष्टि पर आधारित गतिशील प्रक्रिया मानता है। इन मॉडलों का समुचित उपयोग गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी शिक्षा सुनिश्चित करता है।

7.5 शब्दावली

- पाठ्यक्रम मॉडल (Curriculum Model)
- पारंपरिक मॉडल (Traditional Model)
- समकालीन मॉडल (Contemporary Model)
- CIPP मॉडल
- संदर्भ मूल्यांकन (Context Evaluation)
- आदान (Input)
- प्रक्रिया (Process)
- उत्पाद (Product)
- प्रतिपुष्टि (Feedback)
- पाठ्यक्रम विकास (Curriculum Development)

7.6 अपनी प्रगति की जाँच (संभावित उत्तर सहित)

उत्तर 1: पाठ्यक्रम निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन का व्यवस्थित ढाँचा।

उत्तर 2: Context, Input, Process, Product.

उत्तर 3: डेनियल स्फलबीम।

उत्तर 4: शिक्षार्थी-केंद्रित एवं कौशल आधारित।

उत्तर 5 : सतत प्रतिपुष्टि एवं निरंतर पाठ्यक्रम सुधार।

7.7 पाठ्य सहायक सामग्री / मुक्त शैक्षिक संसाधन

- DIKSHA Portal
- SWAYAM
- NCERT e-Pathshala
- NROER
- e-PG Pathshala
- UGC e-Content
- National Digital Library of India (NDLI)

7.8 संदर्भ (APA 7th शैली)

- Aggarwal, J. C. (2022). Curriculum Development. Shipra Publications.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2023). Curriculum: Foundations, Principles and Issues. Pearson.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). Evaluation Theory, Models and Applications. Jossey-Bass.
- Taba, H. (1962). Curriculum Development: Theory and Practice. Harcourt.
- National Education Policy. (2020). Ministry of Education, Government of India.

7.9 अभ्यास के प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (उत्तर सहित)

पाठ्यक्रम का अंग्रेज़ी पर्यायवाची शब्द है—

(अ) Syllabus

(ब) Curriculum

(स) Content

(द) Evaluation

उत्तर: (ब) Curriculum

आधुनिक पाठ्यक्रम का प्रमुख आधार क्या है?

(अ) शिक्षक-केंद्रित

(ब) शिक्षार्थी-केंद्रित

(स) परीक्षा-केंद्रित

(द) पुस्तक-केंद्रित

उत्तर: (ब) शिक्षार्थी-केंद्रित

समग्र विकास किसका उद्देश्य है?

(अ) केवल परीक्षा का

(ब) पाठ्यक्रम का

(स) गृहकार्य का

(द) अनुशासन का

उत्तर: (ब) पाठ्यक्रम का

गतिविधि-केंद्रित पाठ्यक्रम में किस पर बल दिया जाता है?

(अ) रटने पर

(ब) गतिविधियों एवं अनुभवों पर

(स) केवल व्याख्यान पर

(द) केवल परीक्षा पर

उत्तर: (ब)

दक्षता-आधारित पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(अ) केवल अंक प्राप्त करना

(ब) दक्षताओं एवं अधिगम परिणामों का विकास

(स) केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ना

(द) केवल गृहकार्य कराना

उत्तर: (ब)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. पाठ्यक्रम मॉडल से क्या अभिप्राय है?
2. CIPP का पूर्ण रूप लिखिए।
3. समकालीन मॉडल की एक विशेषता लिखिए।
4. पारंपरिक मॉडल किस पर आधारित है?
5. प्रतिपुष्टि (Feedback) का क्या अर्थ है?

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. पारंपरिक एवं समकालीन मॉडल में अंतर स्पष्ट कीजिए।
2. CIPP मॉडल के चार घटकों का वर्णन कीजिए।
3. कैनाली एवं गीगा मॉडल की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।
4. समकालीन पाठ्यक्रम मॉडल का महत्व स्पष्ट कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. पाठ्यक्रम मॉडल की अवधारणा स्पष्ट करते हुए विभिन्न मॉडलों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए।
2. CIPP मॉडल की व्याख्या करते हुए उसकी उपयोगिता एवं सीमाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
3. वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में समकालीन पाठ्यक्रम मॉडलों की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

इकाई -8

पाठ्यक्रम अध्ययन एवं मूल्यांकन

- 8.1 परिचय
- 8.2 उद्देश्य
- 8.3 पाठ्यक्रम अध्ययन एवं मूल्यांकन
 - 8.3.1 पाठ्यक्रम अध्ययन
 - 8.3.2 पाठ्यक्रम मूल्यांकन के दृष्टिकोण
 - 8.3.3 टायलर मॉडल
 - 8.3.4 मॉसी (Mossi) मॉडल
 - 8.3.5 हिल्डा टाबा मॉडल
- 8.4 सारांश
- 8.5 शब्दावली
- 8.6 अपनी प्रगति जांचे- सम्भावित उत्तर
- 8.7 पाठ्य सहायक सामग्री - शैक्षिक संसाधन
- 8.8 सन्दर्भ
- 8.9 अभ्यास के प्रश्न

8.1 परिचय

पाठ्यक्रम किसी भी शिक्षा प्रणाली का आधारभूत एवं गतिशील घटक है, जिसके माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों को व्यवहार में रूपांतरित किया जाता है। केवल पाठ्यक्रम का निर्माण कर देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि समय-समय पर उसका अध्ययन एवं मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह शिक्षार्थियों, समाज तथा राष्ट्र की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है या नहीं। पाठ्यक्रम अध्ययन एवं मूल्यांकन एक सतत, वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से पाठ्यक्रम की उपयोगिता, प्रभावशीलता, प्रासंगिकता तथा गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है।

वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप ज्ञान-केंद्रित से कौशल, दक्षता एवं परिणाम-केंद्रित हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी गुणवत्तापूर्ण, लचीले, बहुविषयक एवं शिक्षार्थी-केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देती है। ऐसे में पाठ्यक्रम का निरंतर अध्ययन एवं मूल्यांकन शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने तथा उसमें आवश्यक सुधार करने का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इस इकाई में पाठ्यक्रम अध्ययन की अवधारणा, पाठ्यक्रम मूल्यांकन के प्रमुख दृष्टिकोण तथा टायलर, मॉसी और हिल्डा टाबा के प्रमुख मॉडल का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा।

पाठ्यक्रम शिक्षा व्यवस्था का हृदय माना जाता है, क्योंकि उसी के आधार पर शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया संचालित होती है। यदि पाठ्यक्रम समयानुकूल, वैज्ञानिक एवं समाजोपयोगी नहीं होगा, तो शिक्षा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकेगी। इसलिए प्रत्येक शिक्षा प्रणाली में समय-समय पर पाठ्यक्रम का अध्ययन एवं मूल्यांकन आवश्यक होता है।

पाठ्यक्रम अध्ययन के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु, शिक्षण विधियाँ, अधिगम अनुभव तथा मूल्यांकन प्रणाली शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं एवं सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। वहीं पाठ्यक्रम मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है तथा पाठ्यक्रम में किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।

आधुनिक शिक्षा में पाठ्यक्रम मूल्यांकन केवल परीक्षा परिणामों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षार्थियों के ज्ञान, कौशल, मूल्यों, दृष्टिकोण, रचनात्मकता, समस्या-समाधान क्षमता तथा जीवन-कौशलों का भी समग्र मूल्यांकन किया जाता है। टायलर, मॉसी तथा हिल्डा टाबा जैसे विद्वानों ने पाठ्यक्रम मूल्यांकन के ऐसे मॉडल प्रस्तुत किए, जिन्होंने पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन को अधिक वैज्ञानिक, व्यवस्थित एवं उद्देश्यपरक बनाया। इन मॉडलों का अध्ययन शिक्षकों, शोधार्थियों तथा पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए अत्यंत उपयोगी है।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् शिक्षार्थी—

- पाठ्यक्रम अध्ययन की अवधारणा एवं महत्व को समझ सकेंगे।
- पाठ्यक्रम मूल्यांकन के विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन कर सकेंगे।
- टायलर मॉडल की प्रमुख विशेषताओं एवं उपयोगिता की व्याख्या कर सकेंगे।
- पाठ्यक्रम मूल्यांकन की आवश्यकता एवं उद्देश्यों का विश्लेषण कर सकेंगे।
- प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण एवं सुधार में मूल्यांकन की भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे।

8.3 पाठ्यक्रम अध्ययन एवं मूल्यांकन

I. पाठ्यक्रम अध्ययन (Curriculum Study)

अर्थ एवं अवधारणा

पाठ्यक्रम अध्ययन से आशय पाठ्यक्रम की संरचना, उद्देश्यों, विषय-वस्तु, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं, अधिगम अनुभवों तथा मूल्यांकन प्रणाली का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि पाठ्यक्रम वर्तमान सामाजिक, शैक्षिक एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं तथा उसमें किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।

पाठ्यक्रम अध्ययन के उद्देश्य-

- पाठ्यक्रम की गुणवत्ता का परीक्षण करना।
- शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों की पूर्ति सुनिश्चित करना।
- पाठ्यक्रम की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना।
- पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन एवं सुधार करना।
- शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का आकलन करना।
- पाठ्यक्रम अध्ययन का महत्व
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है।
- पाठ्यक्रम को समयानुकूल एवं प्रासंगिक बनाता है।
- शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है।
- शिक्षार्थियों के समग्र विकास में सहायक होता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान देता है।

II. पाठ्यक्रम मूल्यांकन के दृष्टिकोण (Approaches to Curriculum Evaluation)

अर्थ

पाठ्यक्रम मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता, उपयोगिता एवं उद्देश्यों की प्राप्ति का व्यवस्थित मूल्यांकन किया जाता है।

प्रमुख दृष्टिकोण

1. उद्देश्य-आधारित दृष्टिकोण (Objective-Oriented Approach)

इस दृष्टिकोण में यह जांचा जाता है कि पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है।

विशेषताएँ

- उद्देश्य-केंद्रित।
- परिणामों का विश्लेषण।
- उपलब्धियों का मापन।

2. प्रक्रिया-आधारित दृष्टिकोण (Process-Oriented Approach)

इसमें सम्पूर्ण शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है।

विशेषताएँ

- शिक्षण विधियों का मूल्यांकन।
- कक्षा वातावरण का अध्ययन।
- अधिगम अनुभवों का विश्लेषण।

3. परिणाम-आधारित दृष्टिकोण (Outcome-Oriented Approach)

इस दृष्टिकोण में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल एवं दक्षताओं का मूल्यांकन किया जाता है।

विशेषताएँ

- अधिगम परिणामों पर बल।
- दक्षता-आधारित मूल्यांकन।
- व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन।

4. निर्णय-आधारित दृष्टिकोण (Decision-Oriented Approach)

इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम सुधार हेतु आवश्यक निर्णय लेने के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करना है।

विशेषताएँ

नीति निर्माण में सहायक।

सुधारात्मक निर्णयों का आधार।

प्रशासनिक उपयोगिता।

III. टायलर मॉडल (Tyler Model)

परिचय

राल्फ डब्ल्यू टायलर ने 1949 में उद्देश्य-आधारित पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन मॉडल प्रस्तुत किया। यह मॉडल शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति पर आधारित है और आज भी पाठ्यक्रम मूल्यांकन का सबसे प्रभावशाली मॉडल माना जाता है।

टायलर मॉडल के चार प्रमुख प्रश्न

1. शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए?

शिक्षा के स्पष्ट एवं मापनीय उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है।

2. उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कौन-से अधिगम अनुभव प्रदान किए जाएँ?

ऐसी शिक्षण गतिविधियों का चयन किया जाता है जो उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हों।

3. अधिगम अनुभवों का संगठन कैसे किया जाए?

अनुभवों को सरल से कठिन तथा क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है।

4. उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन कैसे किया जाए?

परीक्षा, प्रेक्षण, परियोजना एवं अन्य मूल्यांकन विधियों द्वारा उपलब्धियों का आकलन किया जाता है।

टायलर मॉडल की विशेषताएँ

- उद्देश्य-आधारित।
- वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित।
- परिणाम-केंद्रित।
- पाठ्यक्रम सुधार में उपयोगी।
- अधिगम उपलब्धियों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन।
- टायलर मॉडल के लाभ
- स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
- मूल्यांकन को सरल एवं प्रभावी बनाता है।
- शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का सही आकलन करता है।
- मपाठ्य क्रम सुधार में सहायक है।
- टायलर मॉडल की सीमाएं
- परिणामों पर अधिक बल देता है।
- व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर अपेक्षाकृत कम ध्यान देता है। रचनात्मक अधिगम का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर पाता।

IV. मॉसी (Mossi) मॉडल (Mossi Model)

अर्थ एवं अवधारणा

मॉसी मॉडल पाठ्यक्रम मूल्यांकन का एक सुधारोन्मुख (Improvement-Oriented) मॉडल है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल यह जानना नहीं है कि पाठ्यक्रम सफल है या असफल, बल्कि यह पता लगाना है कि पाठ्यक्रम में किन क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता है। यह मॉडल पाठ्यक्रम की योजना, क्रियान्वयन, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया तथा प्राप्त परिणामों का समग्र अध्ययन करता है।

मॉसी मॉडल की प्रमुख विशेषताएँ

- पाठ्यक्रम सुधार पर विशेष बल।
- सतत एवं निरंतर मूल्यांकन।
- शिक्षार्थी एवं शिक्षक दोनों की सहभागिता।
- गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग।
- निर्णय लेने में सहायक।

मॉसी मॉडल के प्रमुख चरण

- पाठ्यक्रम का विश्लेषण।
- शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन।
- विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन।
- कमियों की पहचान।
- सुधारात्मक सुझाव एवं संशोधन।

मॉसी मॉडल के लाभ

- पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है।
- निरंतर सुधार की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है।
- शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाता है।
- शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है।

मॉसी मॉडल की सीमाएँ

- समय एवं संसाधनों की अधिक आवश्यकता।
- व्यापक आँकड़ों के संग्रह की आवश्यकता।
- विशेषज्ञों की सहभागिता आवश्यक होती है।

V. हिल्डा टाबा मॉडल (Hilda Taba Model)

अर्थ एवं अवधारणा

हिल्डा टाबा ने पाठ्यक्रम विकास का शिक्षक-केंद्रित (Grassroots Approach) मॉडल प्रस्तुत किया। उनका मत था कि पाठ्यक्रम का निर्माण ऊपर से नहीं, बल्कि विद्यालय एवं कक्षा स्तर से प्रारम्भ होना चाहिए क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह समझते हैं।

हिल्डा टाबा मॉडल की प्रमुख विशेषताएँ

- शिक्षक की सक्रिय भूमिका।
- शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर आधारित।
- आगमनात्मक (Inductive) दृष्टिकोण।
- लचीला एवं व्यावहारिक।
- निरंतर मूल्यांकन एवं सुधार।

हिल्डा टाबा मॉडल के प्रमुख चरण

- आवश्यकताओं का निर्धारण।

- उद्देश्यों का निर्धारण।
- विषय-वस्तु का चयन।
- विषयवस्तु का संगठन।
- अधिगम अनुभवों का चयन।
- अधिगम अनुभवों का संगठन।
- मूल्यांकन की व्यवस्था।

हिल्डा टाबा मॉडल के लाभ

- शिक्षार्थी-केंद्रित।
- शिक्षक की सृजनात्मकता को बढ़ावा।
- स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप।
- लचीला एवं व्यावहारिक।

हिल्डा टाबा मॉडल की सीमाएं

- समय अधिक लगता है।
- सभी विद्यालयों में समान रूप से लागू करना कठिन।
- प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता।

अपनी प्रगति जांचें-

प्रश्न 1. पाठ्यक्रम अध्ययन से क्या अभिप्राय है?

प्रश्न 2. टायलर मॉडल किस आधार पर आधारित है?

प्रश्न 3. हिल्डा टाबा मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है?

प्रश्न 4. मॉसी मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है?

प्रश्न 5. पाठ्यक्रम मूल्यांकन क्यों आवश्यक है?

8.4 सारांश

पाठ्यक्रम अध्ययन एवं मूल्यांकन शिक्षा व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जिसके माध्यम से पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। पाठ्यक्रम अध्ययन यह सुनिश्चित करता है कि पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों, समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप है,

जबकि पाठ्यक्रम मूल्यांकन उसके उद्देश्यों की प्राप्ति, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया तथा अधिगम परिणामों का परीक्षण करता है।

टायलर मॉडल उद्देश्य-आधारित मूल्यांकन पर बल देता है, मॉसी मॉडल निरंतर सुधार एवं संशोधन को महत्व देता है तथा हिल्डा टाबा मॉडल शिक्षक एवं शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर आधारित पाठ्यक्रम विकास का समर्थन करता है। आधुनिक शिक्षा में इन सभी मॉडलों का संतुलित उपयोग गुणवत्तापूर्ण, लचीले एवं शिक्षार्थी-केंद्रित पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

8.5 शब्दावली

- पाठ्यक्रम अध्ययन — पाठ्यक्रम का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विश्लेषण।
- पाठ्यक्रम मूल्यांकन — पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन।
- मूल्यांकन मॉडल — मूल्यांकन की व्यवस्थित रूपरेखा।
- उद्देश्य-आधारित मूल्यांकन — पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर मूल्यांकन।
- अधिगम अनुभव — सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त अनुभव।
- पाठ्यक्रम विकास — पाठ्यक्रम के निर्माण एवं सुधार की प्रक्रिया।
- टायलर मॉडल — उद्देश्य-आधारित पाठ्यक्रम मूल्यांकन मॉडल।
- मॉसी मॉडल — सुधारोन्मुख पाठ्यक्रम मूल्यांकन मॉडल।
- हिल्डा टाबा मॉडल — शिक्षक-केंद्रित पाठ्यक्रम विकास मॉडल।
- शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा — विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों पर आधारित शिक्षा।

8.6 अपनी प्रगति जाँचें (संभावित उत्तर)

उत्तर 1: पाठ्यक्रम की संरचना, विषय-वस्तु एवं प्रभावशीलता का वैज्ञानिक अध्ययन।

उत्तर 2: पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों पर।

उत्तर 3: शिक्षक-केंद्रित एवं शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर आधारित पाठ्यक्रम विकास।

उत्तर 4: पाठ्यक्रम में निरंतर सुधार एवं संशोधन करना।

उत्तर 5: पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं उद्देश्यों की प्राप्ति का आकलन करने के लिए।

8.7 पाठ्य सहायक सामग्री (मुक्त शैक्षिक संसाधन)

- DIKSHA Portal
- SWAYAM
- e-PG Pathshala
- NCERT ePathshala
- NROER (National Repository of Open Educational Resources)
- National Digital Library of India (NDLI)

8.8 संदर्भ (APA 7th Edition)

- Tyler, R. W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. University of Chicago Press.
- Taba, H. (1962). Curriculum Development: Theory and Practice. Harcourt Brace.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). Curriculum: Foundations, Principles and Issues (7th ed.). Pearson.
- Aggarwal, J. C. (2022). Theory and Principles of Education. Vikas Publishing House.
- Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education.

8.9 अभ्यास

(क) वस्तुनिष्ठ प्रश्न (उत्तर सहित)

1. टायलर मॉडल किस पर आधारित है?

(अ) अनुभव (ब) उद्देश्य (स) गतिविधि (द) संस्कृति

उत्तर: (ब) उद्देश्य

2. हिल्डा टाबा मॉडल किस दृष्टिकोण का समर्थन करता है?

(अ) शिक्षक-केंद्रित (ब) परीक्षा-केंद्रित (स) पुस्तक-केंद्रित (द) प्रशासन-केंद्रित

उत्तर: (अ) शिक्षक-केंद्रित

3. मॉसी मॉडल का मुख्य उद्देश्य है—

(अ) केवल परीक्षा लेना

(ब) पाठ्यक्रम में सुधार करना

(स) अंक देना

(द) विषय चयन करना

उत्तर: (ब) पाठ्यक्रम में सुधार करना

4. पाठ्यक्रम मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है?

- (अ) केवल परिणाम घोषित करना
- (ब) पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करना
- (स) केवल पाठ्यपुस्तक चुनना
- (द) केवल परीक्षा आयोजित करना

उत्तर: (ब)

5. पाठ्यक्रम अध्ययन किस प्रकार की प्रक्रिया है?

- (अ) अस्थायी
- (ब) वैज्ञानिक एवं सतत
- (स) केवल वार्षिक
- (द) अनौपचारिक

उत्तर: (ब)

(ख) लघु उत्तरीय प्रश्न

1. पाठ्यक्रम अध्ययन का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए।
2. पाठ्यक्रम मूल्यांकन के प्रमुख दृष्टिकोण लिखिए।
3. टायलर मॉडल की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
4. हिल्डा टाबा मॉडल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
5. मॉसी मॉडल की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए।

(ग) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. पाठ्यक्रम अध्ययन एवं मूल्यांकन की अवधारणा का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रमुख मूल्यांकन दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए।

2. टायलर, मॉसी तथा हिल्डा टाबा मॉडल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए इसकी उपयोगिता एवं सीमाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए

खंड – 4

पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्य शिक्षा

इकाई -9

पाठ्यक्रम विकास में संस्थाओं की भूमिका

- 9.1 परिचय
- 9.2 उद्देश्य
- 9.3 पाठ्यक्रम विकास में संस्थाओं की भूमिका
 - 9.3.1 UGC की भूमिका
 - 9.3.2 NCTE की भूमिका
 - 9.3.3 विश्वविद्यालयों की भूमिका
- 9.4 सारांश
- 9.5 शब्दावली
- 9.6 अपनी प्रगति जांचे- सम्भावित उत्तर
- 9.7 पाठ्य सहायक सामग्री -शैक्षिक संसाधन
- 9.8 सन्दर्भ
- 9.9 अभ्यास के प्रश्न

9.1 परिचय

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक विकास का आधार होती है तथा पाठ्यक्रम उसकी आत्मा माना जाता है। एक प्रभावी, समसामयिक एवं गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम के निर्माण एवं विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये संस्थाएं समय-समय पर शिक्षा की बदलती आवश्यकताओं, राष्ट्रीय नीतियों, वैश्विक परिवर्तनों, वैज्ञानिक प्रगति तथा सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन एवं नवाचार सुनिश्चित करती हैं।

भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) तथा विभिन्न विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास, गुणवत्ता आश्वासन, शिक्षक शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार तथा मूल्यांकन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के पश्चात् इन संस्थाओं की भूमिका और अधिक व्यापक एवं उत्तरदायित्व पूर्ण हो गई है। वर्तमान समय में बहु विषयक शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षण, अनुसंधान, भारतीय ज्ञान परंपरा तथा परिणाम-आधारित शिक्षा (Outcome Based Education) को पाठ्यक्रम में समाहित करने की दिशा में इन संस्थाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस इकाई में UGC, NCTE एवं विश्वविद्यालयों की भूमिका, कार्य एवं पाठ्यक्रम विकास में उनके योगदान का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, जिससे शिक्षार्थी भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था एवं पाठ्यक्रम निर्माण की संस्थागत प्रक्रिया को भली-भाँति समझ सकेंगे।

पाठ्यक्रम शिक्षा व्यवस्था का एक गतिशील एवं निरंतर विकसित होने वाला घटक है। समाज, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप पाठ्यक्रम का समय-समय पर पुनः परीक्षण एवं विकास आवश्यक होता है। यह कार्य केवल विद्यालयों या शिक्षकों द्वारा नहीं

किया जा सकता, बल्कि इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ संस्थाओं का मार्गदर्शन एवं सहयोग आवश्यक होता है।

भारत में UGC, NCTE तथा विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता, मानकीकरण, पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार को दिशा प्रदान करते हैं। UGC विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के मानकों का निर्धारण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। NCTE शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता, पाठ्यचर्या एवं प्रशिक्षण मानकों का विकास करती है। वहीं विश्वविद्यालय स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण, संशोधन एवं क्रियान्वयन करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने इन संस्थाओं की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाया है। आज पाठ्यक्रम केवल विषय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन कौशल, रोजगारपरक शिक्षा, डिजिटल दक्षता, अनुसंधान, नवाचार, पर्यावरण संरक्षण, नैतिक मूल्य तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को भी समान महत्व दिया जा रहा है। इसलिए इन संस्थाओं की भूमिका को समझना प्रत्येक शिक्षक, शोधार्थी एवं शिक्षा के विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है।

9.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् शिक्षार्थी—

- पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा को समझ सकेंगे।
- पाठ्यक्रम विकास में UGC की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे।
- NCTE के कार्यों एवं योगदान की व्याख्या कर सकेंगे।
- विश्वविद्यालयों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट कर सकेंगे।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे।

9.3 पाठ्यक्रम विकास में संस्थाओं की भूमिका

I. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की भूमिका परिचय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission-UGC) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1956 में विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय, गुणवत्ता, मानकों के निर्धारण तथा विकास के उद्देश्य से की गई।

पाठ्यक्रम विकास में UGC की भूमिका

- उच्च शिक्षा के मानकों का निर्धारण।
- विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम निर्माण हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करना।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम सुधार को प्रोत्साहित करना।
- Outcome Based Education (OBE) एवं Choice Based Credit System (CBCS) को बढ़ावा देना।
- बहुविषयक एवं कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों का विकास।
- अनुसंधान, नवाचार एवं डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
- भारतीय ज्ञान परंपरा, मूल्य शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में समाहित करने हेतु मार्गदर्शन।
- विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता एवं शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

UGC का महत्व

- उच्च शिक्षा में एकरूपता एवं गुणवत्ता बनाए रखता है।
- पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है।
- नवाचार एवं अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देता है।
- रोजगारोन्मुख एवं कौशल-आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करता है।

II. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की भूमिका

परिचय

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (National Council for Teacher Education–NCTE) की स्थापना 1993 में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता, मानकों एवं नियमन के लिए की गई। इसका उद्देश्य शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को प्रभावी, आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना है।

पाठ्यक्रम विकास में NCTE की भूमिका

- शिक्षक शिक्षा के मानकों एवं गुणवत्ता का निर्धारण।
- B.Ed., M.Ed., D.El.Ed. आदि कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश।
- शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना।
- शिक्षक शिक्षा में ICT, समावेशी शिक्षा एवं नवीन शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देना।
- विद्यालय इंटर्नशिप एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना।
- शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास (CPD) को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शिक्षक शिक्षा में सुधार आदि कार्यों में उनकी भूमिका होती है।

NCTE का महत्व

- शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
- कुशल एवं दक्ष शिक्षकों का निर्माण करता है।

- शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है।
- आधुनिक एवं नवाचारी शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देता है।

III. विश्वविद्यालयों की भूमिका (Role of Universities in Curriculum Development)

परिचय

विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं, जहां ज्ञान का सृजन, संरक्षण एवं प्रसार किया जाता है। विश्वविद्यालय केवल शिक्षण संस्थान नहीं हैं, बल्कि वे अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास तथा समाजोपयोगी ज्ञान के विकास के प्रमुख माध्यम भी हैं। पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण, संशोधन एवं क्रियान्वयन करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विश्वविद्यालयों को बहुविषयक, लचीले, कौशल-आधारित एवं परिणाम-आधारित (Outcome-Based) पाठ्यक्रम विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। विश्वविद्यालय उद्योग, समाज, विशेषज्ञों एवं शिक्षकों के सहयोग से समय-समय पर पाठ्यक्रम का पुनः परीक्षण करते हैं।

पाठ्यक्रम विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका

- स्थानीय एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना।
- समय-समय पर पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण एवं अद्यतन करना।
- नई शिक्षा नीति के अनुरूप बहुविषयक एवं लचीले पाठ्यक्रम विकसित करना।
- कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- भारतीय ज्ञान परंपरा, पर्यावरण शिक्षा, नैतिक शिक्षा एवं अनुसंधान को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना।
- शिक्षकों, विशेषज्ञों एवं उद्योग जगत के सुझावों के आधार पर पाठ्यक्रम विकसित करना।
- डिजिटल शिक्षण एवं ICT आधारित अधिगम को बढ़ावा देना।
- गुणवत्ता आश्वासन एवं परिणाम-आधारित शिक्षा को लागू करने आदि में अहम भूमिका होती है।

विश्वविद्यालयों का महत्व

- गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं।
- अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।
- रोजगारपरक एवं कौशल-आधारित शिक्षा विकसित करते हैं।
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन तैयार करते हैं।

अपनी प्रगति जांचें-

प्रश्न 1. UGC का मुख्य कार्य क्या है?

प्रश्न 2. NCTE किस क्षेत्र से संबंधित संस्था है?

प्रश्न 3. विश्वविद्यालयों की पाठ्यक्रम विकास में एक प्रमुख भूमिका लिखिए।

प्रश्न 4. Outcome Based Education (OBE) क्या है?

प्रश्न 5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पाठ्यक्रम में किस पर विशेष बल देती है?

9.4 सारांश

पाठ्यक्रम विकास एक सतत, गतिशील एवं सहभागिता पूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय एवं शैक्षिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) तथा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम निर्माण, विकास, संशोधन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। UGC उच्च शिक्षा के मानकों का निर्धारण, वित्तीय सहायता तथा शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रोत्साहित करता है। NCTE शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता, मानकों एवं पाठ्यचर्या के विकास का दायित्व निभाती है। विश्वविद्यालय स्थानीय एवं वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण, संशोधन एवं प्रभावी क्रियान्वयन करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने इन संस्थाओं की भूमिका को और अधिक व्यापक बनाया है। आज पाठ्यक्रम केवल विषय-वस्तु तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार, डिजिटल साक्षरता, भारतीय ज्ञान परंपरा, पर्यावरणीय चेतना, नैतिक मूल्य तथा समावेशी शिक्षा को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। इन संस्थाओं के समन्वित प्रयासों से शिक्षा अधिक गुणवत्तापूर्ण, प्रासंगिक, लचीली तथा शिक्षार्थी-केंद्रित बन रही है, जिससे राष्ट्रीय विकास एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप दक्ष मानव संसाधन का निर्माण संभव हो रहा है।

9.5 शब्दावली

- पाठ्यक्रम विकास (Curriculum Development): शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण, संशोधन एवं सुधार की प्रक्रिया।
- UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग): उच्च शिक्षा के मानकों का निर्धारण एवं विकास करने वाली वैधानिक संस्था।
- NCTE (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद): शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता एवं मानकों का नियमन करने वाली संस्था।
- विश्वविद्यालय (University): उच्च शिक्षा, अनुसंधान एवं ज्ञान सृजन का प्रमुख संस्थान।

- CBCS (Choice Based Credit System): विद्यार्थियों को विषय चयन की स्वतंत्रता प्रदान करने वाली क्रेडिट प्रणाली।
- Outcome Based Education (OBE): अधिगम परिणामों एवं दक्षताओं पर आधारित शिक्षा प्रणाली।
- गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance): शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने एवं सुधारने की प्रक्रिया।
- बहु विषयक शिक्षा (Multidisciplinary Education): विभिन्न विषयों के समन्वित अध्ययन पर आधारित शिक्षा।
- भारतीय ज्ञान परंपरा (Indian Knowledge System): भारत की पारंपरिक ज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत पर आधारित ज्ञान प्रणाली।
- डिजिटल शिक्षा (Digital Education): सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया।

9.6 अपनी प्रगति जाँचें (संभावित उत्तर)

उत्तर 1: उच्च शिक्षा के मानकों का निर्धारण, समन्वय एवं विकास करना।

उत्तर 2: शिक्षक शिक्षा एवं उसके मानकों से।

उत्तर 3: समय-समय पर पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण एवं अद्यतन करना।

उत्तर 4: अधिगम परिणामों एवं दक्षताओं पर आधारित शिक्षा प्रणाली।

उत्तर 5: बहुविषयक, कौशल-आधारित एवं शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा पर।

9.7 पाठ्य सहायक सामग्री (मुक्त शैक्षिक संसाधन)

- DIKSHA Portal
- SWAYAM
- e-PG Pathshala
- National Digital Library of India (NDLI)
- NROER (National Repository of Open Educational Resources)
- UGC e-Content Portal
- NCTE Online Resources

9.8 संदर्भ (APA 7th Edition)

- Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education.
- University Grants Commission. (2023). Guidelines for Curriculum and Credit Framework. New Delhi.
- National Council for Teacher Education. (2021). Teacher Education Curriculum Framework. New Delhi.
- Aggarwal, J. C. (2022). Theory and Principles of Education. Vikas Publishing House.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). Curriculum: Foundations, Principles and Issues (7th ed.). Pearson.

9.9 अभ्यास

(क) वस्तुनिष्ठ प्रश्न (उत्तर सहित)

1. UGC की स्थापना कब हुई थी?

(अ) 1947

(ब) 1956

(स) 1968

(द) 1986

उत्तर: (ब) 1956

2. NCTE का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(अ) विद्यालय निर्माण

(ब) शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना

(स) परीक्षा आयोजित करना

(द) छात्रवृत्ति प्रदान करना

उत्तर: (ब)

3. Outcome Based Education का संबंध किससे है?

(अ) भवन निर्माण

(ब) अधिगम परिणामों से

(स) खेल गतिविधियों से

(द) वित्तीय प्रबंधन से

उत्तर: (ब)

4. बहु विषयक शिक्षा पर विशेष बल किस नीति में दिया गया है?

(अ) NPE 1986

(ब) NEP 2020

(स) RTE2009

(द) NCF 2005

उत्तर: (ब)

5. पाठ्यक्रम का समय-समय पर पुनः परीक्षण मुख्यतः कौन करता है?

(अ) केवल विद्यार्थी

(ब) विश्वविद्यालय एवं विशेषज्ञ समितियां

(स) केवल अभिभावक

(द) केवल परीक्षा बोर्ड

उत्तर: (ब)

(ख) लघु उत्तरीय प्रश्न

1. पाठ्यक्रम विकास में UGC की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

2. NCTE के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए।

विश्वविद्यालयों की पाठ्यक्रम विकास में भूमिका लिखिए।

3. Outcome Based Education (OBE) क्या है?

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का पाठ्यक्रम विकास पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए।

(ग) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. पाठ्यक्रम विकास में UGC, NCTE एवं विश्वविद्यालयों की भूमिका का विस्तृत विवेचन कीजिए।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में पाठ्यक्रम विकास में संस्थागत योगदान का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

इकाई 10

मूल्य शिक्षा

10.1 परिचय

10.2 उद्देश्य

10.3 मूल्य शिक्षा

10.3.1 मूल्य शिक्षा की अवधारणा

10.3.2 मानवीय मूल्य

10.3.3 नैतिक मूल्यों का विकास

10.3.4 मूल्य शिक्षा का महत्व

10.4 सारांश

10.5 शब्दावली

10.6 अपनी प्रगति की जांच - संभावित उत्तर

10.7 सहायक पाठ्य सामग्री -शैक्षिक संसाधन

10.8 सन्दर्भ

10.9 अभ्यास प्रश्न

10.1 परिचय

मानव जीवन केवल ज्ञान, कौशल एवं बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक उद्देश्य एक आदर्श, उत्तरदायी एवं संवेदनशील नागरिक का निर्माण करना भी है। यही कारण है कि शिक्षा के साथ-साथ मूल्य शिक्षा (Value Education) को शिक्षा का अभिन्न अंग माना गया है। मूल्य शिक्षा व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार, नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा मानवीय संवेदनाओं का विकास करती है। यह शिक्षार्थियों में सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता, ईमानदारी, करुणा, अनुशासन, न्याय एवं सेवा जैसे मानवीय मूल्यों का विकास करती है, जिससे वे समाज एवं राष्ट्र के विकास में सकारात्मक योगदान दे सकें।

वर्तमान समय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास, वैश्वीकरण, उपभोक्तावाद तथा बदलती सामाजिक परिस्थितियों के कारण नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। ऐसी स्थिति में मूल्य शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी शिक्षा के माध्यम से नैतिकता, संवैधानिक मूल्यों, भारतीय संस्कृति, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं वैश्विक नागरिकता के विकास पर विशेष बल देती है। इसलिए विद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का अनिवार्य एवं प्रभावी घटक बनाया जा रहा है।

इस इकाई में मूल्य शिक्षा की अवधारणा, मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्यों का विकास तथा मूल्य शिक्षा के महत्व का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, जिससे शिक्षार्थी व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में मूल्यों की भूमिका को समझ सकें।

मनुष्य जन्म से केवल जैविक प्राणी होता है, परन्तु शिक्षा एवं संस्कार उसे एक आदर्श सामाजिक प्राणी बनाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना या ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना है जो नैतिक, जिम्मेदार, सहिष्णु एवं मानवीय गुणों से युक्त हों। यही उद्देश्य मूल्य शिक्षा के माध्यम से पूरा होता है।

मूल्य शिक्षा व्यक्ति को सही एवं गलत में अंतर करने की क्षमता प्रदान करती है तथा उसके विचारों, व्यवहार एवं निर्णयों को सकारात्मक दिशा देती है। यह केवल नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन जीने की ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति में आत्मानुशासन, सत्यनिष्ठा, सहयोग, सहानुभूति, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों के सम्मान तथा सामाजिक समरसता की भावना विकसित करती है।

आज के समय में परिवार, विद्यालय, समाज एवं मीडिया सभी का दायित्व है कि वे बच्चों एवं युवाओं में जीवन-मूल्यों का विकास करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने भी मूल्य-आधारित शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा, संवैधानिक मूल्यों, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय चेतना तथा वैश्विक नागरिकता को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। इसलिए मूल्य शिक्षा केवल एक विषय नहीं, बल्कि सम्पूर्ण शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का आधार है।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् शिक्षार्थी—

- मूल्य शिक्षा की अवधारणा एवं स्वरूप को समझ सकेंगे।
- मानवीय मूल्यों का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कर सकेंगे।
- नैतिक मूल्यों के विकास की प्रक्रिया का वर्णन कर सकेंगे।
- मूल्य शिक्षा की आवश्यकता एवं उपयोगिता का विश्लेषण कर सकेंगे।
- व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में मूल्य शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे।

10.3 मूल्य शिक्षा

I. मूल्य शिक्षा की अवधारणा (Concept of Value Education)

अर्थ एवं अवधारणा

मूल्य शिक्षा से आशय ऐसी शिक्षा से है जो व्यक्ति के चरित्र, व्यक्तित्व, आचरण एवं जीवन-दृष्टि का विकास करते हुए उसमें नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का संवर्धन करे। यह केवल ज्ञान

प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति को सत्य, न्याय, ईमानदारी, करुणा, सहिष्णुता, सहयोग एवं उत्तरदायित्व जैसे गुणों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करती है।

शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब विद्यार्थी ज्ञान के साथ-साथ उत्तम चरित्र एवं श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों का विकास भी करें। मूल्य शिक्षा इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मूल्य शिक्षा की विशेषताएँ

चरित्र निर्माण पर बल देती है।

नैतिक एवं मानवीय गुणों का विकास करती है।

सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करती है।

लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करती है।

शांति, सहिष्णुता एवं सहयोग को बढ़ावा देती है।

समग्र व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है।

मूल्य शिक्षा के उद्देश्य

नैतिक चरित्र का निर्माण करना।

मानवीय मूल्यों का विकास करना।

सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।

उत्तरदायी एवं संवेदनशील नागरिक तैयार करना।

जीवन में नैतिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना।

II. मानवीय मूल्य (Human Values)

अर्थ एवं अवधारणा

मानवीय मूल्य वे आदर्श, गुण एवं सिद्धांत हैं जो मनुष्य को मानवीय गरिमा, नैतिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ये मूल्य व्यक्ति के व्यवहार, विचार एवं निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं तथा समाज में शांति, सहयोग एवं सद्भाव बनाए रखने में सहायता करते हैं।

मानवीय मूल्यों की प्रमुख विशेषताएँ

सार्वभौमिक एवं सर्वमान्य।

व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए उपयोगी।

नैतिक एवं सामाजिक जीवन का आधार।

मानव कल्याण एवं विश्व शांति के प्रेरक।

जीवन में अनुशासन एवं उत्तरदायित्व का विकास।

प्रमुख मानवीय मूल्य

- सत्य (Truth): सदैव सत्य बोलना एवं सत्य का पालन करना।

- अहिंसा (Non-Violence): किसी भी प्राणी को शारीरिक या मानसिक कष्ट न पहुँचाना।
- प्रेम (Love): सभी के प्रति स्नेह एवं सद्भाव रखना।
- करुणा (Compassion): दूसरों के दुःख को समझना एवं सहायता करना।
- सहयोग (Cooperation): सामूहिक कार्य एवं पारस्परिक सहायता की भावना।
- ईमानदारी (Honesty): सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्ष आचरण करना।
- सहिष्णुता (Tolerance): विभिन्न विचारों, संस्कृतियों एवं धर्मों का सम्मान करना।
- अनुशासन (Discipline): नियमों एवं कर्तव्यों का पालन करना।
- न्याय (Justice): सभी के साथ समान एवं निष्पक्ष व्यवहार करना।
- सेवा (Service): निस्वार्थ भाव से समाज एवं मानवता की सेवा करना।

मानवीय मूल्यों का महत्व

- व्यक्तित्व का संतुलित विकास।
- सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता।
- नैतिक एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण।
- लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण।
- विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा।

III. नैतिक मूल्यों का विकास (Development of Moral Values)

अर्थ एवं अवधारणा

नैतिक मूल्य वे आदर्श एवं सिद्धांत हैं जो व्यक्ति को उचित एवं अनुचित, सत्य एवं असत्य, न्याय एवं अन्याय तथा अच्छे एवं बुरे व्यवहार में अंतर करना सिखाते हैं। ये मूल्य व्यक्ति के चरित्र, आचरण एवं निर्णयों को सही दिशा प्रदान करते हैं। नैतिक मूल्यों का विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो परिवार, विद्यालय, समाज, संस्कृति तथा व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से होता है।

शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से परिपक्व, संवेदनशील एवं उत्तरदायी नागरिक तैयार करना भी है। इसलिए विद्यालयी शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश अत्यंत आवश्यक है।

नैतिक मूल्यों के विकास के प्रमुख स्रोत

1. परिवार

परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अपने व्यवहार, संस्कार एवं आदर्शों के माध्यम से सत्य, अनुशासन, सहयोग, सम्मान तथा जिम्मेदारी जैसे मूल्यों का विकास करते हैं।

2. विद्यालय

विद्यालय विद्यार्थियों में अनुशासन, समय पालन, सहिष्णुता, सहयोग, नेतृत्व, लोकतांत्रिक व्यवहार तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करता है। शिक्षक अपने आदर्श आचरण द्वारा विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनते हैं।

3. समाज

समाज की परंपरा, रीति-रिवाज, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं सामाजिक संस्थाएं नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

4. संस्कृति एवं धर्म

भारतीय संस्कृति सत्य, अहिंसा, दया, सेवा, त्याग, करुणा एवं सहिष्णुता जैसे जीवन मूल्यों पर आधारित है। विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएँ नैतिक जीवन के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं।

5. साहित्य एवं महापुरुषों का जीवन

महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानन्द, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा अन्य महापुरुषों का जीवन विद्यार्थियों के लिए नैतिक प्रेरणा का स्रोत है।

नैतिक मूल्यों के विकास के उपाय

- मूल्य-आधारित शिक्षा।
- शिक्षक का आदर्श व्यक्तित्व।
- प्रार्थना सभा एवं प्रेरक प्रसंग।
- सामुदायिक सेवा एवं सामाजिक कार्य।
- समूह चर्चा एवं भूमिका-अभिनय।
- योग, ध्यान एवं आत्मचिंतन
- राष्ट्रीय पर्व एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम।
- पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ी गतिविधियाँ।
- नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका
- आदर्श आचरण प्रस्तुत करना।
- विद्यार्थियों को नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना।

- सहयोगात्मक एवं समावेशी वातावरण तैयार करना।
- जीवन-मूल्यों को दैनिक शिक्षण में समाहित करना।
- संवेदनशील एवं उत्तरदायी नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना।

IV. मूल्य शिक्षा का महत्व (Importance of Value Education)

मूल्य शिक्षा व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र—तीनों के समग्र विकास की आधारशिला है। यह शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन तक सीमित न रखकर उसे जीवनोपयोगी बनाती है।

व्यक्तिगत स्तर पर

- चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास।
- आत्मविश्वास एवं आत्मानुशासन में वृद्धि।
- नैतिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास।
- सकारात्मक सोच एवं आत्मसम्मान का विकास।

सामाजिक स्तर पर

- सामाजिक समरसता एवं सद्भाव का विकास।
- सहयोग, सहिष्णुता एवं भाईचारे की भावना।
- सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नागरिक चेतना का विकास।
- हिंसा, भेदभाव एवं असहिष्णुता में कमी।

राष्ट्रीय स्तर पर

राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुदृढ़ करना।
लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण।
उत्तरदायी एवं जागरूक नागरिकों का निर्माण।
राष्ट्र निर्माण एवं सतत विकास में योगदान।

वैश्विक स्तर पर

विश्व बंधुत्व एवं मानवता की भावना का विकास।
शांति, सह-अस्तित्व एवं वैश्विक सहयोग को बढ़ावा।
पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति उत्तरदायित्व।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में मूल्य शिक्षा
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 शिक्षा में नैतिकता,

- संवैधानिक कर्तव्य, भारतीय ज्ञान परंपरा, पर्यावरणीय चेतना, लैंगिक समानता,
- सेवा-भाव, सहानुभूति एवं वैश्विक नागरिकता जैसे मूल्यों के विकास पर विशेष बल देती है। इसका उद्देश्य ऐसे शिक्षार्थियों का निर्माण करना है जो ज्ञानवान होने के साथ-साथ संवेदनशील, उत्तरदायी एवं नैतिक नागरिक भी हों।

अपनी प्रगति जांचें-

प्रश्न 1. मूल्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है?

प्रश्न 2. मानवीय मूल्यों के दो उदाहरण लिखिए।

प्रश्न 3. नैतिक मूल्यों का प्रथम स्रोत कौन-सा है?

प्रश्न 4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 मूल्य शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है?

प्रश्न 5. मूल्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

10.4 सारांश

मूल्य शिक्षा शिक्षा की आत्मा है, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है। यह शिक्षार्थियों में सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहयोग, करुणा, सहिष्णुता, ईमानदारी, अनुशासन एवं उत्तरदायित्व जैसे मानवीय एवं नैतिक मूल्यों का विकास करती है। वर्तमान समय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है।

परिवार, विद्यालय, समाज, संस्कृति तथा शिक्षक नैतिक मूल्यों के विकास के प्रमुख माध्यम हैं। मूल्य शिक्षा व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनने, समाज में सौहार्द स्थापित करने तथा राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी मूल्य-आधारित, समावेशी एवं भारतीय ज्ञान परंपरा से समृद्ध शिक्षा पर विशेष बल देती है। अतः मूल्य शिक्षा का उद्देश्य केवल शिक्षित व्यक्ति बनाना नहीं, बल्कि ऐसे उत्तरदायी, संवेदनशील एवं नैतिक नागरिक तैयार करना है जो मानवता, लोकतंत्र एवं विश्व शांति के आदर्शों को जीवन में अपनाएँ।

10.5 शब्दावली

- मूल्य शिक्षा – जीवन-मूल्यों के विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा।
- मानवीय मूल्य – मानव कल्याण एवं सामाजिक सद्भाव से जुड़े आदर्श।
- नैतिक मूल्य – उचित एवं अनुचित व्यवहार का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत।
- चरित्र निर्माण – श्रेष्ठ गुणों एवं आदर्श व्यवहार का विकास।
- सहिष्णुता – भिन्न विचारों एवं संस्कृतियों का सम्मान करना।

- करुणा – दूसरों के दुःख के प्रति संवेदनशील होना।
- उत्तरदायित्व – अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन।
- संवैधानिक मूल्य – संविधान में निहित आदर्श एवं सिद्धांत।
- वैश्विक नागरिकता – समस्त मानवता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना।
- समावेशिता – सभी व्यक्तियों को समान अवसर एवं सम्मान प्रदान करना।

10.6 अपनी प्रगति जाँचें (संभावित उत्तर)

उत्तर 1: ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति में नैतिक, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास करे।

उत्तर 2: सत्य एवं करुणा।

उत्तर 3: परिवार।

उत्तर 4: नैतिकता, संवैधानिक मूल्य, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व।

उत्तर 5: आदर्श, उत्तरदायी एवं नैतिक नागरिकों का निर्माण।

10.7 पाठ्य सहायक सामग्री – मुक्त शैक्षिक संसाधन

- DIKSHA Portal
- SWAYAM
- e-PG Pathshala
- NROER
- National Digital Library of India (NDLI)
- NCERT ePathshala
- UNESCO – Education for Sustainable Development Resources

10.8 संदर्भ (APA 7th Edition)

- Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education.
- NCERT. (2005). National Curriculum Framework. New Delhi.
- Aggarwal, J. C. (2022). Theory and Principles of Education. Vikas Publishing House.
- Mangal, S. K., & Mangal, U. (2020). Essentials of Educational Psychology. PHI Learning.
- UNESCO. (2021). Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education.

10.9 अभ्यास प्रश्न

(क) वस्तुनिष्ठ प्रश्न (उत्तर सहित)

मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- (अ) केवल परीक्षा में सफलता
- (ब) चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास
- (स) केवल रोजगार प्राप्त करना
- (द) केवल ज्ञान देना

उत्तर: (ब)

नैतिक मूल्यों का प्रथम स्रोत कौन है?

- (अ) समाज
- (ब) परिवार
- (स) मीडिया
- (द) बाजार

उत्तर: (ब)

निम्नलिखित में कौन-सा मानवीय मूल्य है?

- (अ) करुणा
- (ब) प्रतिस्पर्धा
- (स) लाभ
- (द) उपभोग

उत्तर: (अ)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 किस पर बल देती है?

- (अ) रटने पर
- (ब) मूल्य-आधारित शिक्षा पर
- (स) केवल परीक्षा पर
- (द) केवल तकनीकी शिक्षा पर

उत्तर: (ब)

सहिष्णुता का अर्थ है—

- (अ) दूसरों का अपमान करना
- (ब) भिन्न विचारों का सम्मान करना
- (स) केवल अपनी बात मानना
- (द) किसी से बात न करना

उत्तर: (ब)

(ख) लघु उत्तरीय प्रश्न

1. मूल्य शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए।
2. मानवीय मूल्यों का महत्व लिखिए।
3. नैतिक मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका बताइए।
4. मूल्य शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में मूल्य शिक्षा का महत्व बताइए।

(ग) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. मूल्य शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्य एवं महत्व का विस्तृत विवेचन कीजिए।
2. मानवीय एवं नैतिक मूल्यों के विकास में परिवार, विद्यालय तथा समाज की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

खंड - 5

बहुसांस्कृतिक समाज एवं नैतिक विकास

इकाई 11

बहुसांस्कृतिक एवं लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा

11.1 परिचय

11.2 उद्देश्य

11.3 बहुसांस्कृतिक एवं लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा

11.3.1 सांस्कृतिक समाज की अवधारणा

11.3.2 धार्मिक विविधता एवं शिक्षा

11.3.3 लोकतांत्रिक मूल्य

11.3.4 वैल्यू सिस्टम

11.4 सारांश

11.5 शब्दावली

11.6 अपनी प्रगति जांचे- संभावित उत्तर

11.7 सहायक पाठ्य सामग्री - शैक्षिक संसाधन

11.8 सन्दर्भ

11.9 अभ्यास प्रश्न

11.1 परिचय

भारत एक बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों, परम्पराओं और जीवन-शैलियों के लोग समान अधिकारों के साथ निवास करते हैं। ऐसी विविधताओं से युक्त समाज में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि विविधताओं के प्रति सम्मान, सहिष्णुता, समानता, सामाजिक न्याय तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना भी है। बहुसांस्कृतिक एवं लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा विद्यार्थियों को उत्तरदायी, संवेदनशील एवं नैतिक नागरिक बनने के लिए तैयार करती है तथा राष्ट्रीय एकता एवं वैश्विक नागरिकता की भावना का विकास करती है।

समकालीन समाज निरंतर परिवर्तनशील एवं विविधताओं से परिपूर्ण है। वैश्वीकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक परिवर्तनों के कारण विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संपर्क बढ़ा है। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा की भूमिका केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि यह सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक संरक्षण, लोकतांत्रिक सहभागिता तथा मानवीय मूल्यों के विकास का प्रमुख माध्यम बन जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी समावेशी, न्यायपूर्ण एवं समान अवसर आधारित शिक्षा पर बल देती है। विद्यालय विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं एवं धार्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण विकसित करने के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्यों—स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय एवं उत्तरदायित्व—को व्यवहार में अपनाने हेतु प्रेरित करते हैं। इस प्रकार शिक्षा बहुसांस्कृतिक समाज में राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व की आधारशिला सिद्ध होती है।

11.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत शिक्षार्थी—

- बहुसांस्कृतिक समाज की अवधारणा को समझ सकेंगे।
- संस्कृति एवं शिक्षा के पारस्परिक संबंधों का वर्णन कर सकेंगे।
- धार्मिक विविधता के शैक्षिक महत्व का विश्लेषण कर सकेंगे।
- लोकतांत्रिक मूल्यों की विशेषताओं को स्पष्ट कर सकेंगे।
- शिक्षा में मूल्य प्रणाली (Value System) की भूमिका का मूल्यांकन कर सकेंगे।
- समावेशी एवं लोकतांत्रिक शिक्षण वातावरण विकसित करने की आवश्यकता को समझ सकेंगे।
- राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव एवं वैश्विक नागरिकता के महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे।

11.3 बहुसांस्कृतिक एवं लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा

I. बहुसांस्कृतिक समाज की अवधारणा (Concept of Multicultural Society)

अर्थ

बहुसांस्कृतिक समाज वह समाज है जिसमें विभिन्न भाषाओं, धर्मों, जातियों, संस्कृतियों, परम्पराओं एवं जीवन-शैलियों के लोग समान अधिकारों एवं सम्मान के साथ रहते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

- सांस्कृतिक विविधता
- समान अवसर
- सहिष्णुता एवं परस्पर सम्मान
- समावेशिता
- सामाजिक न्याय
- राष्ट्रीय एकता
- शिक्षा की भूमिका
- विविध संस्कृतियों के प्रति सम्मान विकसित करना।

- पूर्वाग्रह एवं भेदभाव को कम करना।
- समावेशी कक्षा वातावरण का निर्माण।
- राष्ट्रीय एवं वैश्विक नागरिकता का विकास।

II. धार्मिक विविधता एवं शिक्षा (Religious Diversity and Education)

अर्थ

धार्मिक विविधता से आशय समाज में विभिन्न धर्मों एवं उनकी मान्यताओं के सह-अस्तित्व से है।

शिक्षा का योगदान

- सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान।
- धर्मनिरपेक्षता की भावना।
- सहिष्णुता एवं सामाजिक सद्भाव।
- नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास।
- सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा।
- शिक्षक की भूमिका
- निष्पक्ष व्यवहार।
- सभी विद्यार्थियों को समान अवसर।
- धार्मिक भेदभाव से मुक्त वातावरण।
- विविध धार्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान विकसित करना।

III. लोकतांत्रिक मूल्य (Democratic Values)

अर्थ

लोकतांत्रिक मूल्य वे आदर्श हैं जो व्यक्ति एवं समाज में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास करते हैं।

प्रमुख लोकतांत्रिक मूल्य

- स्वतंत्रता (Liberty)
- समानता (Equality)

- न्याय (Justice)
- बंधुत्व (Fraternity)
- सहिष्णुता
- सहयोग
- उत्तरदायित्व
- सहभागिता

शिक्षा में महत्व

- सक्रिय नागरिकता का विकास।
- निर्णय लेने की क्षमता।
- नेतृत्व गुणों का विकास।
- मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता।
- सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना।

IV. वैल्यू सिस्टम (Value System)

अर्थ

वैल्यू सिस्टम से आशय उन नैतिक, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों के समूह से है जो व्यक्ति के व्यवहार एवं निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं।

प्रमुख मूल्य

- सत्य
- अहिंसा
- ईमानदारी
- अनुशासन
- करुणा
- सहयोग

- सहानुभूति
- पर्यावरण संरक्षण
- राष्ट्रीय एकता
- मानवता
- शिक्षा में महत्व
- चरित्र निर्माण।
- नैतिक निर्णय क्षमता।
- सामाजिक उत्तरदायित्व।
- सकारात्मक व्यक्तित्व विकास।
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।

अपनी प्रगति जांचें-

- प्रश्न 1. बहुसांस्कृतिक समाज से क्या अभिप्राय है?
- प्रश्न 2. लोकतांत्रिक मूल्यों के चार उदाहरण लिखिए।
- प्रश्न 3. शिक्षा में धार्मिक विविधता का क्या महत्व है?
- प्रश्न 4. वैल्यू सिस्टम क्या है?
- प्रश्न 5. बहुसांस्कृतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?

11.4 सारांश

बहुसांस्कृतिक एवं लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि विविधताओं के प्रति सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों, नैतिकता, सामाजिक न्याय तथा मानवीय संवेदनाओं का विकास करना है। शिक्षा विभिन्न संस्कृतियों एवं धर्मों के मध्य पारस्परिक सम्मान, सहिष्णुता तथा सहयोग की भावना विकसित करती है। लोकतांत्रिक मूल्य विद्यार्थियों को उत्तरदायी नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं, जबकि सुदृढ़ मूल्य प्रणाली उनके व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार शिक्षा राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता तथा वैश्विक नागरिकता के निर्माण का प्रभावी माध्यम है।

11.5 शब्दावली

- बहुसांस्कृतिक समाज (Multicultural Society)
- संस्कृति (Culture)
- धार्मिक विविधता (Religious Diversity)
- लोकतंत्र (Democracy)
- लोकतांत्रिक मूल्य (Democratic Values)
- मूल्य प्रणाली (Value System)
- समावेशिता (Inclusiveness)
- सहिष्णुता (Tolerance)
- सामाजिक न्याय (Social Justice)
- नागरिकता (Citizenship)

11.6 अपनी प्रगति जाँचें (संभावित उत्तर)

उत्तर 1: ऐसा समाज जिसमें विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों एवं भाषाओं के लोग समान सम्मान एवं अधिकारों के साथ रहते हैं।

उत्तर 2: स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व।

उत्तर 3: यह सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव एवं सभी धर्मों के प्रति सम्मान विकसित करती है।

उत्तर 4: व्यक्ति के व्यवहार एवं निर्णयों का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का समूह।

उत्तर 5: विविधताओं के प्रति सम्मान, समान अवसर एवं सामाजिक समरसता का विकास।

11.7 पाठ्य शिक्षण सामग्री / शैक्षिक संसाधन

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020)
- NCERT
- DIKSHA Portal
- SWAYAM
- e-PG Pathshala

- NROER
- UNESCO – Education for Peace and Global Citizenship

11.8 सन्दर्भ (APA-7 शैली)

- Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education.
- NCERT. (2023). Learning Outcomes at Elementary Stage. New Delhi: NCERT.
- UNESCO. (2021). Reimagining Our Futures Together. Paris: UNESCO.
- Aggarwal, J. C. (2022). Theory and Principles of Education. New Delhi: Vikas Publishing.
- Mangal, S. K., & Mangal, U. (2020). Essentials of Educational Psychology. PHI Learning.

11.9 अभ्यास प्रश्न

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संस्कृति की परिभाषा लिखिए।
2. वैल्यू सिस्टम क्या है?
3. लोकतांत्रिक मूल्य से क्या अभिप्राय है?

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. बहुसांस्कृतिक शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए।
2. धार्मिक विविधता एवं शिक्षा के संबंध का वर्णन कीजिए।
3. शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. बहुसांस्कृतिक एवं लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा की भूमिका का विस्तार से विवेचना कीजिए।

- 2.मूल्य प्रणाली (Value System) की अवधारणा एवं शिक्षा में उसके महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- 3.लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में विद्यालय एवं शिक्षक की भूमिका का समालोचनात्मक विवेचना कीजिए।

इकाई 12

नैतिक शिक्षा एवं नैतिक विकास

12.1 परिचय

12.2 उद्देश्य

12.3 नैतिक शिक्षा एवं नैतिक विकास

12.3.1 नैतिक शिक्षा के उद्देश्य

12.3.2 नैतिक विकास के सिद्धांत

12.3.3 कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत

12.3.4 नैतिक शिक्षा में ICT एवं रचनावादी दृष्टिकोण का उपयोग

12.4 सारांश

12.5 शब्दावली

12.6 अपनी प्रगति जांचें- सम्भावित उत्तर

12.7 सहायक पाठ्य सामग्री -शैक्षिक संसाधन

12.8 सन्दर्भ

12.9 अभ्यास प्रश्न

12.1 परिचय

नैतिक शिक्षा व्यक्ति के चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह व्यक्ति में सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, सहानुभूति, जिम्मेदारी, सहयोग एवं मानवता जैसे मूल्यों का विकास करती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को नैतिक एवं सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है।

वर्तमान समय में तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश, तकनीकी विकास एवं वैश्वीकरण के कारण नैतिक मूल्यों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। विद्यालय नैतिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में सही एवं गलत के बीच अंतर करने की क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करते हैं। इस प्रकार नैतिक शिक्षा स्वस्थ समाज एवं आदर्श नागरिकों के निर्माण का आधार है।

मानव जीवन में नैतिक मूल्यों का विशेष महत्व है। नैतिक विकास व्यक्ति के व्यवहार, विचारों एवं निर्णयों को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। परिवार, विद्यालय एवं समाज नैतिक विकास के प्रमुख माध्यम हैं, जिनमें विद्यालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी विद्यार्थियों में नैतिकता, संवेदनशीलता, संवैधानिक मूल्यों एवं जिम्मेदार नागरिकता के विकास पर बल देती है।

आज ICT एवं रचनावादी दृष्टिकोण ने नैतिक शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं व्यावहारिक बना दिया है। डिजिटल माध्यमों, गतिविधि आधारित शिक्षण, चर्चा, समस्या समाधान एवं अनुभवात्मक अधिगम द्वारा विद्यार्थियों में नैतिक चिंतन एवं व्यवहार का विकास किया जा सकता है।

12.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात शिक्षार्थी—

- नैतिक शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व को समझ सकेंगे।
- नैतिक शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट कर सकेंगे।

नैतिक विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कर सकेंगे।

- कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को समझ सकेंगे।
- नैतिक विकास में विद्यालय एवं शिक्षक की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे।
- ICT एवं रचनावादी दृष्टिकोण के माध्यम से नैतिक शिक्षा के उपयोग को समझ सकेंगे।
- विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों के विकास हेतु प्रभावी शिक्षण रणनीतियों को पहचान सकेंगे।

12.3 नैतिक शिक्षा एवं नैतिक विकास

I. नैतिक शिक्षा का अर्थ एवं अवधारणा (Meaning and Concept of Moral Education)

नैतिक शिक्षा से आशय ऐसी शिक्षा से है जिसके द्वारा व्यक्ति में अच्छे विचारों, उचित व्यवहार, सामाजिक जिम्मेदारी एवं मानवीय मूल्यों का विकास किया जाता है।

यह व्यक्ति को यह समझने में सहायता करती है कि कौन-सा व्यवहार उचित है और कौन-सा अनुचित। नैतिक शिक्षा व्यक्ति के चरित्र निर्माण एवं सामाजिक जीवन में समायोजन की क्षमता को विकसित करती है।

नैतिक शिक्षा के प्रमुख तत्व

- सत्य एवं ईमानदारी
- अनुशासन
- सहानुभूति

- सहयोग
- जिम्मेदारी
- सम्मान एवं सहिष्णुता
- सेवा भावना

II. नैतिक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Moral Education)

नैतिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. चरित्र निर्माण

विद्यार्थियों में अच्छे गुणों एवं सकारात्मक व्यवहार का विकास करना।

2. नैतिक निर्णय क्षमता का विकास

विद्यार्थियों को सही एवं गलत के बीच अंतर करने योग्य बनाना।

3. सामाजिक उत्तरदायित्व

समाज एवं राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना।

4. मानवीय मूल्यों का विकास

प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता एवं करुणा जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना।

5. आत्म-अनुशासन का विकास

विद्यार्थियों में आत्म नियंत्रण एवं जिम्मेदार व्यवहार विकसित करना।

III. नैतिक विकास के सिद्धांत (Theories of Moral Development)

नैतिक विकास व्यक्ति में नैतिक विचारों, मूल्यों एवं व्यवहारों के विकास की प्रक्रिया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने नैतिक विकास को समझने के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं।

प्रमुख नैतिक विकास सिद्धांत

1. पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत

जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में नैतिक सोच उनके अनुभव एवं सामाजिक संपर्क के आधार पर विकसित होती है।

उन्होंने नैतिक विकास को दो अवस्थाओं में विभाजित किया—

(i) पराधीन नैतिकता (Heteronomous Morality)

नियमों को स्थायी एवं अपरिवर्तनीय माना जाता है।

दंड एवं परिणाम पर अधिक ध्यान होता है।

(ii) स्वायत्त नैतिकता (Autonomous Morality)

बच्चा नियमों को समझ कर स्वीकार करता है।

उद्देश्य एवं परिस्थितियों को महत्व देता है।

IV. कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत

(Kohlberg's Theory of Moral Development)

लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने नैतिक विकास को तीन स्तरों एवं छह अवस्थाओं में विभाजित किया।

1. पूर्व-पारंपरिक स्तर (Pre-conventional Level)

अवस्था 1 – दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास

व्यक्ति दंड से बचने के लिए सही कार्य करता है।

अवस्था 2 – साधनवादी उद्देश्य एवं विनिमय

व्यक्ति अपने लाभ एवं आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लेता है।

2. पारंपरिक स्तर (Conventional Level)

अवस्था 3 – अच्छा बच्चा अभिविन्यास

व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति एवं प्रशंसा प्राप्त करने के लिए व्यवहार करता है।

अवस्था 4 – कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास

व्यक्ति सामाजिक नियमों एवं कानूनों का पालन करता है।

3. उत्तर-पारंपरिक स्तर (Post-conventional Level)

अवस्था 5 – सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार

व्यक्ति सामाजिक कल्याण एवं मानव अधिकारों को महत्व देता है।

अवस्था 6 – सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत

व्यक्ति न्याय, समानता एवं मानवीय मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है।

V. नैतिक शिक्षा में ICT एवं रचनावादी दृष्टिकोण का उपयोग

(A) ICT का उपयोग

- ICT नैतिक शिक्षा को प्रभावी एवं रोचक बनाने में सहायक है।
- ICT के माध्यम
- डिजिटल कहानियाँ
- शैक्षिक वीडियो
- ऑनलाइन चर्चा मंच
- ई-कंटेंट
- वर्चुअल गतिविधियाँ

महत्व

- नैतिक परिस्थितियों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना।
- विद्यार्थियों में चिंतन क्षमता विकसित करना।
- संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा देना।

(B) रचनावादी दृष्टिकोण (Constructivist Approach)

रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार विद्यार्थी अपने अनुभवों एवं सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं।

- नैतिक शिक्षा में उपयोग
- समस्या समाधान आधारित शिक्षण।

- समूह चर्चा।
- भूमिका निर्वहन (Role Play)।
- नैतिक दुविधाओं पर विचार-विमर्श।
- अनुभवात्मक अधिगम।

इस दृष्टिकोण से विद्यार्थी केवल नैतिक नियमों को याद नहीं करते, बल्कि उन्हें व्यवहार में लागू करना सीखते हैं।

अपनी प्रगति जांचें-

प्रश्न 1. नैतिक शिक्षा क्या है?

प्रश्न 2. कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में विभाजित किया?

प्रश्न 3. नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

प्रश्न 4. रचनावादी दृष्टिकोण क्या है?

प्रश्न 5. ICT नैतिक शिक्षा में कैसे सहायक है?

12.4 सारांश

नैतिक शिक्षा व्यक्ति के चरित्र निर्माण एवं सामाजिक विकास की आधारशिला है। यह विद्यार्थियों में सत्य, ईमानदारी, जिम्मेदारी, सहयोग एवं मानवीय मूल्यों का विकास करती है। पियाजे एवं कोहलबर्ग जैसे मनोवैज्ञानिकों ने नैतिक विकास की प्रक्रिया को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास क्रमिक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में होता है।

वर्तमान समय में ICT एवं रचनावादी दृष्टिकोण नैतिक शिक्षा को अधिक प्रभावी बना रहे हैं। डिजिटल संसाधनों, गतिविधि आधारित शिक्षण एवं अनुभवात्मक अधिगम के माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिक चिंतन एवं जिम्मेदार व्यवहार विकसित किया जा सकता है। अतः नैतिक शिक्षा एक आदर्श एवं मूल्य आधारित समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है।

12.5 शब्दावली

- नैतिक शिक्षा (Moral Education)
- नैतिक विकास (Moral Development)
- मूल्य (Values)

- चरित्र निर्माण (Character Building)
- नैतिक निर्णय (Moral Judgement)
- कोहलबर्ग सिद्धांत (Kohlberg Theory)
- रचनावादी दृष्टिकोण (Constructivist Approach)
- ICT (Information and Communication Technology)
- सामाजिक उत्तरदायित्व (Social Responsibility)
- मानवीय मूल्य (Human Values)

12.6 अपनी प्रगति जाँचें – संभावित उत्तर

उत्तर 1: नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में नैतिक मूल्यों एवं उचित व्यवहार का विकास किया जाता है।

उत्तर 2 : तीन स्तरों में।

उत्तर 3: चरित्र निर्माण एवं जिम्मेदार नागरिक का विकास करना।

उत्तर 4: ऐसा दृष्टिकोण जिसमें विद्यार्थी अपने अनुभवों एवं गतिविधियों द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं।

उत्तर 5 : ICT डिजिटल सामग्री एवं संवादात्मक गतिविधियों द्वारा नैतिक चिंतन को विकसित करता है।

12.7 सहायक पाठ्य सामग्री – शैक्षिक संसाधन

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020)
- NCERT पाठ्य सामग्री
- DIKSHA Portal
- SWAYAM
- e-PG Pathshala
- NROER
- UNESCO Value Education Resources

12.8 संदर्भ

- Kohlberg, L. (1981). Essays on Moral Development: The Philosophy of Moral Development. Harper & Row.
- Piaget, J. (1932). The Moral Judgment of the Child. Free Press.
- Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education.
- Aggarwal, J. C. (2022). Theory and Principles of Education. Vikas Publishing.
- Mangal, S. K., & Mangal, U. (2020). Essentials of Educational Psychology. PHI Learning.

12.9 अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. बहुसांस्कृतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(अ) केवल एक संस्कृति का विकास

(ब) सभी संस्कृतियों का सम्मान एवं समान अवसर प्रदान करना

(स) धार्मिक शिक्षा देना

(द) केवल भाषा का विकास करना

उत्तर – (ब) सभी संस्कृतियों का सम्मान एवं समान अवसर प्रदान करना।

2. लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का प्रमुख आधार क्या है?

(अ) भेदभाव

(ब) अनुशासनहीनता

(स) समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय

(द) प्रतियोगिता

उत्तर – (स) समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय।

3. निम्नलिखित में से कौन-सा लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है?

(अ) सहिष्णुता

(ब) समान अवसर

(स) तानाशाही

(द) सहयोग

उत्तर – (स) तानाशाही।

4. बहुसांस्कृतिक शिक्षा विद्यार्थियों में किस गुण का विकास करती है?

(अ) असहिष्णुता

(ब) पूर्वाग्रह

(स) विविधता के प्रति सम्मान और सहयोग

(द) भेदभाव

उत्तर – (स) विविधता के प्रति सम्मान और सहयोग।

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुसांस्कृतिक शिक्षा के संदर्भ में किस पर विशेष बल देती है?

(अ) केवल परीक्षा प्रणाली पर

(ब) समावेशी, समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर

(स) केवल तकनीकी शिक्षा पर

(द) केवल व्यावसायिक शिक्षा पर

उत्तर – (ब) समावेशी, समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. नैतिक शिक्षा के उद्देश्यों को समझाइए।
2. कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए।
3. नैतिक शिक्षा में ICT की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. नैतिक शिक्षा एवं नैतिक विकास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व का वर्णन कीजिए।
2. कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।
3. नैतिक शिक्षा में ICT एवं रचनावादी दृष्टिकोण के उपयोग का विश्लेषण कीजिए।

इकाई -13

समावेशी शिक्षा एवं समान शैक्षिक अवसर

- 13.1 परिचय
- 13.2 उद्देश्य
- 13.3 समावेशी शिक्षा एवं समान शैक्षिक अवसर
- 13.4 सारांश
- 13.5 शब्दावली
- 13.6 अपनी प्रगति जांचे- सम्भावित उत्तर
- 13.7 सहायक पाठ्य सामग्री -शैक्षिक संसाधन
- 13.8 सन्दर्भ
- 13.9 अभ्यास के प्रश्न

13.1 परिचय

शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। एक लोकतांत्रिक एवं समतामूलक समाज की स्थापना तभी संभव है, जब प्रत्येक बालक को उसकी व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शारीरिक परिस्थितियों की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। इसी विचार को समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) कहा जाता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले, वंचित, दिव्यांग, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े तथा लैंगिक भेदभाव से प्रभावित सभी शिक्षार्थियों को सामान्य विद्यालयों में समान अवसरों के साथ शिक्षा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने समावेशी एवं न्यायपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को विशेष महत्व दिया है। यह नीति शिक्षा में समानता, पहुँच, गुणवत्ता तथा सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल देती है। वर्तमान इकाई में समावेशी शिक्षा की अवधारणा, सिद्धांत, उद्देश्य, समान शैक्षिक अवसर, शिक्षक की भूमिका, ICT एवं सहायक प्रौद्योगिकी तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में समावेशी शिक्षा का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा।

भारत विविधताओं वाला देश है, जहाँ भाषा, संस्कृति, धर्म, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में व्यापक भिन्नताएँ हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा व्यवस्था का दायित्व है कि वह प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को समझते हुए उसे समान अवसर प्रदान करे। समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक बच्चे की गरिमा, समानता, सहभागिता एवं सीखने के अधिकार को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है।

समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों में सहयोग, सहिष्णुता, संवेदनशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करती है। शिक्षक, विद्यालय, अभिभावक तथा समाज सभी इसकी

सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक ICT तथा सहायक प्रौद्योगिकी ने समावेशी शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाया है।

13.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात शिक्षार्थी—

- समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं अवधारणा स्पष्ट कर सकेंगे।
- समावेशी शिक्षा के सिद्धांत एवं उद्देश्यों का वर्णन कर सकेंगे।
- समान शैक्षिक अवसर की अवधारणा को समझ सकेंगे।
- वंचित एवं विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं का विश्लेषण कर सकेंगे।
- लैंगिक समानता एवं सामाजिक न्याय के महत्व को समझ सकेंगे।
- समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का मूल्यांकन कर सकेंगे।
- ICT एवं सहायक प्रौद्योगिकी के उपयोग को स्पष्ट कर सकेंगे।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के समावेशी शिक्षा संबंधी प्रावधानों का अध्ययन कर सकेंगे।

13.3 समावेशी शिक्षा एवं समान शैक्षिक अवसर

(I) समावेशी शिक्षा : अर्थ एवं अवधारणा

समावेशी शिक्षा का अर्थ (Meaning of Inclusive Education)

समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक बालक को उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषाई अथवा लैंगिक भिन्नताओं की परवाह किए बिना एक ही विद्यालय एवं कक्षा में समान अवसरों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर प्रत्येक शिक्षार्थी की क्षमता का अधिकतम विकास करना है। समावेशी शिक्षा यह मानती है कि प्रत्येक बालक अद्वितीय है तथा उसकी सीखने की गति, रुचियाँ, क्षमताएँ एवं आवश्यकताएँ भिन्न हो सकती हैं। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को बालक के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, न कि बालक को शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप।

समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से वंचित, जनजातीय, ग्रामीण, अल्पसंख्यक, प्रवासी, बालिकाएँ तथा अन्य विशेष परिस्थितियों वाले सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से सम्मिलित किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य शिक्षा में समानता, सहभागिता, सम्मान तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना है।

समावेशी शिक्षा की अवधारणा (Concept of Inclusive Education)

समावेशी शिक्षा की अवधारणा मानवाधिकार, समानता, लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। यह शिक्षा व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सीखने

के अवसर उपलब्ध कराती है तथा विद्यालय के वातावरण को ऐसा बनाती है जहाँ कोई भी विद्यार्थी स्वयं को अलग-थलग या उपेक्षित अनुभव न करे।

समावेशी शिक्षा का मूल विचार यह है कि **"हर बच्चा महत्वपूर्ण है और प्रत्येक बच्चे को सीखने का अधिकार है।"** इसलिए विद्यालयों में पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधियाँ, मूल्यांकन प्रणाली तथा अधिगम संसाधनों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि सभी विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीख सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी समावेशी, समान एवं न्यायपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर बल देती है तथा प्रत्येक शिक्षार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित करती है।

समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ

- प्रत्येक बच्चे के लिए समान शिक्षा का अधिकार।
- सभी विद्यार्थियों का सामान्य विद्यालय में अध्ययन।
- विविधताओं का सम्मान एवं स्वीकार्यता।
- भेदभाव एवं बहिष्करण का उन्मूलन।
- बालक-केंद्रित शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया।
- सहयोगात्मक एवं सहभागितापूर्ण अधिगम।
- सभी के लिए समान अवसर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
- सामाजिक न्याय एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास।
- अभिभावकों एवं समुदाय की सक्रिय सहभागिता।
- ICT एवं सहायक प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग।
- समावेशी शिक्षा की आवश्यकता

वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है—

1. समानता की स्थापना

प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना।

2. मानवाधिकारों की रक्षा

शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। समावेशी शिक्षा इस अधिकार को सुनिश्चित करती है।

3. सामाजिक समरसता का विकास

विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थी साथ मिलकर सीखते हैं, जिससे सहयोग, सहिष्णुता एवं परस्पर सम्मान की भावना विकसित होती है।

4. भेदभाव में कमी

जाति, लिंग, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिति एवं दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को कम किया जा सकता है।

5. आत्मविश्वास का विकास

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भरता का विकास होता है।

6. लोकतांत्रिक समाज का निर्माण

समावेशी शिक्षा समानता, न्याय, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाती है।

समावेशी शिक्षा के प्रमुख घटक

- समान अवसर
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
- सहभागिता
- पहुँचयोग्यता (Accessibility)
- व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण
- सहयोगात्मक अधिगम
- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन
- परिवार एवं समुदाय की सहभागिता
- सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग
- संवेदनशील एवं प्रशिक्षित शिक्षक

समावेशी शिक्षा के लाभ

- सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्राप्त होते हैं।
- सामाजिक समावेशन एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है।
- विद्यार्थियों में सहयोग, सहिष्णुता एवं संवेदनशीलता विकसित होती है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है।
- विद्यालयों में सकारात्मक एवं लोकतांत्रिक वातावरण निर्मित होता है।
- शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि होती है।
- सामाजिक न्याय एवं समानता को प्रोत्साहन मिलता है।

समावेशी शिक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव।
- विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों की कमी।
- सामाजिक पूर्वाग्रह एवं नकारात्मक दृष्टिकोण।
- सहायक प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय संसाधनों की कमी।
- बड़े कक्षा आकार एवं व्यक्तिगत ध्यान की कठिनाई।
- अभिभावकों एवं समुदाय में जागरूकता का अभाव।
- आधारभूत संरचना (रैंप, लिफ्ट, ब्रेल सामग्री आदि) की कमी।

समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के उपाय

- शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- विद्यालयों को दिव्यांग-अनुकूल बनाया जाए।
- ICT एवं Assistive Technology का व्यापक उपयोग किया जाए।
- लचीले एवं बालक-केंद्रित पाठ्यक्रम अपनाए जाएँ।
- अभिभावकों एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- समावेशी मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।

निष्कर्ष

समावेशी शिक्षा केवल एक शैक्षिक व्यवस्था नहीं, बल्कि समानता, सामाजिक न्याय एवं मानवीय गरिमा पर आधारित एक व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य प्रत्येक शिक्षार्थी को उसकी क्षमता के अनुरूप सीखने, विकसित होने एवं समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है। वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा एक सशक्त, संवेदनशील एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का आधार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी इसी दिशा में शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ, समान एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है।

(II) समावेशी शिक्षा के सिद्धांत एवं उद्देश्य

समावेशी शिक्षा का आधार यह विश्वास है कि प्रत्येक बालक अद्वितीय है तथा उसे बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं, क्षमताओं एवं रुचियों का सम्मान करते हुए समान अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसके सिद्धांत एवं उद्देश्य शिक्षा में समानता, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा मानवाधिकारों को सुदृढ़ बनाते हैं।

(अ) समावेशी शिक्षा के सिद्धांत (Principles of Inclusive Education)

1. समानता का सिद्धांत (Principle of Equality)

समावेशी शिक्षा का प्रथम सिद्धांत समानता है। प्रत्येक बालक को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि अथवा दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना समान शैक्षिक अवसर प्राप्त होने चाहिए। विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जहाँ सभी विद्यार्थियों के साथ सम्मानपूर्ण एवं समान व्यवहार किया जाए।

2. सहभागिता का सिद्धांत (Principle of Participation)

समावेशी शिक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षण-अधिगम, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा विद्यालय की अन्य गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर दिया जाता है। इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सहयोग एवं सामाजिक समायोजन का विकास होता है।

3. विविधता के सम्मान का सिद्धांत (Principle of Respect for Diversity)

प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति, रुचियाँ, क्षमताएँ एवं आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं। समावेशी शिक्षा इन विविधताओं को स्वीकार करती है तथा उन्हें शिक्षा की शक्ति मानती है। यह किसी भी प्रकार की भिन्नता को कमजोरी नहीं बल्कि एक सकारात्मक विशेषता के रूप में देखती है।

4. बालक-केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत (Child-Centred Education)

समावेशी शिक्षा में शिक्षण प्रक्रिया बालक की आवश्यकताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप संचालित की जाती है। शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों, गतिविधियों तथा संसाधनों का उपयोग करके प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने का अवसर प्रदान करता है।

4. सहयोग का सिद्धांत (Principle of Collaboration)

समावेशी शिक्षा की सफलता शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय प्रशासन, विशेषज्ञों एवं समुदाय के सहयोग पर निर्भर करती है। सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास से प्रत्येक शिक्षार्थी का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

6. पहुँच एवं पहुँचयोग्यता का सिद्धांत (Accessibility)

विद्यालय की भवन व्यवस्था, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा डिजिटल संसाधन सभी विद्यार्थियों के लिए सुगम एवं सुलभ होने चाहिए। रैंप, ब्रेल सामग्री, सांकेतिक भाषा, स्क्रीन रीडर एवं अन्य सहायक उपकरण इस सिद्धांत को प्रभावी बनाते हैं।

7. लचीलेपन का सिद्धांत (Principle of Flexibility)

समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ तथा मूल्यांकन प्रणाली को विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप लचीला बनाया जाता है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार सीखने में सक्षम होता है।

8. सामाजिक न्याय का सिद्धांत (Principle of Social Justice)

समावेशी शिक्षा समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का समान अधिकार प्रदान करती है तथा सामाजिक, आर्थिक एवं लैंगिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से न्यायपूर्ण एवं समतामूलक समाज का निर्माण करना है।

9. गरिमा एवं सम्मान का सिद्धांत (Principle of Dignity and Respect)

प्रत्येक शिक्षार्थी की गरिमा, आत्मसम्मान एवं व्यक्तित्व का सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी के साथ उसकी विशेष परिस्थितियों के कारण उपेक्षा या भेदभाव नहीं होना चाहिए।

10. सतत् विकास का सिद्धांत (Principle of Continuous Development)

समावेशी शिक्षा केवल शैक्षिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक एवं व्यावसायिक विकास पर भी समान रूप से बल देती है।

(ब) समावेशी शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Inclusive Education)

समावेशी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना

प्रत्येक बालक को उसकी परिस्थितियों की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण एवं समान शिक्षा प्रदान करना।

2. समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करना

सभी विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने, सीखने तथा अपनी प्रतिभा विकसित करने के समान अवसर प्रदान करना।

3. भेदभाव का उन्मूलन करना

जाति, धर्म, भाषा, लिंग, दिव्यांग, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना।

4. आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का विकास करना

विशेष आवश्यकता वाले एवं वंचित विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भरता का विकास करना।

5. सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना

विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों में सहयोग, सहिष्णुता, संवेदनशीलता एवं भाईचारे की भावना विकसित करना।

6. व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करना

प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिभा, रुचि एवं क्षमता के अनुरूप उसके सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करना।

7. लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना

समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, सहिष्णुता एवं मानवाधिकारों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना।

8. विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना

ऐसा शिक्षण वातावरण विकसित करना जिससे प्रत्येक विद्यार्थी विद्यालय से जुड़ा रहे तथा ड्रॉपआउट दर में कमी आए।

9. समग्र विकास सुनिश्चित करना

शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक एवं बौद्धिक विकास के अवसर उपलब्ध कराना।

10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लक्ष्यों की प्राप्ति

समावेशी, समान, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके NEP-2020 के उद्देश्यों को साकार करना।

समावेशी शिक्षा के सिद्धांत एवं उद्देश्यों का शैक्षिक

महत्व

- शिक्षा को अधिक न्यायपूर्ण एवं लोकतांत्रिक बनाते हैं।
- विद्यालयों में सहयोगात्मक एवं सकारात्मक वातावरण विकसित करते हैं।
- विद्यार्थियों में सहिष्णुता, संवेदनशीलता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले एवं वंचित विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों में वृद्धि करते हैं।
- शिक्षा में समान अवसर एवं सामाजिक समावेशन को सुदृढ़ करते हैं।
- सतत विकास लक्ष्य (SDG-4) एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं।

निष्कर्ष

समावेशी शिक्षा के सिद्धांत एवं उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं जिसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को समान अवसर, सम्मान, सहभागिता एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। यह व्यवस्था विविधताओं को स्वीकार करते हुए सभी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए ऐसी समावेशी शिक्षा प्रणाली के निर्माण पर बल देती है जो प्रत्येक शिक्षार्थी की क्षमता के विकास और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को सुनिश्चित करे।

(III) समान शैक्षिक अवसर की अवधारणा (Concept of Equal Educational Opportunity)

समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति, क्षेत्र, संस्कृति अथवा शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले। इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक असमानताओं को कम करना तथा प्रत्येक शिक्षार्थी को अपनी क्षमता के अनुरूप विकास का अवसर प्रदान करना है।

समान शैक्षिक अवसर के प्रमुख आयाम

- शिक्षा तक समान पहुंच।

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता।
- भेदभाव रहित शिक्षण वातावरण।
- छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता।
- दिव्यांग एवं वंचित विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधाएं।
- लैंगिक समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा।

शैक्षिक महत्व

- शिक्षा में समानता एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है।
- प्रतिभा के विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं।
- लोकतांत्रिक एवं न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है।

(IV) वंचित एवं विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की शिक्षा

वंचित एवं विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी वे हैं जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक अथवा शारीरिक एवं मानसिक कारणों से शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालयों में आवश्यक सहयोग एवं सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

प्रमुख वर्ग

- दिव्यांग विद्यार्थी।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति।
- बालिकाएं।
- अल्पसंख्यक एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थी।

प्रमुख उपाय

- व्यक्तिगत शिक्षण योजना (IEP)।
- सहायक शिक्षण सामग्री।
- प्रशिक्षित शिक्षक।
- छात्रवृत्ति एवं निशुल्क सुविधाएं।
- अभिभावकों एवं समुदाय का सहयोग।

(V) लैंगिक समानता एवं सामाजिक न्याय

लैंगिक समानता का अर्थ है कि बालक एवं बालिका दोनों को शिक्षा के समान अवसर, समान अधिकार एवं समान सम्मान प्राप्त हों। सामाजिक न्याय का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्रदान करना तथा भेदभाव को समाप्त करना है।

प्रमुख उद्देश्य

- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन।
- लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन।
- सामाजिक समानता एवं मानवाधिकारों का संरक्षण।
- वंचित वर्गों का सशक्तिकरण

महत्व

1. समतामूलक समाज का निर्माण।
2. महिला सशक्तिकरण।
3. सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय विकास।

(VI) समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

समावेशी शिक्षा की सफलता में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक ऐसा शिक्षण वातावरण तैयार करता है जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके।

शिक्षक की प्रमुख भूमिकाएं

- समावेशी एवं सकारात्मक कक्षा वातावरण का निर्माण।
- विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पहचान।
- विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग।
- ICT एवं सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- अभिभावकों एवं विशेषज्ञों के साथ समन्वय।
- निष्पक्ष एवं सतत् मूल्यांकन।
- विद्यार्थियों में सहयोग एवं संवेदनशीलता का विकास।

(VII) समावेशी शिक्षा में ICT एवं सहायक प्रौद्योगिकी (Assistive Technology)

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तथा सहायक प्रौद्योगिकी समावेशी शिक्षा को अधिक प्रभावी, सुलभ एवं सहभागितापूर्ण बनाती हैं। इनके माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी भी प्रभावी ढंग से अधिगम कर सकते हैं।

प्रमुख सहायक प्रौद्योगिकियाँ

- स्क्रीन रीडर।
- ब्रेल डिस्प्ले।
- श्रवण यंत्र।
- सांकेतिक भाषा आधारित डिजिटल सामग्री।
- टेक्स्ट-टू-स्पीच एवं स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ्टवेयर।
- स्मार्ट बोर्ड एवं शैक्षिक ऐप्स।

महत्व

1. अधिगम को सरल एवं रोचक बनाना।
2. सीखने में सहभागिता बढ़ाना।
3. स्वावलंबन एवं आत्मविश्वास का विकास।
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना।

(VIII) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं समावेशी शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का प्रमुख उद्देश्य सभी शिक्षार्थियों को समान, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। नीति विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) तथा दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा पर बल देती है।

NEP-2020 के प्रमुख प्रावधान

- सभी के लिए समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
- सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष ध्यान।
- दिव्यांग-अनुकूल विद्यालय एवं अधिगम संसाधन।
- लैंगिक समावेशन को बढ़ावा।
- बहुभाषी एवं लचीला शिक्षण।
- ICT एवं डिजिटल शिक्षा का विस्तार।
- शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास।
- ड्रॉप आउट दर में कमी तथा सार्वभौमिक शिक्षा।

शैक्षिक महत्व

- समतामूलक एवं न्यायपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
- शिक्षा की पहुँच, गुणवत्ता एवं सहभागिता में वृद्धि होती है।
- प्रत्येक शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जाता है।

- समावेशी भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।

अपनी प्रगति जाँचें-

प्रश्न 1. समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है?

प्रश्न 2. समान शैक्षिक अवसर का क्या अर्थ है?

प्रश्न 3. सहायक प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण लिखिए।

प्रश्न 4. समावेशी शिक्षा में शिक्षक की एक प्रमुख भूमिका लिखिए।

प्रश्न 5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 किस प्रकार समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है?

13.4 सारांश

समावेशी शिक्षा समानता, न्याय एवं मानवाधिकारों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। यह शिक्षा व्यवस्था विविधताओं को स्वीकार करते हुए सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अवसर प्रदान करती है। समान शैक्षिक अवसर, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त सुविधाएँ, शिक्षक की संवेदनशील भूमिका तथा ICT एवं सहायक प्रौद्योगिकी इसके प्रमुख आधार हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 समावेशी एवं न्यायपूर्ण शिक्षा प्रणाली के निर्माण पर विशेष बल देती है।

13.5 शब्दावली

- समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) – ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सभी विद्यार्थियों को उनकी भिन्न आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार बिना किसी भेदभाव के एक साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है।
- समान शैक्षिक अवसर (Equal Educational Opportunity) – प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने और अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर मिलना।
- विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी (Children with Special Needs) – ऐसे विद्यार्थी जिन्हें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेदी अथवा अधिगम संबंधी कठिनाइयों के कारण अतिरिक्त शैक्षिक सहायता एवं सुविधाओं की आवश्यकता होती है।
- सहायक प्रौद्योगिकी (Assistive Technology) – ऐसे उपकरण, तकनीक या सॉफ्टवेयर जो विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को सीखने, संचार करने और दैनिक कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं।

- लैंगिक समानता (Gender Equality) – स्त्री, पुरुष एवं अन्य सभी लिंगों के व्यक्तियों को शिक्षा, अवसर, अधिकार एवं सम्मान में समानता प्रदान करना।
- सामाजिक न्याय (Social Justice) – समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, अवसर एवं संसाधन उपलब्ध कराकर भेदभाव और असमानता को समाप्त करना।
- सार्वभौमिक अधिगम अभिकल्प (Universal Design for Learning – UDL) – शिक्षण-अधिगम की ऐसी योजना जिसमें सभी प्रकार के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधि एवं मूल्यांकन तैयार किए जाते हैं।
- पहुँच योग्यता (Accessibility) – शिक्षा, भवन, संसाधनों, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को इस प्रकार उपलब्ध कराना कि प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर दिव्यांगजन, उनका सही उपयोग कर सकें।
- समावेशन (Inclusion) – सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समाज एवं शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मान पूर्वक सम्मिलित करने की प्रक्रिया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) – भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में घोषित शिक्षा नीति, जिसका उद्देश्य सभी के लिए समावेशी, समान, गुणवत्तापूर्ण, बहुविषयक एवं कौशल-आधारित शिक्षा सुनिश्चित करना है।

13.6 अपनी प्रगति जाँचें (संभावित उत्तर)

उत्तर 1: सभी शिक्षार्थियों को समान अवसरों के साथ एक ही शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।

उत्तर 2: प्रत्येक विद्यार्थी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार एवं अवसर देना

उत्तर 3: ब्रेल डिस्प्ले, स्क्रीन रीडर या श्रवण यंत्र।

उत्तर 4: सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण-अधिगम वातावरण तैयार करना।

उत्तर 5: समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पहुँच एवं सामाजिक न्याय पर बल देकर।

13.7 पाठ्य सहायक सामग्री / शैक्षिक संसाधन

- NCERT
- DIKSHA Portal
- SWAYAM
- e-PG Pathshala
- NROER
- UNESCO – Inclusive Education Resources
- Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 दस्तावेज

13.8 सन्दर्भ (APA 7th Edition)

- Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education.
- UNESCO. (2020). Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education.
- NCERT. (2023). Learning Outcomes and Inclusive Education. New Delhi.
- Mangal, S. K., & Mangal, U. (2020). Essentials of Educational Psychology. PHI Learning.
- Sharma, R. A. (2021). Teacher Education. Meerut: R. Lall Book Depot.

13.9 अभ्यास के प्रश्न

(क) वस्तुनिष्ठ प्रश्न (सम्भावित उत्तर सहित)

1. समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(अ) केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना

(ब) सभी बच्चों को बिना भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना

(स) केवल मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा देना

(द) केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा देना

सम्भावित उत्तर – (ब)

2. समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है—

(अ) केवल आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा देना

(ब) सभी को बिना भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना

(स) केवल बालिकाओं को शिक्षा देना

(द) केवल सरकारी विद्यालयों में शिक्षा देना

सम्भावित उत्तर – (ब)

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 समावेशी शिक्षा के संदर्भ में किस पर बल देती है?

- (अ) केवल परीक्षा प्रणाली पर
 - (ब) समान, गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा पर
 - (स) केवल व्यावसायिक शिक्षा पर
 - (द) केवल उच्च शिक्षा पर
- सम्भावित उत्तर – (ब)

4. निम्नलिखित में से कौन सहायक प्रौद्योगिकी (Assistive Technology) का उदाहरण है?

- (अ) ब्लैकबोर्ड
- (ब) स्क्रीन रीडर
- (स) चॉक
- (द) ग्लोब

सम्भावित उत्तर – (ब)

5. समावेशी शिक्षा में शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या है?

- (अ) केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना
- (ब) सभी विद्यार्थियों के लिए अनुकूल एवं समावेशी अधिगम वातावरण तैयार करना
- (स) केवल परीक्षा लेना
- (द) केवल अनुशासन बनाए रखना

सम्भावित उत्तर – (ब)

(ख) अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. समावेशी शिक्षा की परिभाषा दीजिए।
2. समान शैक्षिक अवसर का अर्थ लिखिए।
3. विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी कौन हैं?
4. शिक्षक की दो भूमिकाएँ लिखिए।

(ग) लघु उत्तरीय प्रश्न

1. समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।
2. लैंगिक समानता एवं सामाजिक न्याय की व्याख्या कीजिए।
3. ICT एवं सहायक प्रौद्योगिकी का महत्व स्पष्ट कीजिए।
4. NEP-2020 में समावेशी शिक्षा के प्रमुख प्रावधान लिखिए।

(घ) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. समावेशी शिक्षा की अवधारणा, सिद्धांत एवं उद्देश्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
2. वंचित एवं विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का समालोचनात्मक विवेचना कीजिए।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में समावेशी शिक्षा एवं समान शैक्षिक अवसर की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

इकाई -14

शांति शिक्षा, मानवाधिकार एवं वैश्विक नागरिकता

- 14.1 परिचय
- 14.2 उद्देश्य
- 14.3 शांति शिक्षा, मानवाधिकार एवं वैश्विक नागरिकता
- 14.4 सारांश
- 14.5 शब्दावली
- 14.6 अपनी प्रगति जांचें- शैक्षिक संसाधन
- 14.7 पाठ्य सामग्री - शैक्षिक संसाधन
- 14.8 सन्दर्भ
- 14.9 अभ्यास प्रश्न

14.1 परिचय

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसे उत्तरदायी, संवेदनशील, लोकतांत्रिक एवं मानवीय नागरिकों का निर्माण करना है जो शांति, मानवाधिकार, समानता, सामाजिक न्याय तथा सतत विकास के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं। शांति शिक्षा, मानवाधिकार शिक्षा तथा वैश्विक नागरिकता की अवधारणा शिक्षार्थियों में सहिष्णुता, सहयोग, विविधता के सम्मान, संवैधानिक मूल्यों तथा विश्वबंधुत्व की भावना का विकास करती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी समावेशी, मूल्यपरक एवं वैश्विक दृष्टिकोण से युक्त शिक्षा पर विशेष बल देती है।

आज का समाज वैश्वीकरण, तकनीकी विकास, सांस्कृतिक विविधता, पर्यावरणीय संकट तथा सामाजिक चुनौतियों से प्रभावित है। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा का दायित्व केवल बौद्धिक विकास तक सीमित न होकर नैतिक, सामाजिक एवं वैश्विक चेतना का विकास करना भी है। शांति शिक्षा हिंसा के स्थान पर संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा देती है, मानवाधिकार शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा एवं अधिकारों के प्रति सम्मान विकसित करती है तथा वैश्विक नागरिकता शिक्षार्थियों को स्थानीय से वैश्विक स्तर तक उत्तरदायी नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती है। ICT के माध्यम से इन मूल्यों का प्रभावी प्रसार तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

14.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात शिक्षार्थी शांति शिक्षा, मानवाधिकार शिक्षा एवं वैश्विक नागरिकता की अवधारणा, आवश्यकता एवं महत्व को समझ सकेंगे; बाल अधिकार एवं शिक्षा के अधिकार का विश्लेषण कर सकेंगे; सतत विकास लक्ष्यों एवं संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा में भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे; नागरिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्रीय एकता के महत्व को जान सकेंगे; ICT के माध्यम से शांति एवं मानवाधिकार शिक्षा

के प्रभावी उपयोग को समझ सकेंगे तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में वैश्विक नागरिकता के विकास का मूल्यांकन कर सकेंगे।

14.3 शांति शिक्षा, मानवाधिकार एवं वैश्विक नागरिकता

I. शांति शिक्षा : अर्थ, अवधारणा एवं आवश्यकता

शांति शिक्षा वह शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में अहिंसा, सहिष्णुता, सहयोग, संवाद, करुणा, संघर्ष-समाधान तथा सामाजिक समरसता के मूल्यों का विकास किया जाता है। इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है।

II. मानवाधिकार शिक्षा : अर्थ एवं महत्व

मानवाधिकार शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है। यह सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, समान अवसर तथा उत्तरदायी नागरिकता को सुदृढ़ बनाती है।

III. बाल अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार

बाल अधिकार प्रत्येक बच्चे के जीवन, सुरक्षा, विकास एवं सहभागिता से संबंधित अधिकारों की रक्षा करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रत्येक बालक-बालिका को गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है।

IV. वैश्विक नागरिकता (Global Citizenship) की अवधारणा

वैश्विक नागरिकता ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति स्वयं को केवल अपने राष्ट्र का ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व समुदाय का उत्तरदायी सदस्य मानता है। इसमें मानवता, विविधता का सम्मान, पर्यावरण संरक्षण, शांति एवं वैश्विक सहयोग जैसे मूल्य निहित हैं।

V. सतत विकास लक्ष्य

(SDGs) एवं शिक्षा

संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। शिक्षा इन लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रमुख साधन है।

VI. संवैधानिक मूल्य, नागरिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्रीय एकता

भारतीय संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित है। शिक्षा नागरिकों में संवैधानिक कर्तव्यों, लोकतांत्रिक आचरण, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव एवं उत्तरदायी नागरिकता का विकास करती है।

VII. शांति एवं मानवाधिकार शिक्षा में ICT का उपयोग

ICT के माध्यम से ई-लर्निंग, डिजिटल सामग्री, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वर्चुअल चर्चा, वीडियो, वेबिनार एवं इंटरैक्टिव गतिविधियों द्वारा शांति, मानवाधिकार एवं वैश्विक नागरिकता संबंधी मूल्यों का प्रभावी शिक्षण किया जा सकता है।

VIII. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में वैश्विक नागरिकता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 मूल्यपरक, समावेशी, बहुभाषी एवं अनुभवात्मक शिक्षा पर बल देती है। यह शिक्षार्थियों में संवैधानिक मूल्यों, वैश्विक दृष्टिकोण, सतत विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवाचार एवं 21वीं सदी के कौशलों का विकास करने की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है।

अपनी प्रगति जांचे-

1. शांति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2. मानवाधिकार शिक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिए।
3. बाल अधिकार एवं शिक्षा के अधिकार में क्या संबंध है?
4. वैश्विक नागरिकता से आप क्या समझते हैं?
5. SDGs की प्राप्ति में शिक्षा की भूमिका बताइए।
6. ICT शांति एवं मानवाधिकार शिक्षा को कैसे प्रभावी बनाता है?
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 वैश्विक नागरिकता को किस प्रकार प्रोत्साहित करती है?

14.4 सारांश

शांति शिक्षा, मानवाधिकार शिक्षा एवं वैश्विक नागरिकता आधुनिक शिक्षा के महत्वपूर्ण आधार हैं। ये शिक्षार्थियों में मानवीय संवेदनाएँ, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरणीय चेतना तथा वैश्विक दृष्टिकोण का विकास करती हैं। बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक मूल्य, सतत विकास लक्ष्य, ICT तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 मिलकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करते हैं जो न्यायपूर्ण, समावेशी, शांतिपूर्ण एवं सतत समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है

14.5 शब्दावली

शांति शिक्षा — शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की शिक्षा

- मानवाधिकार — मानव के मौलिक अधिकार
- बाल अधिकार — बच्चों के अधिकार
- शिक्षा का अधिकार (RTE) — निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
- वैश्विक नागरिकता — विश्व-नागरिकता
- सतत विकास लक्ष्य (SDGs) — टिकाऊ विकास के लक्ष्य
- संवैधानिक मूल्य — संविधान-आधारित आदर्श
- नागरिक उत्तरदायित्व — नागरिक कर्तव्य
- राष्ट्रीय एकता — राष्ट्र की एकजुटता
- ICT (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) — सूचना-संचार तकनीक
- समावेशी शिक्षा — सर्व समावेशी शिक्षा
- लोकतंत्र — जनतंत्र
- सामाजिक न्याय — समान न्याय

14.6 अपनी प्रगति जाँचें – संभावित उत्तर

1. शांति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हिंसा, संघर्ष और भेदभाव को कम करके शांति, सहिष्णुता, सहयोग एवं अहिंसक व्यवहार की भावना विकसित करना है।
2. मानवाधिकार शिक्षा का महत्व व्यक्तियों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा की रक्षा के लिए सक्षम बनाना है।
3. बाल अधिकार एवं शिक्षा के अधिकार का संबंध यह है कि प्रत्येक बच्चे को बिना भेदभाव गुणवत्तापूर्ण एवं समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जो उसके समग्र विकास और अन्य अधिकारों की समझ का आधार है।
4. वैश्विक नागरिकता ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति स्वयं को विश्व समुदाय का सदस्य मानकर वैश्विक समस्याओं, विविधता, मानवाधिकार और सतत विकास के प्रति जिम्मेदार व्यवहार करता है।

5. SDGs की प्राप्ति में शिक्षा की भूमिका शिक्षा जागरूकता, कौशल, समानता और सतत विकास की समझ विकसित करके सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
6. ICT शांति एवं मानवाधिकार शिक्षा को प्रभावी बनाता है क्योंकि यह सूचना, डिजिटल संसाधनों, संवाद और वैश्विक सहयोग तक व्यापक एवं त्वरित पहुँच प्रदान करता है।
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 वैश्विक नागरिकता को प्रोत्साहित करती है क्योंकि यह भारतीय मूल्यों के साथ वैश्विक दृष्टिकोण, बहुभाषिकता, संवैधानिक मूल्यों, सतत विकास और वैश्विक जागरूकता पर बल देती है।

14.7 पाठ्य सामग्री – शैक्षिक संसाधन

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020
- भारतीय संविधान
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा (UDHR)
- UNICEF एवं UNESCO की अध्ययन सामग्री
- DIKSHA, e-Pathshala, SWAYAM, NROER तथा e-PG Pathshala

14.8 सन्दर्भ

- National Education Policy (2020). Ministry of Education, Government of India.
- UNESCO. (2015). Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives.
- United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
- UNICEF. Convention on the Rights of the Child.
- भारत का संविधान।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009।

14.9 अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. शांति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(अ) प्रतियोगिता की भावना विकसित करना

(ब) शांति, सहिष्णुता एवं सहयोग की भावना विकसित करना

(स) केवल परीक्षा में सफलता प्राप्त करना

(द) तकनीकी ज्ञान प्रदान करना

संभावित उत्तर: (ब) शांति, सहिष्णुता एवं सहयोग की भावना विकसित करना।

2. शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ?

(अ) 2005

(ब) 2007

(स) 2009

(द) 2012

संभावित उत्तर: (स) 2009

3. SDGs (Sustainable Development Goals) किस संगठन द्वारा निर्धारित किए गए हैं?

(अ) UNESCO

(ब) UNICEF

(स) संयुक्त राष्ट्र (United Nations)

(द) NCERT

संभावित उत्तर: (स) संयुक्त राष्ट्र (United Nations)

4. वैश्विक नागरिकता (Global Citizenship) का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

(अ) केवल अपने देश के प्रति उत्तरदायित्व निभाना

(ब) विश्व समुदाय के प्रति उत्तरदायी एवं संवेदनशील नागरिक बनाना

(स) केवल आर्थिक विकास करना

(द) केवल तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना

संभावित उत्तर: (ब) विश्व समुदाय के प्रति उत्तरदायी एवं संवेदनशील नागरिक बनाना।

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 किस पर विशेष बल देती है?

(अ) केवल रटने पर आधारित शिक्षा

(ब) केवल व्यावसायिक शिक्षा

(स) मूल्यपरक, समावेशी एवं बहुविषयक शिक्षा

(द) केवल ऑनलाइन शिक्षा

संभावित उत्तर: (स) मूल्यपरक, समावेशी एवं बहुविषयक शिक्षा।

अति लघु उत्तरीय:

1. शांति शिक्षा का अर्थ लिखिए।

2. मानवाधिकार क्या हैं?

3. SDGs का पूर्ण रूप लिखिए।

4. वैश्विक नागरिकता से क्या अभिप्राय है?

लघु उत्तरीय:

1. शांति शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए।

2. मानवाधिकार शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए।

3. बाल अधिकार एवं शिक्षा के अधिकार की व्याख्या कीजिए।

4. ICT द्वारा शांति शिक्षा को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है?

दीर्घ उत्तरीय:

1. शांति शिक्षा, मानवाधिकार शिक्षा एवं वैश्विक 2 नागरिकता की अवधारणाओं का विस्तृत विवेचन कीजिए।

2. सतत विकास लक्ष्यों, संवैधानिक मूल्यों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में वैश्विक नागरिकता की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।